हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

खण्ड–4 अंक–2

अधिकृत विवरण

विशय सूची

मगलवार, 16 नवम्बर , 1999

पृश्ठ संख्या

तारांकित प्र ान एवम उतर	(2)1
वाक आउट (पुनरारम्भ)	(2)3
तारांकित प्र ान एवम उतर (पुनरारम्भ)	(2)3
ध्यानाकर्शण	
(1) हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही मे बनाई गई औधोगिक नीति मे कृशि आधारित उघोगो को बढाया न देने संबधी	(2)12
वक्तवय	
मुख्यमंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्शण प्रस्ताव सबंधी	(2)12
(2) हरियाणा राज्य मे बिजली की सप्लाई नियमित रूप मे न होने संबधी	(2)16
वक्तव्य	
नियम 15 के अधीन प्रस्ताव	(2)23

नियम 16के अधीन प्रस्ताव	(2)1
सदन की मेज पर रखे गये कागज पत्र	(2)24
वर्श 1994.95 के अनुदानो तथा विनियोजनो से अधिक मांगो पर चर्चा तथा मतदान	(2)25
(1).. दि हरियाणा एपोप्रिए ान न0 4 बिल, 1999	(2)27
(2).. दि हरियाणा एपोप्रिए ान (सैकिण्ड अमैडमैट) बिल, 1999	(2)29
(3).दि हरियाणा म्यूनिसिपल कारपोरे ान (सैकिण्ड अमैडमैट) बिल, 1999	(2)43
वैयक्तिक स्पश्टीकरण	
श्री राम बिलास भार्मा	(2)50
दि हरियाणा म्यूनिसिपल कारपोरे ान (सैकिण्ड अमैडमैट) बिल, 1999 (पुनरारम्भ)	(2)51
वाक आउट	(2)51
दि हरियाणा म्यूनिसिपल कारपोरे ान (सैकिण्ड अमैडमैट) बिल, 1999(पुनरारम्भ)	(2)52
(4). दि हरियाणा लोकायुक्त बिल, 1999	(2)53

दैनिक ट्रिब्यून लोकायुक्त बिल 1999 (पुनरारम्भ)	(2)70
दि हरियाणा लोकायुक्त बिल, 1999 (पुनरारम्भ)	(2)70
वाक आउट	(2)72
दि हरियाणा लोकायुक्त बिल, 1999 (पुनरारम्भ)	(2)72
(5) दि हरियाणा पंचायती राज (सैकिण्ड अमैडमैंट) बिल, 1999	(2)77
(6) दि पजांब ि ाडयूल्उ रोडज एंड कट्रोल्ज एरियाज रिस्ट्रिक ान औफ अरनैगुलेटिड डिवैल्पमैट (हरियाणा सैकिण्ड अमैडमैंट)	(2)78
(7) दि पजांब न्यू कैपिटल (पैराफैरी) कट्रोल्ज एरियाज (हरियाणा अमैडमैंट)	(2) 80
(8) दि हरियाणा एपोप्रिए ान (न0 3) बिल, 1999	(2)81

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 16 नवम्बर, 1999

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्ड़ीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री अ ाोक कुमार अरोडा) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवम उतर

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब सवाल होगे।

Withdrawal of Taxes

997. Capt Ajay Singh Yadav: Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to withdrw all the taxes imposed in lieu of prohibition by the previous Government?

मुख्यमंत्री (श्री ओमप्रका ा चौटाला): राज्य सरकार द्वारा मदद निशेध नीति के दौरान अतिरिक्त राजस्व प्राप्ति हेतु लगाए गए करो पर पुर्नविचार और कारोबरियो, व्यापारियो, किसानो व अन्य समाज के वर्गो की कठिनाईयो को दूर करने के लिए सुझाव देने हेतू सरकार के द्वारा एक कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया है। कैबिनेट सब कमेटी इस उद्दे ाय को सामने रखते हुए बैठके कर रही है।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने जिन दोनो मे स्टेट के अन्दर प्रोहिबि ान लगाई थी उस समय मुख्यमंत्री महोदय विपक्ष के नेता हुआ करते थे और ये कहा करते थे तथा हम भी कहा करते थे कि सरकार ने प्रोहिबि ान की आड मे बहुत सारे टैक्स लगा दिये है। क्या मुख्य मंत्री महोदय बताएगे कि ऐसे कौन कौन से टैक्स थे जो चौधरी बंसीलाल जी की सरकार ने प्रोहिबि ान के दौरान लगाए थे और उनका टोटल अमाऊंट कितना था? मेरा दूसरा सवाल है? मुख्यमंत्री महोदय ने कुछ नई स्कीमज के बारे मे अखबारो मे बताया है जैसे बुढापे पै ान बढाई है और चुंगी माफी की है इससे स्टेट एक्सचैकर पर कितना बर्डन पडा है। इसके अलावा पावर पर सबसिडी की वजह से कितना बर्डन पडा है? जिस कमेटी का जिकर इन्होने अपने जवाब मे किया है उसको क्या गाइडलाइन्ज दी है, उस कमेटी द्वारा रिपोर्ट देने के बारे मे कोई टाईम फ्रेम किया है या नही? वह कमेटी कर बढाने के लिए बनाई गई है या कम करने के लिये बनाई गई है?

श्री ओमप्रका ा चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूगा कि पुरानी सरकार ने भाराबबंदी की आड मे जो टैक्स बढाया थे उन टैक्सो को नये सिरे से रिव्यू करने के लिये हमने कैबिनेट की एक सब कमेटी का गठन किया है। उस कमेटी की चार बैठके भी हो चुकी है।हमारी सरकार की मं ाा पुरानी सरकार की तरह नही है कि केवल

कमेटी मुकर्रर कर दे और उसकी रिपोर्ट को इम्लीमैट न करे। हम बिल्कुल ईमानदारी से इस बात के पक्षधर है कि पुरानी सरकार द्वारा टैक्सो का जो नायायज बोझ बढाया गया है हम उन सारे टैक्सो को रिव्यू करेगे। जंहा तक पावर पर सबसिडी वाली बात है यह इर रेलिवेट बात है। माननीय सदस्य एक जिम्मेवार सदस्य है ये बीच मे पावर पर सबसिडी की बात कहा से ले आए।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पैसिफिक प्र न यह है कि पिछली सरकार ने प्रोहिबि ान के दौरान टोटल कितने टैक्स लगाए जिनकी वजह से स्टेट के लोगो पर बर्डन पडा है उस समय हम सब विपक्ष मे बैठकर कहा करते थे कि प्रोहिबि ान की आड मे चौधरी बंसी लाल की सरकार ने 1500 करोड रूपये के टैक्स लगा दिय, आज मे मुख्यमंत्री इस समय सब टैक्सो को विद ड्रा करने की बात किया करते थे। मै तो सिर्फ इनसे यह जानना चाहता हू कि ऐसे टोटल टैक्स कितने है और कमेटी के लिए कितना टाईम फ्रेम रिव्यू करने के लिये रखा गया है वह कमेटी कर बढाने के लिये बनी है या कर कम करने के लिए बनी है।

श्री ओमप्रका ा चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैने अभी माननीय सदस्य को बताया भी है और इस बात को पुन दोहरा रहा हू कि पुरानी सरकार ने जो टैक्स गैर जरूरी तरीके से लगाये थे उनको रिव्यू करने के लिए ही हमने उस कमेटी का गठन किया है। जंहा भी यह महसूस होगा कि गलत तरीके से टैक्स लगाये

गये जिसकी वजह से व्यापारियों को नुकसान हुआ, उपभोक्ताओ को नुकसान हुआ उस किस्म के टैक्सो को हम घटायेगे। कमेटी अपनी जो रिपोर्ट देगी उसको हम ज्यों का त्यों लागू करैगे।

श्री अतर सिंह सैनीः अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्पैसिफिक सवाल है। क्या माननीय मुख्यमंत्री महोदय बताएगे कि पिछली सरकार ने प्रोहिबि ान के नाम पर कितने टैक्स लगाये हैं?

श्री ओमप्रका ा चौटालाः अध्यक्ष महोदय, अमाउट तो हर साल बदलता है। हमने इसीलिये कमेटी मुकर्रर की है। वह सारी जांच पडताल करेगी और देखेगी कि कहां कहा कितने कितने टैक्स लगाए गये है उसको पूरी तरह से रिव्यू करेगी ताकि हम व्यापारियो को और उपभोक्ताओ को लाभ पहुंचा सके।

श्री जगन नाथः स्पीकर साहब, मै मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हू कि उस कमेटी की रिपोर्ट कब तक आ जाएगी?

श्री ओमप्रका ा चौटालाः यह कोई बाइंडिग नही है कि उस कमेटी की रिपोर्ट कब तक जा जाएगी। यह बहुत अहम मुददा है। आप भी उस समय की सरकार मे भाामिल थे। उस समय आप लोगो ने भाराबबंदी के दौरान भाराब की बडी तस्करी की थी। आप लोगो ने उस समय स्टेट का बडा भारी नुकसान किया था। आप लोगो ने उस दौरान अपनी जेबे भरी थी। हम उस कमेटी को यह अख्तयार भी देने के बारे मे विचार कर रहे है कि उस समय

तस्करी करने वाले लोगो के खिलाफ क्या एक ान लिया जाए ताकि इस मामले को भी वह कमेटी देख सके।

श्री जय सिंह राणाः स्पीकर साहब, भाराबबंदी की आड मे प्रदे ा की जनता पर जो टैक्स लगाए गए वह कितने थे। इस बारे मे भी मुख्यमंत्री जी जवाब दे।

श्री अध्यक्षः यह सवाल पहले आ चुका है।

श्री जय सिंह राणाः स्पीकर साहब, मेरे सवाल का जवाब नही आया है। (ाोर)

कैप्टन अजय सिंह यादवः स्पीकर साहब, मै सरकार के जवाब से सतुश्ट नही हू। आप सरकार से कहे कि वे इस बारे मे सही जवाब दे।

श्री अध्यक्षः इस सवाल का जवाब पहले भी आ चुका है अत आप अपनी सीट पर बैठे। अब अगला सवाल होगा।

वाक आउट

कैप्टन अजय सिंह यादवः स्पीकर साहब, अगर सरकार की तरफ से मेरे इस सवाल का सही तरीके से जवाब नही दिया जाता है, तो मै इसके विरोध मे सदन से वाक आउट करता हू।

(इस समय कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य कैप्टन अजय सिंह यादव सदन से वाक आउट करे गये।)

तारांकित प्र ान एवम उतर (पुनरारम्भ)

1023. Shri Balbir Singh: Will the Minister be pleased to state whether there is any propsal under consideration of the Government of construct the following in complete roads of district Rohtak on priority basis:-

(I) from Nidana to Bahu Akarpur,

(ii) from Babu Akarpur to Kharkara (via Mokhra)

(iii) from Ajaib to Girawar;

(iv) from Bahlba to Kalinga;

(v) from Sirsa to Rahlaba;

(vi) from Bhaini Chandarpal to Bhaini Surjan;

(vii) from Bainsi to Ajabib; and

(viii) from Pharmana to Gugheri?

श्री ओमप्रका ा चौटाला: हां श्रीमान जी, क्रम संख्या 5 पर वर्णित सडक के अतिरिक्त।

श्री बलबीर सिंह: स्पीकर साहब, मै मुख्यमंत्री जी के जवाब से सतुश्ट हू।

Withdrawal fo Cases from Supreme Court

998. Capt. Ajay Singh Yadav: Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration to the Government to withdraw the writ

petition regarding implementation of descision of Eradi Tribubnal or any other writ petition pending in the Supreme Court in respect of the Ravi Beas water dispute with Punjab or any other State?

श्री ओमप्रका ा चौटालाः जी नही, हरियाणा सरकार के विचारधीन, वर्श 1996 मे माननीय सर्वोच्च न्यायालय मे एस0वाई0एल0 नहर को भीघ्र मुकम्मल करवाने के लिये दरार किये गये मुकदमे को वापिस लेने का कोई प्रस्ताव नही है। इसके अतिरिक्त इराडी ट्रिब्यूनल के फेसले को लागू करवाने के लिए हरियाणा सरकार ने किसी और न्यायालय मे कोई और मुकदमा दायर नही किया।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से मत्री जी से जानना चाहता हू कि जिस प्रकार से कावेरी ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट थी उसको लागू करवाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी क्या उस प्रकार की कोई कमेटी इराडी ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट लागू करवाने के लिए बनाने के बारे मुख्यमंत्री जी ने केन्द्रीय सरकार से कोई बातचीत की है ताकि एस0वाई0एल0 नहर का पानी हरियाणा को मिल सके। क्या मुख्यमंत्री जी ऐसी कोई कमेटी गठित करवाएगे? मुख्यमंत्री चौधरी ओमप्रकार चौटाला जी के पजांब के मुख्यमंत्री जी के साथ अच्छे संबध है क्या केन्द्र सरकार से ऐसी कोई कमेटी गठित करवाएगे जो इराडी ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट को लागू करवाए ताकि हमे एस0वाई0एल0 का पानी मिल सके।

श्री ओमप्रका ा चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मै माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हू कि इराडी ट्रिब्यूनल ने अपनी रिपोर्ट जून 1987 मे दी थी जिसके अन्तर्गत पजांब रीवर्ज का पानी बांटा गया था। उस रिपोर्ट के मुताबिक पजांब को 5 एम0ए0एफ0 पानी मिलना था और हरियाणा को 3.63 एम0ए0एफ0 पानी मिलता था। इसी मुददे को लेकर सरकार 1996 मे सुप्रीम कोर्ट मे चली गई। उसके बाद वहां से 1998 मे उसका जवाब आया था। (विघ्न)

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मै आदरणीय मुख्यमंत्री से सीधा सा सवाल पूछना चाहता हू कि जिस प्रकार से कावेरी ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी क्या इसी प्रकार की कोई कमेटी यहां पर बनवा कर उसको लागू करवाने बरे सरकार ने भारत सरकार को कहा है?

श्री ओमप्रका ा चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मे मै माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहूगा कि उस वक्त जो फेसला हुआ था वह आपकी पार्टी की सरकार के समय मे हुआ था। उसके बाद भी कई दफा आपकी पार्टी की सरकार बनी। केन्द्र मे हरियाणा पार्टी की तो एक दफा सरकार बनी थी। उस वक्त हमने इस नहर को मुकम्मल करवाने का काम बी0आर0ओ0 को दे दिया था। उसके बाद जब आपकी पार्टी की सरकार आई तो आप लोगो ने हमारे उस फेसले को वापिस ले लिया ताकि हरियाणा

प्रदे ा बर्बाद हो जाये। इसी सदन के सदस्य रहे कांग्रेस के वरिश्ठ नेता श्री भाम ोर सिंह सुरजेवाला जे, जो इस समय राज्य सभा के सदस्य है, इस नहर का काम बी0आर0ओ0 से न करवाने की रिक्वैस्ट राज्य सभा मे की थी। अध्यक्ष महोदय, जिस ढंग से ये लोग काम करते हे उस ढंग से तो इनके लिए अच्छी बात नही है।

कैप्टन अजय सिंह यादवः मेरी तो मुख्यमंत्री जी से यही प्रार्थना है कि कृपया वे बताएं कि क्या इराडी ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए इनकी तरफ से कोई कदम उठाये गये है या नही। यदि इस बारे मे कोई कार्यवाही की गई है तो वह सदन को बताए।

श्री ओमप्रका ा चौटालाः बदकिस्मती से ये ला ग्रेजुएट है। जब कोई मामला सब जुडिस हो तो उस पर क्या ऐक ान होना चाहिए या नही होना चाहिए, यह इनको पता ही नही है।

श्रीमती करतार देवीः अध्यक्ष महोदय, बार बार समाचार पत्रो मे इस प्रकार की बाते आ रही है कि प्रका ा सिंह बादल और चौटाला साहब बातचीत के जरिये इस मसले को सुलझा लेगे। मै जानना चाहती हू कि इस मामले मे पजांब के मुख्यमंत्री से कितनी बार बातचीत हुई है? क्या इनको उनके साथ बातचीत करने का इरादा है या नही। साथ ही साथ ये यह बता दे कि सुप्रीम कोर्ट मे यह मामला किस स्टेज पर है ?

श्री ओमप्रका ा चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मै इस बात का पक्षधर हू कि जो भी ऐसे डिस्पयूटिड मसले है उसको बातचीत के जरिये हल कर लिया जाये। हम लाठी गोली से कोई मामला हल करना नही चाहते। हम आपसी मे वि वास रखते है। हर मामले का हल बातचीत से जरूर निकलेगा।

श्रीमती करतार देवी: आप यह बताए कि इस मामले को हल करने के लिए आप कितनी दफा बादल साहब से मिले। कितनी दफा मत्रियो की बात हुई और कितनी दफा सैक्रेटरीज लैवल पर बात हुई, वह आप बताए?

श्री ओमप्रका ा चौटाला: करतार देवी जी भाायद आप अखबार ठीक ढंग से नही देखती। 28 तारीख को प्रका ा सिंह बादल भााहबाद मे आए थे। उस दिन का अखबार आप पढ कर देखे। उसमे उन्होने कहा है कि हम ऐसे डिस्प्यूटिड मसलों का हल बातचीत से निकाल लेगे।

Consturction of Water Works

1010. Shri Balbir Singh: Will the Minister of State for Public Health be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the foundation stone for the construction of water works, Behlamba was laid down in the year, 1990:

(b) whether is is alos a fact that the aforesaid water works have not been made functional so far;

(c) if so, the tiem by which the warter works referred to in part (a) above is likely to start functioning; and

(d) the time by which the regular supply of water will be made in Bhairon-Bhaini, Khari Meham, and outer colony of Meham, Town, Kishangarh, Ganga Nagar and Titri?

जन स्वास्थय राज्य मंत्री(श्री जसवन्त सिंह बावल):

(क) जी नहीं।

(ख और ग) जी नही, मार्च, 1997 से बहलम्बा जलघर के पहले चरण मे पीने के पानी की सप्लाई 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन की दर से कार्यान्वित कर दी गई थी जलघर का भोश कार्य प्रगति पर है तथा मार्च, 2000 तक सम्पन्न कर लिया जायेगा।

(घ) गांव भैरो भैणी और तितरी को 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन की दर से पीने का पानी दिया जा रहा है। गांव खेडी महम और गंगानहर को 25 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से पानी दिया जा रहा है। नहरी पानी की कमी के कारण गांव कि ानगढ मे पीने के पानी की कुछ कमी थी जिसके लिए आव यक कार्यवाही की जा रही है।

महम भाहर की तीन बाहरी बस्तियो को इस समय पीने का पानी नही दिया जा रहा, जिसके लिए मामला विचाराधीन है। (विघ्न)

श्रीमती करतार देवीः मैने वह अखबार भी पढा है। आप वह बताए कि इस मसले को हल करने के लिए कोई पत्र उनको लिखा है या नही?

श्री ओमप्रका ा चौटालाः हम दोनो मुख्यमंत्री मिले है। हम इस मसले का समाधान कर रहे है। आपकी ही पार्टी के पजाब के मुख्यमंत्री ने तो यहां तक कह रखा है कि हम एक बून्द पानी भी नही देगे। (ाोर एवम व्यवाधान) जो ब्यान देने वाले होते है वे किसी मसले का समाधान नही करते। मुझे यकीन है कि हम आपसी बातचीत से इस मसले का हल निकालने मे सफल होगे।

श्रीमती करतार देवीः हमारी पार्टी के पजांब के किसी मुख्यमंत्री ने नही कहा कि एक बून्द पानी नही देगे।

श्री ओमप्रका ा चौटालाः पजांब मे सरदार हरचरण सिंह बराड जो मुख्यमंत्री रह चुके है उनका ब्यान पढ कर देखे। इसी प्रकार से स्वर्गीय बेअन्त सिंह का ब्यान पढे। उन्होने कहा है कि हम एक बून्द पानी हरियाणा को नही देगे। साथ लगता सचिवालय पंजाब का भी है आप वहां से उनके समय का रिकार्ड निकलवा कर देखे ले कि उन्होने ऐसा कहा है या नही कहा है।

श्रीमती करतार देवीः मै आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूगी कि चाहे एस0वाई0एल0 नहर बनाने की बात हो, चाहे इराडी ट्रिब्यूनल का फेसला हो या इसके लिए जमीन एक्वायर

करने की बात हो, यह सब काग्रेस पार्टी की सरकार के वक्त की फेसले हुए है।

श्री अध्यक्षः बहन जी, आप अपना सवाल पूछे। अगर आप सवाल पूछना नही चाहती है तो आप अपनी सीट पर बैठे। (विघ्न)

श्रीमती करतार देवीः अध्यक्ष महोदय, मै सवाल ही पूछ रही हू कि सरकार ने जो बातचीत की है वह किस स्तर पर हुई है। इस बातचीत मे कोई प्रगति भी हुई है या केवल अखबारो की ही ब्यानबाजी है?

श्री अध्यक्षः ठीक है, अब आप अपनी सीट पर बैठे।

श्री ओमप्रका ा चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मै बहन जी के हर सवाल का जवाब दूगा। वे चाहे जितने भी प्र ान पूछे मे इनकी तसल्ली करवाऊगां। अध्यक्ष महोदय, मै इनसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूगा कि 21.2.1991 को जब केन्द्र सरकार के मुखिया श्री चन्द्र भोखर जी थे तो उनसे हमने यह कहा था कि एस0वाई0एल0 नहर को जल्दी से जल्दी मुकम्मल करवाया जाए। उन्होने इसका काम बी0आर0ओ0 को सौंप दिया था। बहन जी कम से कम मुझे यह बताए कि जब केन्द्र मे काग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो उन्होने उस बात को विदड्रा क्यो नही किया था। जल के बटवारे का फेसला कांग्रेस सरकार का ही था हमने कांग्रेस सरकार के फेसले को भी इम्लीमैंट करने के लिए उस वक्त

भरसक प्रयास किया था लेकिन आपकी पार्टी की सरकार ने हर बार वक्त आने पर उसमे बाधा डालने का काम किया। बहन जी बताए कि आपकी पार्टी की सरकार ने यह फेसला विदड्रा क्यो किया ?

श्री अतर सिंह सैनीः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुंख्यमंत्री जी ने अभी बताया है कि पजांब का हिस्सा 5 एम0ए0एफ0 है और हरियाणा का हिस्सा 3.63 एम0ए0एफ0 है तथा जल विवाद के बारे मे पजांब सरकार से बातचीत चल रही है। अध्यक्ष महोदय, बातचीत से मसलों का हल निकाला जाए यह बहुत ही अच्छी बात है। मै आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी यह जानना चाहूगा कि पानी के बटवारे मे हरियाणा का अपना स्टैड क्या है तथा क्या हमारा जो 3.63 एम0ए0एफ0 का हिस्सा है वह कम तो नही होगा?

श्री ओमप्रका ा चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहूगा कि इराडी ट्रिब्यूनल के तहत हमे जो हिस्सा मिला था, उस बात को इम्पलीमैट करवाने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट मे गई है। हम अपना हिस्सा किसी को भी देने को तैयार नही है। हम अपना हक लेना जानते है और हमने हक लिये है हम इन लोगो की तरह से भागने वाले नही है।

श्री बलबीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हू कि महम के बाहरी एरिया

मे कई बस्तियां बस गई है लेकिन उसमे पीने के पानी का प्रबन्ध नही है। वहां पर पीने का पानी कब तक दिया जाएगा ?

श्री जसवन्त सिहः स्पीकर साहब, समय के साथ साथ महम नगरपालिका की सीमा के बाहर तीन कालोनियां बस गई है।वहां पर उजाला नगर, सुभाश नगर तथा भगत सिह नाम की कालोनियां निर्मित हो गई है। इन कालोनियो मे अभी तक पेयजल की कोई व्यवस्था नही की गई है। अभी तक इन कालोनियो को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नही हुई है। सरकार की नीति के अनुसार पेयजल की आपूर्ति केवल मान्यता प्राप्त कालोनियों मे या भाहरो मे की जाती है। स्पीकर साहब, यह सुविधा अमान्य कालोनियों को भी प्रदान की जा सकती है। यदि इन कालोनियों के निवासी अपनी नगरपालिका को विकास देय धन उपलब्ध करवाए और इन कालोनियां को सरकार मान्यता प्रदान के तो इन कालोनियो को सरकी मान्यता प्राप्त करने के बाद पेयजल की आपूर्ति की जा सती है। इसके लिए अनुमानतः 5 लाख रूपये के लगभग रा ि ा की आव यकता होगी।

श्री कृश्णपाल गुर्जरः अध्यक्ष महोदय, कल मुख्यमंत्री जी ने प्रति दिन व्यक्ति 50 से 70 लीटर पानी देने की बात की थी। मै जानना चाहता हू कि क्या सरकार के पास कोई ऐसा मामला विचारधीन है कि जिन जिन गावो मे 50 से 70 लीटर पानी दिया जाएगा उन गावो मे लोगो को पीने के पानी के घरेलू कनैक ान दिए जाएगे यदि हां, तो कब तक देगे ?

श्री जसवन्त सिंह बावलः स्पीकर साहब, मै आपके माध्यम से अपने साथी विधायक को बताना चाहूगा कि 1996 से पहले प्रति व्यक्ति प्रति दिन के हिसाब से 40 लीटर पानी देने का डिसीजन था फिर 1996 के बाद 50 लीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रति दिन कर दिया गया। जिन गावो मे 40 लीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रति दिन और 30 लीटर प्रति प ा प्रति दिन यानि कुल मिलकर 70 लीटर हो गया उन गावो मे सरकार हर घर मे पीने के पानी के कनैक ान देने के लिए तैयार है। अगर ऐसा कोई मामला विधायक जी की नालेज मे है तो हमे बात दे हम उस गांव के घरेलू कनैक ान देने पर विचार करेगे। (विघ्न)

श्री ओमप्रका ा चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मै माननीय सदस्य की जानकारी के लिए और सदन की जानकारी के लिए यह भी बताना चाहूंगा कि कुछ पर्टीकुलर एरिया मे और खासतौर पर जिस एरिया के बारे मे यह प्र ान पूछा गया है वहां पर 110 लीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रति दिन देने का भी प्रस्ताव विचारधीन है।

श्री सतनारायण लाठरः स्पीकर साहब, जीन्द जिले मे कुछ वाटर वर्कस की स्कीमे है,जैसे डगाना है क्या वहां पर भी 110 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन देने का कोई प्रवाधान है?

श्री ओमप्रका ा चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से बताना चाहूगा कि यह सवाल केवल महम का है और इसके बारे मे बता दिया गया है। (विघ्न)

श्री बलबीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूगी कि महम की बाहरी बस्तियो मे पीने के पानी की सप्लाई देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचारधीन है, अगर है तो वह कब तक दे दी जाएगी?

श्री जसवन्त सिंह बावलः मै माननीय सदस्य को इसके बारे मे पूरी डिटेल बता चुका हू। महम भाहर की जो 3 बस्तिया है जिनमे इस समय पानी नही दिया जा रहा है उसके बारे मे मामला सरकार के विचारधीन है।

श्री धर्मबीर गाबाः अध्यक्ष महोदय, कुछ कालोनीज मे वाटर वर्कस का पानी सालटि ा हो गया है। उसके लिए इन्होने क्या प्रबन्ध किया है। क्या से वहां पर नहरो से पीने का पानी देगे। क्या ऐसे कोई मामला सरकार के विचारधीन है?

श्री ओमप्रका ा चौटालाः मै गाबा साहब की जानकारी के लिए बताना चाहूगा कि सरकार इस बात के प्रयास मे है कि हर किसी को पीने का स्वचछ पानी पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध हो। कल भी मैने सदर को बताया था कि जिन वाटर वर्क्स मे खाली द्वारा नहरो से पानी आता है हम उन वाटर वर्क्स को जमीन के अन्दर पाईप द्वारा पानी भेजेगे। (विघ्न) जहां कही फ्लड की वजह से

वाटर वर्कस खराब हो गए वहां पर भी सरकार कोि ा ा कर रही है कि नए वाटर वर्कस बनाए जांए ताकि पुरानी सरकार जो लोगो की जान से खेलती थी वह हमारे द्वारा न हो। हम ऐसा कोई भी कदम नही उठाएगे। (विघ्न)

श्री धर्मबीर गाबा: अध्यक्ष महोदय, कुछ ऐसी कालोनीज है जो न तो पचांयत मे आती है और न ही म्यूनिसिपल कमेटी मे आती है। उनके पास पीने का पानी बिल्कुल नही है। ऐसी कालोनीज मेरी कांस्टीचुएंसी मे बहुत है। मै आपसे निवेदन करना चाहता हू कि क्या आपके पास उनके लिए पीने का पानी देने का कोई मामला विचारधीन है?

श्री ओमप्रका ा चौटाला: अध्यक्ष महोदय, सरकार इस बात के लिए वचनबद्ध है कि हरियाणा प्रदे ा के हर आदमी को पर्याप्त मात्रा मे पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाए।

श्री अध्यक्ष: आनरेबल मैम्बर्ज, अब प्र ान समाप्त होते है।

श्री ओमप्रका ा चौटाला: अध्यक्ष महोदय, क्योंकि अब कोई प्र न बाकी नहीं रहा इसलिए अब यह सदन साढे दस बजे तक के लिए उठ जाएगा। (विघ्न) मेरी विरोधी पक्ष के भाईयो के लिए इससे ज्यादा बेइज्जती की बात कोई और नही हो सकती है। इनका तो दिवाला ही पिट गया। मेरे विरोधी पक्ष के भाई किसी भी मामले मे सीरियस नही है। अब 40 मिनट तक हमे बाहर

इन्तजार करना पडेगा। आप प्रदे ा की जनता को जाकर क्या जवाब देगे। अगर माननीय सदस्य बलबीर सिंह के प्र ान न होते तो प्र ान काल बहुत ही जल्दी समाप्त हो गया होता। अध्यक्ष महोदय, यह तो इनके हालात है। (विघ्न) कायदे के मुताबिक तो जीरो आवर भाुरू हो गया है और प्र ान काल समाप्त हो चुका है। (विघ्न)

श्री सतपाल सांगवानः मेरे पास से क्वै चंज है और आपके पास सैक्रेटरी ने भी एग्री किया था कि अगर आप भाोर्ट नोटिस पर क्वै चंज दे देगे तो आपके क्वै चंज लग जाएगे। अध्यक्ष महोदय, दिवाला हमारा नही बल्कि इनका पिटा है।

श्री अध्यक्षः लेकिन आपके तो भाोर्ट नोटिस पर भी क्वै चन नही आए है। (विघ्न)

श्री सतपाल सांगवानः अध्यक्ष महोदय, आप अपने सैक्रेटरी से पूछे। कैप्टन साहब और बिजेन्द्र कादयान भी मेरे साथ थे।

श्री अध्यक्षः किसी ने भी अपने क्वै चंज लगाने के लिए भाोर्ट नोटिस नही दिया है। (ाोर एवम व्यवधान) मै आप सबको आपके क्वै चंज दिखा दूगा। (विघ्न) आप मेरे चैम्बर मे आ जाना। मै आपको सारे क्वै चज दिखा दूंगा। (ाोर एवम व्यवधान)

श्री सम्पत सिहः सर, मै भी कुछ सबमिट करना चाहता हू।

श्री अध्यक्षः जो भी क्वै चन हमारे पास आये थे, वह सारे लग गये है।

श्रीमती करतार देवीः अध्यक्ष महोदय, कल से मुख्यमंत्री जी बार बार यही बात कह रहे है कि विरोधी पक्ष के सदस्य सीरियस नही है। हम तो सीरियस है। हमने अपने चार सवाल दिये थे लेकिन वे एडमिट ही नही किये गये है। सबसे ज्यादा दुर्भाग्य की बात तो यह है कि ये दस सवालो के जवाब कहा से देगे इनसे आज के चार सवालो की सप्लीमैट्रीज के जवाब ही नही दिये जा रहे है। (ाोर एवम व्यवधान)

श्री अध्यक्षः बहन जी, 15 दिन के नोटिस पर क्वै चन आते है इस दौरान हमारे पास जितने क्वै चन आये थे, से सारे एडमिट कर लिये है।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो मुख्यमत्री जी हमारे ऊपर बार बार आरोप लगा रहे है कि अपोजी ान वाले सीरियस नही है और दूसरी तरफ हमारे कम से कम 50 क्वै चंन जो हमने दिये हुए थे, उनको एडमिट नही किया गया है। (ाोर एवम व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कैप्टन साहब, आपके जो क्वै चंज आये थे हमने माने है। (ाोर) आपके यह क्वै चंज पहले इसलिए ले लिए गये थे कि सै ान लम्बा चलेगा लेकिन सै ान केवल दो दिन ही

चलेगा इसलिए आपके दिए हुए क्वै चंज आज की लिस्ट मे नही आ सकते थे।

श्रीमती करतार देवी: जब आपने हमारे चार क्वै चन एडमिट कर लिये तो हमारे और क्वै चन भी आप एडमिट कर सकते थे। (ाोर)

श्री जगन नाथ: अध्यक्ष महोदय, विकास पार्टी के चार सदस्य जो मंत्री बनाए थे वे गावब हो गये है सरकार हमे बताए कि वे कहा पर है। (ाोर)

वित मंत्री (प्रो0 सम्पत सिंह): स्पीकर साहब, अभी मैम्बर साहेबान ने अपने अपने सवालो के बारे मे चर्चा की, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने इस बारे मे सही फरमाया था। वैसे इस बारे मे रूल्ज भी है और ये रूल्ज केवल हमारे ही बनाये हुए नही है। छतर सिंह चौहान भी अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने थे यह दूसरी बात है कि इस कुर्सी का इन्होने क्या हाल किया ? लेकिन हरियाणा विधानसभा के रूल्ज आफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट आफ बिजनेस की बुक मे इस बारे मे दिया हुआ है।

प्रो0 छत्तर सिह: स्पीकर साहब, ये बार बार हाउस को गुमराह कर रहे है। इन्होने बिजली के बारे मे भी असत्य बाते कही है। (ाोर एवम व्याधान)

श्री सतपाल सांगवान: स्पीकर साहब, मै आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से जानना चाहता हू कि जो ये बारे बार चौहान

साहब को श्रंद्धाजति देने की बात करते है तो कही, इनका उनको मारने का तो कोई चक्कर नही है। (ाोर)

श्री ओमप्रका ा चौटालाः अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार के फेसले के मुताबिक जानवरो और प ाुओ को मारने पर पांबदी लगी हुई है। मै कोई ऐसा काम नही करूंगा। (हंसी)

Shri Satpal Sangwan: Such Comments are not expected form your side. (ाोर एवम व्याधान) मुख्यमंत्री जी अपने भाब्द विदड्रा करे। (ाोर एवम व्याधान)

श्री अध्यक्षः सांगवान साहब, अप बैठ जाइए।

श्री ओमप्रका ा चौटालाः अध्यक्ष महोदय, विदड्रावल का कोई सवाल ही पैदा नही होता कोई विदड्रावल नही होगी। मैने जो कहा है उसे रिकार्ड मे से निकालकर देखा जाए। मैने कोई गलत बात नही कही है। (ाोर एवम व्याधान)

श्री सतपाल सांवानः आप लीडर आफ दि हाउस है। आपको ऐसी बात नही करनी चाहिए। मै कह दूंगा तो कैसा लगेगा।

श्री ओमप्रका ा चौटालाः मै पुनः अपनी बात पर जोर देकर फिर कह रहा हू कि हरियाणा सरकार का फेसला है कि हम किसी जीव और जानवर को नही मारेगे। (ाोर एवम व्याधान)

जीव और जानवर को मारने से जो दोशी पाया जाएगा उसके खिलाफ ऐक ान जाएगा।

श्री सतपाल सांगवानः मैने आपसे श्रद्धाजलि के बारे मे पूछा था। आप बार बार कर रहे थे कि इनको श्रद्धाजलि दी जाए।

श्री ओमप्रका ा चौटालाः श्रद्धाजलि मरने के बाद दी जाती है जीवित आदमी को श्रद्धाजलि नही दी जाती है।

श्री सतापाल सांगवानः आप बार बार कह रहे थे कि छतर सिंह चौहान को श्रद्धाजलि अर्पित करो। (ाोर एवम व्याधान)

श्री मनी राम गोदाराः आप टौटिग वे मे लफ्ज कहते है, हर किसी पर अटैक करते है तो उसका रिएक ान तो होगा।

श्री ओमप्रका ा चौटालाः जो सम्मानित सदस्य है, उनका मै पूरा सम्मान करता हू। मै अपनी बात को बार बार दोहाराऊगा और फिर दोहरा रहा हू कि हरियाणा सरकार का फेसला है कि हम किसी जीव और जानवर को नही मारेगे।

श्री सतपाल सांगवानः श्रद्धाजलि कहने का क्या मतलब है। मेरा क्वै चन यह नही था। (ाोर एवम व्याधान)

श्री अध्यक्षः सांगवान साहब, आप बैठ जाइए।

नगर एवम ग्रामीण आयोजना मंत्री (श्री धीरपाल सिंह): मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल ठीक कहा कहा है कि मुढाल खुर्द के लोगो ने पूर्व स्पीकर साहब को जनाजा निकाला। (ाोर एवम व्याधान)

प्रो0 छतर सिंह चौहानः मेरा कोई जनाजा नही निकला। जनाजा आपका भी निकाला था 1996 के चुनाव मे आज के मुख्यमंत्री की तीनो पिढियां साफ हो गई थी। (ाोर एवम व्याधान)

श्री धीरपाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने तो यही कहा है कि प्रदे ा के अन्दर हम जीवो और प ाुओ को नही मारेगे। (विघ्न)

श्री सतपाल सांगवानः अध्यक्ष महोदय, इस हाउस मे प ाु और जानवर नही बैठे, बल्कि विधायक बैठे हुए है।

श्री धीरपाल सिहः अध्यक्ष महोदय, विधायक भी तो जीव है।

श्री मनीराम गोदाराः अध्यक्ष महोदय, एक बात मै जरूर कहना चाहूगा कि अगर मुख्यमंत्री की मन्ा हर बात टोंटिग वे मे कहने की है, तो यह वैसे भी दिखाई दे जायेगा। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मेरी बात खत्म नही हुई है। सवाल यह नही है कि भेजे नही है या भेजे है मगर हमने इस सदन की कार्यवाही मे हिस्सा

तो लिया है। परन्तु आप जब विपक्ष मे होते थे तो पिछले तीन सालो मे आप इस सदन मे तीन घण्टे भी नही बैठे थे। (विघ्न)

श्री सतपाल सांगवानः अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नही आया।

श्री ओमप्रका ा चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैने इनके सवाल का जवाब दे दिया।

श्री सतपाल सांगवानः अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी मेरी बात नही सुन रहे है बल्कि गोदारा साहब की बात सुन रहे है।

श्री ओमप्रका ा चौटालाः अध्यक्ष महोदय, गोदारा साहब मेरे बाप के फौलोवर है और सतपाल सांगवान जी तो दिन मे चौधरी बंसीलाल जी के साथ रहते है और रात को मेरे पास आ जाते है। (विघ्न)

श्री मनीराम गोदाराः स्पीकर साहब, यह छेडाछेडी का माहौल तो चलता ही रहेगा, आप अपनी कार्यवाही चलने दे। (इस समय हरियाणा विकास पार्टी के कई सदस्य बोलने के लिए खडे हो गये।)

श्री अध्यक्षः मेरी सभी माननीय सदस्यो से अपील है कि वे एक एक करके बोले, ऐसा न हो कि एक साथ चार चार सदस्य खडे हो जाये।

प्रो0 छतर सिंह चौहानः अध्यक्ष महोदय, आप दो दिन से देख रहे है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कितने अप भाब्दो का प्रयोग कर रहे है। ये कभी किसी एम0एल0ए0 को जानवर कहते है, किसी एम0एल0ए0 की भाहादत करने को कहते है और किसी एम0एल0ए0 को कूडा करकट करते है। इन्होने कहा कि हरियाणा विकास पार्टी से सही आदमी तो मैने अपनी पार्टी मे ले लिए बाकी तो उसमे कूडा करकट रह गया। स्पीकर साहब, मेरी आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से गुजारि ा है कि हाउस की कुछ मर्यादाएं होती है और एक मुख्यमंत्री होने के नाते उनका उतरदायित्व बनता है कि वे इस प्रकार के भाब्दो का इस्तेमाल न करे। मेरी आपसे गुजारि ा है कि आप मुख्यमंत्री जी को कहे कि वे अपने भाब्द को वापस ले वरना हम इस सदन को छोडकर चले जायेगे।

श्री ओमप्रका ा चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मै आपके द्वारा सम्मानित सदस्य श्री छत्तर सिंह चौहान से एक बात पूछना चाहता हू कि जब वे पिछली सरकार के भाासन के दौरान अध्यक्ष की चेयर पर बैठा करते थे तो कितनी गरिमा मे रहते थे। ये कहा करते थे कि मै किसी के रहमोकरम से अध्यक्ष की कुर्सी पर नही बैठा बल्कि अपले बलबूते पर बैठा हू।

श्री ओमप्रका ा चौटालाः अध्यक्ष महोदय, अब ये विपक्ष मे किस के रहमोकरम से बैठे है। इनके इस सवाल का जवाब इनको मिल गया है क्योंकि चौहान साहब अपनी हैसियत के मुताबिक विपक्ष मे आ गये है इन्होने अध्यक्ष पद की गरिमा को

बिगाडा है, इस बात का पता पुराना रिकार्ड उठाकर लगाया जा सकता है।

प्रो0 छत्तर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैने हाउस की गरिमा की बात कही। भाायद मुख्यमंत्री जी को सुनाई नही दिया। (विघ्न)

श्री सतपाल सांगवानः अध्यक्ष महोदय, चौटाला साहब इस हाउस के लीडर है और इनका हर भाब्द काउंट होता है इसलिए इनको जो भी बात बोलनी है, वह सोचकर बोलनी चाहिए। (विघ्न)

श्री ओमप्रका ा चौटालाः अध्यक्ष महोदय, कही ये सिख समाज से सम्बन्धित होते तो ये तनखैया करार दिए जाते और ये गुरूद्धारे मे जूते साफ करते, बर्तन साफ करते। प्रात्यि चत के भी कई तरीके होते है। (ाोर)

ध्यानाकर्शण प्रस्ताव

(1) हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही मे बनाई गई औधोगिक नीति मे कृशि आधारित उधोगो को बढावा न देने संबधी

श्री अध्यक्षः मुझे श्री कर्ण सिंह दलाल, एम0एल0ए0 की और से हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही मे बनाई गई औधोगिक नीति मे कृशि आधारित उधोगो को बढावा न देने के बारे मे ध्यानाकर्शण प्रस्ताव का नोटिस प्राप्त हुआ है। मै इसे मजूंर करता

हू। श्री कर्ण सिंह दलाल अपना नोटिस पढे, उसके बाद मुख्यमंत्री उसका जवाब देगे।

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से इस महान सदन का ध्यान एक अत्याव यक लोक महत्व की ओर दिलाना चाहता हू कि हरियाणा द्वारा हाल ही मे बनाई गई औधोगिक नीति मे कृशि आधारति उधोगो को बढावा न देने के कारण हरियाणा के बेरोजगार युवको मे मायूसी छाई हुई है तथा कृशि आधारित उधोग चौपट होने के कगार पर है। जिसके परिणामस्वरूप हरियाण के सभी लोग वि ोशकर किसान सरकार की उक्त नई औधोगिक नीति से बहुत ज्यादा मायूस है। इसलिए सरकार से मै निवेदन करता हू कि वह सदन मे इस सम्बन्ध मे एक वक्तव्य देकर अपनी स्थिति स्पश्ट करे।

वक्तव्य

मुख्यमंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्शण संबधी

मुख्यमंत्री (श्री ओमप्रका ा चौटाला): अध्यक्ष महोदय, मै श्री कर्ण सिंह दलाल की और सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूगा कि सरकार ने नई औधोगिक नीति 11.11.1999 से लागू की है आपको भाायद याद नही होगा कि 12.10.1999 को आप मेरे साथ थे जब हम पी0एच0डी0 चैम्बर आफ कार्मस एण्ड इडस्ट्रीज की मीटिंग मे गए थे। उसके बाद मै हरियाणा चैम्बर आफ कामर्स की मीटिंग मे गया था और उनसे विचार विम र्

किया था। उसके बाद सी0सी0आई0 की मीटिगं मे हम गए थे और उनसे विचार विम र्ा हुआ था। अभी रिसैन्टली 12 तारीख को यह औधोगिक नीति लागू की है। मुझे आ चर्य और प्रसन्ना हो रही है कि नीति लागू होते ही आपके हाथ के हाथ ध्यानाकर्शण प्रस्ताव पे ा कर दिया। मीटिगो मे उन सब लोगो से पराम र्ा करके हमने एक ऐसी नीति लागू की है जिससे सही मायनो मे कुटीर उधोगो को बढाव दिया जाएगा। यह दे ा कृशि प्रधान दे ा है। इस दे ा के अधिकतर उधोग धन्धे कृशि पर आधारित है। खेत की पैदावार बढती है तो कृशि से सम्बन्धित उधोग धन्धो को बढावा मिलता है। हमने उसके दृश्टिगत एक अच्छी नीति बनाई है। जिसकी उधोगा जगत के सभी लोगो ने सराहना की है आप भी उस मीटिंग मे भाामिल थे। हमने पूरी तरह से विचार विम र्ा करके एक ऐसी नीति बनाई है जिससे प्रदे ा की सरकार को लाभ मिलेगा। 1997 की औधोगिक नीति से हमने सं ाोधन और सुधार किया है, उसके परिणाम आप देखेगे तो पूरा सदन ही नही बल्कि पूरा प्रदे ा इस बात को मान कर चलेगा कि हम औधोगिक विकास की तरफ काम कर रहे है।

माननीय सदस्य ने हरियाणा सरकार द्वारा नई औधोगिक नीति से कृशि पर आधारित उधोगो की और पर्याप्त ध्यान नही देने की वजह से बेरोजगार और जनता मे पनप रहे असंतोश की और ध्यान दिलाया है। उन्होने यह भी कहा हे कि कृशि पर आधारित उधोग हरियाणा मे समाप्ति की ओर अग्रसर है

इस कथन का पहला भाग माननीय सदस्य की नई औधोगिक नीति के बारे मे गलत धारणा पर आधारित है। जबकि वास्तव मे पहली बार राज्य की औधोगिक नीति मे राज्य के सम्पूर्ण विकास के लिए कृशि उधोग व सर्विस सैक्टर के सामेकित विकास की बात कही गई है। हरियाणा सरकार को यह विदित है कि राज्य जो एक कृशि प्रधान राज्य है का औधोगिक विकास तब तक संभव नही है जब तक कृशि पर आधारति नीति मे आर्थिक विकास बोर्ड की स्ाापना प्रस्तावित है, जो कि राज्य मे सामेकित विकास की देख रेख करेगा और आर्थिक मूल्यो मे वृद्धि के लिए कृशि उधोगो और सर्विस सैक्टर का सामेकित विकास करेगा। राज्य मे कृशि पर आधारित व फूड प्रोसैसिंग उधोगो को पांच थ्रस्ट एरिया मे रखा गया है, जिससे कि राज्य मे इन क्षेत्रो मे पूजीनिवे ा हो सके।

इस क्षेत्र मे वि ोश रियायते दी गई है। औधोगिक नीति 1999 मे इस क्षेत्र मे स्थापित इकाइयों को संचित पूंजीनिवे ा के 250 प्रति ात तक विक्रय कर की छूट देने का प्रवाधान रखा गया है। जबकि अन्य क्षेत्रो मे यह दर यदि इकाई मध्यम या उच्च स्तर की है तो 10–125 प्रति ात, अगर औधोगिक इकाई लघु स्तर की है तोयह सचित निवे ा छुट 125 से 150 प्रति ात है। आ र्चय की बात है कि इस प्रकार की छुट कृशि आधारित उधोगो पर 1997 की औधोगिक नीति मे नही दी गई थी। नीति मे यह भी प्रवाधान किया गया है कि यदि कोई

औधोगिक इकाई जिसमे निवे ा 30 करोड या इससे ऊपर है तो ऐसी औधोगिक इकाई को वि ोश प्रोत्साहन दिया जाएगा।

सरकार को यह ज्ञात है कि बिना आधारभूत सुविधाओ के विकास के कृशि उधोग उन्नति नही कर सकता। इस बात के लिए प्रयास किय जा रहे है कि वि ोश औधोगिक सम्पदा स्थापित की जाए जिसमे कोल्ड भण्डारण, फसल भण्डारण व फल तथा सब्जियो के एयर फ्रेट आदि आधारभूत सुविधाये हो। भण्डारण की कोल्उ चेन और कृशि उत्पादो के यातायात के लिए सुविधाओ को बढाने के लिए नीजि क्षेत्र मे निवे ा को भी बढावा दिया जाएगा। संस्थागत विकास के लिए उधोग निदे ाालय मे इस क्षेत्र के विकास के लिए वि ोश प्रकोश्ठ का गठन किया जा रहा है। इस प्रकोश्ठो के लिए बाहर से वि ोशज्ञो की सहायता भी ली जाएगी।

वर्तमान सरकार की नई औधोगिक नीति मे कृशि क्षेत्र के विविधिकरण को प्राथमिकता प्रदान की गई है। राज्य सरकार ने कृशि क्षेत्र से उपयोगिता के क्षेत्र मे अग्रणी संबध स्थापित करने बारे वि ोश सहमति जताई है ताकि आविश्कार एवम विकास के माध्यम से विविधिकरण लाते हुए कृशि उत्पादन बढाया जा सके। सर्विस सैक्टर का विकास वि ोश रूप से कृशि से संबंधित जैसे कि वस्तु बाजार, खाद एवम सब्जी विपणन का इस औधोगिक नीति से वि ोश उल्लेख है।

लघु स्तरीय क्षेत्र जिसमे मुख्यतः कृशि पर आधारित उधोग भाामिल है, के विकास को वि ोश प्राथमिकता प्रदान की गई है। प्रारम्भ मे इसके अन्तर्गत लघु एवम मध्यम उधमी नवीकरण कोश की स्ाापना की जायेगी। नई सरकार ने कृशि क्षेत्र को पहचाना है, जिसके जरिये हरियाणा के युवको को रोजगार के अवसर उपलब्ध होगे।

यह सत्य है कि कृशि आधारित उधोग बिखराव पर है। यह भी रिपोर्ट है कि रूगण्ता अवस्था की स्थिति फूल एवम म ारूम क्षेत्र मे फेल रही है। पिछले तीन वर्शा के दौरान औधोगिक क्षेत्रो मे रोजगार अवसरो की प्रति ातता मे कमी आई है। बाईफर मे गये बडे एवम मध्यम उधोगो मे वृद्धि हुई है। लघु स्तरीय उघोगो मे पिछले तीन वर्शा के दौरान रूगण प्रति ातता की स्थिति मे विस्तार हुआ है। इसका मुख्य कारण इस क्षेत्र की प्राथमिकता, छूट, प्रोत्साहन, आधारभूत सुविधा,विपणन की सुविधाओ मे कमी आदि है। हमारे सरकार का वचनबद्ध है कि वह कृशि आधारित उधोगो को प्राथमिकता एवम इस क्षेत्र के उधोगो को हो रही कठिनाइयो से छुटकारा दिलाया जाए।

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, जो बात मुख्यमंत्री महोदय ने बताई, वह ठीक है। आपने पिछले दिनो हरियाणा प्रदे ा के आस पास के उधोग पतियो के साथ बैठकर विचार विर्म ा किया। अध्यक्ष महोदय, आप जातने है कि हमारे दे ा की 70 प्रति ात आबादी गावो मे बसती है लेकिन दिकक्त की बात

यह है कि आज गावो मे रहने वाले बेरोजगार नौजवान जो किसान और मजदूर परिवार से सम्बन्ध रखते है के सामने अपनी आजीविका कमाने का बहुत बडा सवाल खडा हुआ है। अर्थ भाास्त्रियो ने दे ा मे आने वाले जितने अखबार है उनमे माध्यम से यह माना है और समय समय पर यह सुझाव दिए है कि दुनिया मे किसी भी दे ा की तरक्की तब तक नही हो सकती जब तक कृशि पर आधारित खाध पदार्थ और उधोगो को बढावा न दिया जाए। मै मुख्यमंत्री से यह पूछना चाहता हू कि उनका स्वंय का गावो के विकास मे अच्छा लगावा रहा है। आज हरियाणा के जो जिले दिल्ली के चारो तरफ लगते है क्या मुख्यमंत्री महोदय उन तमाम जिलो के अन्दर कोई ऐसी नीति देने की कोि ा ा करेगे जिसके तहत उन जिलो के कुछ कृशि उत्पादक कृशि पर आधारित उधोग धन्धे गावो मे जाकर लगाए। अध्यक्ष महोदय, मै माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूगा कि ये जब तक औधोगिक कृशि पर आधारित इकाईया गावो मे नही लगायेगे तक तक गावो मे बेरोजगारी दूर नही होगी। अध्यक्ष महोदय, मै माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूगा कि ये जब तक औधोगिक कृशि पर आधारित इकाईया गावा मे नही लगायेगे तक तक गावो मे बेरोजगारी दूर नही होगी। अध्यक्ष महोदय, हालैड और इजराइल दोनो ही छौटे छोटे दे ा है लेकिन ये दुनिया के कृशि प्रदान दे ा बने हुए है बडे बडे दे ा भी अपने प्रतिनिधि या अपने किसान को वहा पर जानकारी लेने के लिए भेजते है। मै मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहूगा कि उन्होने जो औधोगिक नीति बनाई है,

मै उसका विरोधी नही हू लेकिन जिस दिन मुख्यमंत्री महोदय ने यह औधोगिक नीति लागू की, उस दिन दैनिक जागरण के सम्पादकीय पृश्ठ पर इसकी चर्चा की गई कि हरियाणा प्रदे ा की नई औधोगिक नीति कृशि पर ज्यादा आधारित नही है। इस नीति से कृशि पर ज्यादा ध्यान नही दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्र ान यह है कि क्या मुख्यमंत्री महोदय गावो मे रहने वाले नौजवानो की बेरोजगारी की समस्या को दूर करेगे? क्या किसानो को उनकी फसल का उचित मूल्य मिलेगा? अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदे ा मे सोयाबीन की फसल होती है लेकिन हमारे यहां सोयाबीन का कोई भी कारखाना नही है। अध्यक्ष महोदय, मै माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यह भी जानना चाहूगा कि फलोरीकल्चर उत्पादन और जो नौजवान गांव मे रहकर सब्जिया उगा सकते है उनके बारे मे मुख्यमंत्री महोदय का क्या नजरिया है ?

श्री ओमप्रका ा चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से मेरे माननीय साथी को बताना चाहूगा कि हमारी सरकार कृशि को बढावा देने की पक्षधर है क्योकि हरियाणा प्रदे ा एक कृशि प्रधान प्रदे ा है। अगर यहा पर कृशि उत्पादन बढेगा तो नि ित रूप से कृशि के औधोगिक धन्धो मे भी बढौतरी होगी। अध्यक्ष महोदय, हम चाहते है कि हमारे प्रदे ा मे फलोरीकल्वर का उत्पादन हो, सब्जिया भी अधिक मात्राा मे हो। हमारे यहां जीरी का उत्पादन भी धीरे धीरे बढता जा रहा है। अध्यक्ष महोदय,

किसान के पास जमीन कम होने के कारण उसके सामने बहुत ज्यादा समस्याएं उत्पन्न हो गई है। (ाोर एवम व्ययधान) अध्यक्ष महोदय, जो पुरानी औधोगिक नीति थी उसके तहत 7.5 लाख लोगो को रोजगार मिलता लेकिन हमारी नई औधोगिक नीति के तहत 9 लाख लोगो को रोजगार मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से माननीय साथी श्री कर्ण सिंह दलाल को बताना चाहूगा कि अगर ये दैनिक जागरण अखबार के सम्पादकीय पेज को ठीक तरह से पढते तो इन्हे यह कालिंग अटै ान मो ान लाने की जरूरत ही नही पडती। लेकिन इन्होने वह ध्यान से नही पढा। अध्यक्ष महोदय, मै माननीय साथी और इस सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हू कि हरियाणा सरकार को यह विदिनत है कि राज्य का औधोगिक विकास तक तक सभंव नही है जब तक कृशि पर आधारित नीति मे आर्थिक विकास बोर्ड की स्थापना प्रस्तावित है, जो कि राज्य मे सामेकिंत विकास की देख रेख करेगा और आर्थिक मूल्यो मे वृद्धि के लिए कृशि उधोगो और सर्विस सैक्टर का सामेकित विकास करेगा। राज्य मे कृशि पर आधारित उधोगो की और प्र्याप्त ध्यान नही दिया जाए। इन्ही सभी बातो को ध्यान मे रखते हुए नई औधोगिक नीति मे आर्थिक नीति मे आर्थिक विकास बोर्ड की स्थापना प्रस्तावित है, जो कि राज्य मे सामेकित विकास की देख रेख करेगा। राज्य मे कृशि पर आधारित व फूड प्रोसैसिंग उधोगो को पंाच थ्रस्ट एरिया मे रखा गया है, जिससे कि राज्य मे इन क्षेत्रो मे पूंजीनिवे ा हो सके। इस क्षेत्र मे वि ोश रियासते दी गई है। औधोगिक नीति 1999 मे इस क्षेत्र मे

स्थापित इकाईयो को सचित पूंजीनिवे ा के 250 प्रति ात तक विक्रय कर की छूट देने का प्रावधान रखा गया है। जबकि अन्य क्षेत्रो मे यह दर यदि इकाई मध्यम या उच्च स्तर की है तो 100–125 प्रति ात अगर औधोगिक इकाई लघु स्तर की है तो यह संचित निवे ा छूट 125 से 150 प्रति ात है।

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, एक कालिंग अटै ान मो ान पर एक सदस्य दो सप्लीमैंटरी पूछ सकता है ? (ाोर एवम व्ययधान)

श्री अध्यक्षः दलाल साहब आप तो एक प्र ान के अदंर ही चार प्र न पूछ चुके है।

प्रो0 छत्तर सिंहः अध्यक्ष महोदय, कल हमारी पार्टी के 8 सदस्यो ने पी0आर0ई0 के बारे मे कालिंग अटै ान मो ान दी थी। इसलिए हमे भी बोलने का मौका दिया जाये।

श्री ओमप्रका ा चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मै आपके द्वारा सदन को एक जानकारी और देना चाहूगा कि पुरानी सरकारो ने औधोगिक नीति को छिन्न भिन्न कर दिया था जिसके कारण हमारे उधोग धन्धे पलायन करके दूसरे प्रदे ाो मे जा रहे थे। हमने नई औधोगिक नीति लागू की जिसके कारण होण्डा कम्पनी 500 करोड रूपए की लागत का एक बडा उधोग हमारे प्रदे ा मे लगाने जा रही है और 150–150 करोड रूपये की लागत की दो अन्य औधोगिक ईकाईयो भी लगाने जा रही है। इसी तरह से

दूसरे बडे बडे उधोग धन्धे भी आ रहे है। कुटीर उधोग को भी हम बढावा दे रहे है। हमने औधोगिक नीति 1999 के तहत इस क्षेत्र मे स्थापित ईकाइयो को संचित पूंजीनिव ा के 250 प्रति ात तक विक्रय कर की छूट देने का प्रावधान रखा है इसी तरह लघु स्तर की औधोगिक ईकाइयो के लिए भी सचित निवे ा छुट 150 प्रति ात रखी है। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः चौहान साहब, आपकी पार्टी और दूसरी पार्टी के विधायको ने जो ध्यानाकर्शण प्रस्ताव दिए थे उनमे मे एक ध्यानाकर्शण प्रस्ताव कल और दो आज मजूंर कर लिए गए है। आपकी कांलिंग अटै ान मो ान्ज डिसअलाउ कर दी गई है। हमने 2 दिन के अंदर आपकी 3 रूलिंग अटै ान मों ान मंजूर की है। मै आपको बताना चाहूता कि आपके समय मे 1996 से लेकर 1999 तक टोटल 46 सिटिंग्ज हुई थी जिनमे 4 ध्यानाकर्शण प्रस्ताव मंजूर हुए थे। (विघ्न) ये रिकार्ड की बात है। मै आपको डेटवाइज बता देता हू। (विघ्न) 1996 मे 5 बैठके हुई थी उनमे एक कालिंग अटै ान मो ान मजूर हुई थी। 1997 मे 16 बैठके हुई थी उनमे 2 ध्यानाकर्शण प्रस्ताव मंजूर हुए थे। 1998 मे 7 बैठके हुई थी जिनमे कोई कांलिंग अटै ान मो ान नही मानी गई थी। जुलाई, 1998 मे 7 बैठके हुई थी जिनमे एक कालिंग अटै ांन मो ान मजूर हुई थी। जनवरी, 1999 मे 10 बैठके हुई थी, उनमे कोई कालिंग अटै ांन मो ान मजूरी नही हुई थी। (विघ्न)

(2) हरियाणा राज्य मे बिजली की सप्लाई नियमित रूप मे न होने सम्बन्धी

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, मुझे श्री कर्ण सिंह दलाल, एम0एल0ए0 की और से हरियाणा राज्य मे बिजली की सप्लाई नियमित रूप मे न होने सम्बंधी ध्यानाकर्शण प्रस्ताव का नोटिस प्राप्त हुआ है। मै इसे मजूर करता हू। श्री कर्ण सिंह दलाल कृपया अपना नोटिस पढे उसके बाद कंसर्न्ड मिनिस्टर इसका जवाब देगे। (ाोर)

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, हमने भी ध्यानाकर्शण प्रस्ताव दिया है जिस पर मुझे बोलने का मौका दिया जाए। (ाोर)

श्री अध्यक्षः कैप्टन साहब, आप कृपया बैठिए और श्री कर्ण सिंह दलाल को अपना ध्यानाकर्शण प्रस्ताव पढने दे। जिन माननीय सदस्यो का ध्यानाकर्शण प्रस्ताव इसी विशय से सम्बन्धित है उस ध्यानाकर्शण प्रस्ताव को इसके साथ क्लब कर दिया गया हैं वे इस विशय मे एक एक सप्लीमैटरी पूछ सकते है।

श्री कर्ण सिह दलालः मै इस महान सदन का ध्यान एक अत्याव यक लोक महत्व के विशय के और दिलाना चाहता हू कि हरियाणा राज्य मे बिजली की सप्लाई नियमित रूप से नही की जा रही है वि ोशत सुबह और भााम जब इसकी बहुत ज्यादा आव यकता होती है। बिजली की उपलब्धता न होने कारण

किसानो तथा गावो व भाहरो के लोगो को क्रम ाः अपने खेतो तथा पीने के पानी के उददे य के लिए बहुत कठिनाई का सामना करना पड रहा है। इसलिए मै सरकार से निवेदन करता हू कि वह सदन मे इस सबंध मे एक वक्तव्य देकर अपनी स्थिति स्पश्ट करे।

सर्वश्री अजय सिंह, राव नरेन्द्र सिंह, सतविन्द्र राणा, जय सिंह राणा, खु ींद अहमद तथा श्रीमती करतार देवी, हम इस महान सदन का ध्यान एक अत्याव यक लोक महत्व के विशय की और दिलाना चाहते है। राज्य मे किसान तथा ज्यादातर लोग बिजली की भारी कमी का सामना कर रहे है। राज्य मे प्राय ब्लैक आऊट है तथा बिजली की सप्लाई पूर्णतया अनियमित है।

किसान सिचांई के लिये बिजली की सप्लाई की भारी कमी का सामना कर रहे है। ऐसे कई उदाहरण है जंहा राज्य मे बिजली की कमी तथा अनियमितता के विरूद्ध धरने, विरोध तथा रैलियां हुई है। बिजली की कमी ने किसानो को सिचाई के लिए डीजल पम्पो पर निर्भर कर दिया है। बिजली की कमी के साथ डीजल मूल्यो मे वृद्धि ने किसानो की पीडा को और बढा दिया है। फसल की विफलता तथा सिचाई के लिए बढे हुए मूल्य के कारण किसानो की आर्थिक द ाा ने उन्हे असहाय बना दिया है। किसानो का बहुत मोह भंग हो गया है।

वर्तमान सरकार के लोक सभा चुनावो से पहले किसानो को नि ाुल्क बिजली देने के वायदे की असफलता ने उन्हे चौटाला

भाजपा समर्थित सरकार से विमुख कर दिया है। लोग कहते है कि चौटाला भुगतान करने पर भी बिजली उपलब्ध करवाने मे समर्थ नही हो रहे है, वह नि ुल्क बिजली कैसे दे सकते है। किसानो मे बहुत मायूसी है तथा वे वर्तमान सरकार द्वारा ठगे गए महसूस करते है।

सरकार घरेलू तथा औधेगिक इकाइयां को बिजली की भ ुल्क दर मे कमी करके राहत देने मे भी असफल हुई है जैसा कि उसके द्वारा लोक सभा चुनाव से पूर्व वायदा किया गया था। हरियाणा राज्य मे घरेलू तथा औधोगिक क्षेत्र मे बिजली की भ ुल्क दरे दिल्ली, राजस्थान तथा उतर प्रदे ा के राज्यो की अपेक्षा ज्यादा है। घरेलू तथा औधोगिक इकाइंया बिजली की लंबी कटौतिया तथा ब्लेक आऊट का सामना कर रही है। बिजली की कमी के कारण औधोगिक उत्पादन प्रभावित हुआ है तथा यंहा तक कि तालाबंदी भी हुई है। औधोगिक इकाइंया ऊंची भ ुल्क दर, प्रायः बिजली कटौतियां तथा ब्लैक आऊट के कारण अन्य राज्यो को स्थानान्तरित हो रही है।

किसान गेहू के लिए बिजाई पूर्व सीजन के दौरान तथा सरसो की फसल की सिचाई हेतू पानी देने के लिए गम्भीर समस्या का सामना कर रहे है। किसान अब रबी की फसलो के लिए अपने सूखे खेतो की सिचांई करने के लिए डीजल पम्पो पर निर्भर हो रहे है। डीजल मूल्यो की बढौतरी ने उनके दुखो को और बढा दिया है।

बिजली की प्राय विफलता के कारण छात्रो की पढाई प्रभावित हुई है भाहरो मे 10–12 घंटो के अन्तराल की लम्बी बिजली कटौतियो, ब्लैक आऊट द्वारा वहां पर व्यापारियो को प्रभावित करने के कारण अधिकरत जनता मे भारी रोश है। सरकार ने लोकसभा चुनाव के दौरान निर्वाचको से वायदा किया था कि वह 24 घंटे निरन्तर बिजली उपलब्ध करवाएगी। राज्य के किसानो को नि ुल्क बिजली उपलब्ध करवाने की सरकार की नीति क्या है। लोगो के दिमागो मे पूर्णतया भ्रम है। सरकार को उक्त भांकाओ पर सदन मे एक वक्तव्य देना चाहिए ताकि भ्रम दूर हो जाए तथा बिजली क्षेत्र की नीति स्पश्ट हो जाए। सरकार को हरियाणा विधुत प्रसारण निगम तथा अन्य निगमो को वि व बैक से प्राप्त हुए ऋण का ब्यौरा देना चाहिए तथा बिजली सुधार परियोजना के अन्तर्गत बिजली क्षेत्रो द्वारा कितनी निधियां उपयोग मे लाई गई है। यह भी बताना चाहिए।

वक्तव्य

वित मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्शण संबंधी

वित मंत्री (प्रो0 सम्पत सिंह): आज के दिन नित्य प्रति 380–400 लाख यूनिट बिजली की उपलब्धा की वजह से बिजली की उपलब्धि की स्थिति सुखद है जो कि पिछले वर्श की तुलना मे 60 से 65 लाख यूनिट अधिक है। राज्य सरकार ने विभिन्न

श्रेणियो के उपभोक्ताओ को पर्याप्त बिजली की उपलब्धि को सुनि ित करने के लिए अनेक कदम उठाए है।

पूरे राज्य मे भाहरी क्षेत्रो मे घरेलू तथा गैर घरेलू उपभोक्तओ पर कोई बिजली की कटौती नही है। ि ाखर घंटो/पीक आर्वस/के समय के दौरान के अलावा उधोगो को बिजली 24 घंटे दी जा रही है। इस प्रकार उधोगो को 5.30 बजे संाय से लेकर 9.00 बजे रात तक ि ाखर भार कटौती के अलावा भाहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओ की किसी श्रेणी पर कोई बिजली की कटौती नही है। कृशि क्षेत्र को बिजली की आपूर्ति नियमित आधार पर दो समूहो मे दी जा रही है। दक्षिणी बैल्ट मे जहां सिंगल फसल उगाई जाती है। टयूबवैलो को 8 से 10 घंटे तथ अन्य क्षेत्रो को 7 से 9 घंटे प्रतिदिन बिजली दी जा रही है। इसमे जल आपूर्ति के उददे ायो के लिए वि ोश बिजली की आपूर्ति भाामिल है। इसके अतिरिक्त ऐसे ग्रुप को जो दिन के समय परिचालित होते है उसको दो फेस बिजली की आपूर्ति 5.30 बजे साय से 8.00 बजे अगले दिन तक रो ानी के उददे ाय के लिए दी जा रही हैं इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रो मे भी सुबह एवम सायं के घंटो के दौरान कोई कटौती नही है।

वर्तमान सरकार के कार्यभार संभालने के बाद बिजली की औसत 60–80 लाख युनिट प्रतिदिन से भी अधिक बढी है। पूर्ण रूप से वर्शा न होने के परिणामस्वरूप सिचाई के लिए नलकूपो की आव यकता को ध्यान मे रखते हुए इस अतिरिक्त

बिजली का अधिकतम हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र को दिया जा रहा है। उदाहरणार्थ अगस्त से अक्तूबर, 1999 तक औसतन/नित्य प्रति के आधार पर/कृशि क्षेत्र को वर्श 1998 के इन्ही महीनो के दौरान दी गई बिजली की तुलना मे 51.93 और 83 लाख यूनिट से अधिक बिजली प्रदान की गई है। अगले 4–5 महीनो अर्थात भोश रबी फसल के मौसम के लिए बनाई गई योजना से यह सकेंत मिलता है कि राज्य मे वर्तमान रबी फसल सीजन के दौरान बिजली की कोई कमी नही होगी और उपभोक्ताओ की समस्त श्रेणियो की बिजली की मांग पूरा करना संभव होगा।

राज्य मे निम्नलिखित बिजली उत्पादन की उपलब्धि हुई है/हो रही है:–

. अपने थर्मल उत्पादन केन्द्रो पानीपत तथा फरीदाबाद मे बिजली उत्पादन मे सुधार आया है। पिछले वर्श की 89 लाख यूनिट प्रति दिन की उत्पादन की तुलना मे औसत उत्पादन मे 10 लाख यूनिट प्रतिदिन का सुधार हुआ है।

. फरीदाबाद गैस पर आधरित केन्द्र यूनिट–2 143 मैगावाट नवम्बर, 1999 चालू हो गई है जिससे 30 लाख यूनिट बिजली की उपलब्धि प्रतिदिन और बढ गई है।

. केन्द्रीय पूल से अनियतित बिजली के कोटे के 19 प्रति ात से 27 प्रति ात बढाकर तथा एन0टी0पी0सी0 के गैस पर आधारित अंटा थर्मल स्टे ान से 88 मैगावाट बिजली बहाल कर

कर केन्द्रीय उत्पादन परियोजनओ से 10–12 लाख यूनिट बिजली प्रतिदिन अतिरिक्त रूप से उपलब्ध करवाई गई है।

.15 नवम्बर, 1999 से 15–25 लाख यूनिट बिजली प्रतिदिन अतिरिक्त रूप से प्राप्त करने की व्यवस्था पजांब राज्य से की गई है। हालाकि एडवांस पेमैट पर हमने यह बिजली उपलब्ध कराई है।

. पानीपत थर्मल केन्द्र की 110 मैगावाट की यूनिट न0 2 जो कि नवीनीकरण तथा पुनर्स्थापनाधीन है, दिसम्बर 1999 के अन्त तक तैयार हो जाएगी तथा यह जनवरी, 2000 के प्रथम सप्ताह तक राज्य के ग्रिड मे 24–25 लाख यूनिट बिजली की और वृद्धि करेगी।

. पानीपत थर्मल केन्द्र की 210 मैगावाट की यूनिट 6 दिसम्बर, 2000 तक चालू करने के लिए उपलब्ध होगी, जिससे विधुत उपलब्धता मे 45 लाख यूनिट बिजली की और वृद्धि हो जाएगी।

वास्तव मे राज्य मे अब तक का अधिकतम रिकार्ड बिजली आपूर्ति 518.4 लाख यूनिट दिनांक 25.9.1999 को उपलब्ध करवाई गई थी। इसलिए आज विधुत आपूर्ति की स्थिति सुखद है तथा यह आने वाले समय मे भी ऐसी ही रहेगी।

किसी राज्य का बिजली टैरिफ का मुद्दा निम्नलिखित मूल रूप से महत्वपूर्ण तत्वो पर निर्भर करता है:–

1. बिजली क्रय करने की बात– बिजली क्रय सबसे सस्ता स्त्रोत जलीय बिजली है। राज्य मे बडी मु कल से प चमी यमुना नहर पर 48 मैगावाट के बिजली घर को छोडकर कोई बडा जलीय उत्पादन केन्द्र नही है, इसलिए राज्य को अधिक खर्चीले अपने थर्मल केन्द्रो/थर्मल/गैस बिजली उत्पादन पर या केन्द्रीय क्षेत्र परियोनाओ से बिजली क्रय करने पर निर्भर करना पडता है।

2. लोहे की प्रणाली– औधोगिक क्षेत्र तथा कृशि की प्रति तता की तुलना मे हरियाणा दे ा मे कृशि क्षेत्र को सबसे उच्चतम औसत प्रति ात बिजली देने वाला प्रदे ा है अर्थात समस्त भारत की 26 प्रति ात औसत की तुलना मे 45 प्रति ात है।

इसलिए एक राज्य की दूसरे राज्य के साथ टैरिफ की तुलना नही की जा सकती है क्योकि उनके बिजली की लागत मूल्य ढांचे मे मूलभूत अंतर होता है। राज्य मे बिजली टैरिफ को भी स्थानीय भार्तो के अनुसार मार्गदि ात किया जाता है।

हरियाणा मे किसानो को मीटर्ड आपूर्ति के लिए नलकूपो की गहराई पर निर्भर करते हुए बहुत ही रियायती 50 पैसे से 23 पैसे यूनिट की दर से बिजली दी जा रही है। इसी प्रकार गैर मीटर्ड बिजली आपूर्ति के लिए टैरिफ दर 65 पैसे प्रति बी0एच0पी0 से 30 पैसे प्रति बी0एच0पी0 प्रतिमास की क्रम से है

जबकि राजस्थान राज्य मे कृशि टैरिफ 70 पैसे प्रति यूनिट है, जो हरियाणा से कही अधिक है। हरियाणा मे किसानो के हितो को सर्वोपरि माना जाता है।

औधोगिक इकाईयो का सफलतापूर्वक चलना कई फैक्टरो पर निर्भर करता है जिसमे राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई सुविधाए, सील की भार्तो/स्थिति/मे प्रति स्पर्धा लाभ तथा अन्य ढांचागत विभिन्न सुविधाए सम्मिलित है। हरियाणा मे उधोगो को प्रोत्साहित करे के लिए वि ोशताए है। अधिकतर उधोगो के पास अपने कैप्टिव विधुत प्लांट है। हरियाणा के मे कैप्टिव विधुत संयत्र स्थापित करने के लिए अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया को साधारण किया गया है। कृशि तथा औधोगिक उपभोक्ताओ की डीजल मांग को ध्यान मे रखते हुई राज्य सरकार ने इसकी कीमतो मे वृद्धि का दृढता से विरोध किया है तथा इसे वापिस लेने की मांग की। कैप्टिव विधुत प्लांट की सीापना की अनुज्ञा स्वीकृति लेने के लिए प्रक्रिया को भी आसान कर दिया गया है। हरियाणा मे अधिकतर वर्तमान औधोगिक यूनिटे अधिक विधुत उपभोग करने वाली यूनिट नही है और अब तक राज्य सरकार का ध्यान ऐग्रो बेस्ड साफ्टवेयर उच्च इन्जीनियरिंग तथा गारमैट हौजरी यूनिटो की और है। इसलिए यह सही नही है कि औधोगिक इकाइयां राज्य से बाहर गई है।

राज्य सरकार विधुत उपभोक्ताओ को अधिकतम विधुत उपलब्ध करवाने पर जोर दे रही है ताकि राज्य मे ज्यादा से

ज्यादा औधोगिक यूनिटे स्थापित हो सके। राज्य मे अभी अभी बहुत उदार औधोगिक नीति की घोशणा की है ताकि अपने यंहा नए औधोगिक उधमियो को आकर्शित कर सके। दिनांक 12.11.199 से सांय मे पीक घंटे कटौतिया के अलावा किसी भी औधोगिक उपभोक्ता पर कोई कटौती नही लगाई गई है

जनवनी, 1998 मे हरियाणा विधुत सुधार क्षेत्र के लिए वि व बैक सहायता के अंतर्गत 60 मिलियन यू0एस0 डालर/240 करोड रूपए के ऋण की बातचीत की गई थी। इस ऋण मे से 130 करोड रूपए की रा ि ा पहले ही सामान क्रय करने, आपूर्ति के लिए ठेका देने, प्रसार व वितरण प्रणाली को इरैक ान करने के लिए खर्च कर दी गई है। अब तक 190 करोड रूपए के ठेके उपकरण इरैक ान तथा सेवाओ की आपूर्ति के लिए दे दिए गए है।ऋण की कुल रा ि ा दिसम्बर, 2000 तक प्रयोग की जानी है। ऋण राा ि ा प्राथमिक रूप से नए उपेकन्द्रो, लाइनो को इरैक्ट करने, चालू उपकेन्द्रो की वृद्धि करने, 50 न0 ओवरलोडिड 11 के0वी0 फीडरो की पुनर्स्थापना करने, वितरण ट्रासफार्मरो की क्षमता बढाने तथा घिसे हुए एल0टी0 केबलो के प्रति स्ाापना करने के लिए प्रयोग की गई है। यह सभी कार्य उपभोक्ताओ को दी गई विधुत सेवा की किस्म मे सुधार लाने के उद्दे य से किए गए है।

बिजली की उच्च लागत तथा राज्य की सीमित उत्पादन क्षमता वि ोशकर पन बिजली को ध्यान मे रखते हुए, मुफत बिजली के मुद्दे पर बहस तथा इसके लिए समाज के विभिन्न

भागो के साथ विचार विम र्ा की आव यकता होगी। राज्य सरकार उपभोक्ताओ की सभी श्रेणियो को स्थायी तथा गुणवता बिजली देने के लिए पूर्णतया वचनबद्ध है, जिसमे कृशि की मौसमी मांग का वि ोश ध्यान रखा जाएगा।

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, अभी सम्पत सिंह जी ने माना है कि स्टेट मे बिजली की कमी है और इस बात को कल मुख्यमंत्री जी ने भी माना था। अभी पिछले दिनो भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से मुख्यमंत्री और मंत्रियो व भारतीय जनता पार्टी के सांसदो की मीटिग हुई थी। उस बैठक मे प्रधानमंत्री ने हरियाणा प्रदे ा के प्रति बहुत बडी उदारता बिजली के बारे मे दिखाई और बहुत बडी राहत हमारे प्रदे ा को दी। पिछले दो दिनो से बिजली मे कुछ सुधार भी हुआ है। लेकिन मैने आज बिजली की सप्लाई के बारे मे हल्के मे बात की थी। उन्होने बताया कि सुधार तो हुआ है लेकिन सवेरे के वक्त बच्चो को स्कूल जाने के लिए जल्दी तैयार होना पडता है या और वे लोग जिन्हे जल्दी उठ करके काम करना होता है उस वक्त बिजली नही रहती है। दिन मे अगर बिजली चली जाए तो काम चल सकता है और लोग उसको बर्दा त कर लेते है लेकिन सवेरे भााम बिजली का न होना लोगो के लिए काफी दिक्कत पैदा करतो है। चौधरी ओमप्रका ा चौटाला जी का लोगो को बिजली देने के मामले मे काफी नाम है और सबसे ज्यादा ये बिजली के मामले मे गम्भीर रहे है। इनका राज जब पहले आया था तब भी

लोगो को पूरी बिजली मिलती थी। लोगो को आज भी पूरी बिजली मिलने की उम्मीद है। पिछले दिनो बिजली की बहुत दिक्कत रही हे। इस बात को माननीय वित्त मंत्री जी तथा माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी माना है कि बिजली की कमी है। अध्यक्ष महोदय, मे आपके माध्यम से चौधरी सम्पत सिंह जी से यह आ वासन चाहता हू कि सवेरे और भााम के समय जब लोगो काम धन्धे और खाना बनाने खाने का समय होता है और बच्चो के पढने का समय होता है उस समय पलवल के गावो और भाहरी क्षेत्रो बिजली न जाए इसकी व्यवस्था करने की मेहरबानी करे।

प्रो0 सम्पत सिहः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य चौधरी कर्ण सिह जी ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। उन्होने इस बात को माना है कि बिजली की व्यवस्था मे सुधार हो रहा है और उन्होने यह भी कहा है कि यह सरकार बिजली के मामले मे सदा से ही गम्भीर रही है इस बात की भी मुझे खु ाी है कि वे अपने लोगो के साथ पूरा सम्पर्क रखते है। बिजली के मामले मे उन्होने अपने हल्के के लोगो के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाए रखा है। टेलीफोन के द्वारा वहा से लगातार जानकारी प्राप्त कर रहे है। लगातार दो दिन से टेलीफोन पर बात कर रहे है उनकी रिपोर्ट बहुत बढिया है और उन्होने बिजली की सवेरे और भााम की सप्लाई की समस्या उठाया है। अध्यक्ष महोदय, 12 नवम्बर से हमने बिजली के बारे मे जो पोलिसी बनाई है उससे लोगो को पूरा फायदा होगा। पिछले दिनो बिजली की कमी रही इस बात को

माननीय मुंख्यमंत्री जी ने भी माना है कि प्रदे ा मे पूरी बिजली की व्यवस्था नही रही क्योकि हमारे साधन सीमित है। लेकिन उन सीमित साधनो का हमने इस्तेमाल किया है। हमे जहां से भी, जैसे भी बिजली मिल सकती थी वहां से प्राप्त करने की कोि ा ा की। दूसरे ग्रिड जहां से हम बिजली ले सकते थे वह ली है। यह ठीक बात है कि अगर फालतू बिजली लेगे तो उसके लिए ज्यादा चार्जिज देने पडते हैं यह रिकार्ड की बात है कि हमने महंगी बिजली खरीद कर भी लोगो की मांग को पूरा करने का प्रयास किया है। चाहे वह बिजली ट्यूबवैल्ज के लिए थी चाहे उधोगो के लिए थी या डोमैस्टिक यूज के लिए थी हमने वह खरीद कर सप्लाई की। फसलो के लिए हमने बिजली उपलब्ध करवाई, उसके लिए चाहे हमे डौमैस्टिक या कमि र्यिल यूज पर कट भी लगाना पडा तो वह भी लगाया, लेकिन किसानो को पूरी बिजली दी गई। हम इस बात को मानते है कि बिजली की कमी थी लेकिन फिर भी जो उपलब्ध साधन थे, उनसे हम जितनी अधिक से अधिक बिजली ले सकते थे, वह ली। हम पिछली सरकार की तरह बात नही करते कि 24 घण्टे बिजली दे रहे है जबकि 24 घंटे बिजली नही मिल रही थी। बिजली की डिमाण्ड भी बहुत ज्यादा है और लोगो को सुविधा भी मिलनी चाहिए। पिछले वर्श हरियाणा मे बरसात कम हुई जिसकी वजह से बिजली उत्पादन पर भी असर पडा है लेकिन बिजली के इस्तेमाल को प्रायोरिटी देने का भी हमने प्रयास किया है फसल के काम के लिए बिजली को प्रयोरिटी दी गई। अध्यक्ष महोदय, आप जानते है कि अगर फसल को एक दिन भी पानी देने

मे देरी हो जाए तो उससे बहुत नुकसान होता है इसलिए फसल को प्रायोरिटी देते हुए किसानो को पूरी बिजली दी गई जिस के कारण फसल का रिकार्ड उत्पादन हुआ है। हमारे दे ा की अर्थ व्यवस्था कृशि पर आधारित है। दूसरे मुल्को की अर्थ व्यवस्था तबाह हो सकती है क्योकि वह कृशि आधारित नही है लेकिन हिन्दुस्तान को इस बात का श्रेय सबसे ज्यादा है कि कृशि पर आधारित होने के कारण हमारी अर्थ व्यवस्था तबाह नही हो सकती। हालात कभी भी अच्छे या माडे हो सकते है। यही कारण है कि हमे कृशि क्षेत्र को मजबूत करना पडेगा और वह हम सब को मिल कर करना पडेगा। इस समस्या का हल भी मिल कर ही निकालना पडेगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस सम्सया के प्रति पूरी तरह से जागरूक है। बिजली की सम्सया के बावजूद कृशि का रिकार्ड उत्पादन हुआ है। इससे पहले भी जब ये मुख्यमत्री रहे तो इन्होने बिजली का पूरा प्रबन्ध करने का प्रयास किया था और किसानो को पूरी बिजली मिलती थी जिससे फसल का उत्पादन बढा था। उससे पहले जब चौधरी देवी लाल जी मुख्यमंत्री थे उस वक्त भी बरसात कम हुई थी जिसकी वजह से बिजली का उत्पादन कम हो गया था लेकिन तब चौधरी देवी लाल जी ने पूरी बिजली सप्लाई करके किसानो के फसल का रिकार्ड तोड उत्पादन करवाया था। खासकर के जुलाई सितम्बर और अक्तूबर मे बिजली की जरूरत किसानो को ज्यादा होती है। जीरो लगाने से ले कर फसल पकाने तक बिजली की जरूरत किसान को होती है और किसान ने रिकार्ड तोड फसल का उत्पादन किया है। इस रिकार्ड

तोड उत्पादन का कारण भी मैने यहा पर बताया हैं। बिजली की समस्या के बारे मे हमारे मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री से मिले। प्रधानमंत्री जी की हमारे ऊपर बहुत दया है उनका आ ीर्वाद हमारे साथ है। हमने 12 नवम्बर से बिजली के बारे मे नीति बना दी है। आपकी जो चिन्ता है वह मै दूर करना चाहता हू। भााम 4. 30 बजे से सुबह 9.00 बजे तक हरियाणा प्रदे ा का चाहे वह भाहरी क्षेत्र है, चाहे वह देहाती क्षेत्र है, सभी जगह लगातार बिजली सप्लाई की जाएगी। यह दूसरी बात है कि अगर किसी लाइन मे कोई डिफैक्ट है या कही पर ट्रासफार्मर जल जाए या कोई और कमी आ जाती है या कोई घर का ही बिजली की फिटिंग का सिस्टम खराब हो जाता है बिजली नही आती है तो वह अलग बात है। लेकिन बिजली भााम 4.30 बजे से सुबह 9.00 बजे तक मिलती रहेगी। भाहर के अन्दर जो औधोगिक और डोमैस्टिक क्षेत्र के लिए सामूहिक फीडर्ज है उन पर बिजली का कट नही है। लेकिन अकेले इण्डस्ट्रीयल क्षेंत्र वाले फीडर्ज पर कट है। जो अकेले इण्डस्ट्रीयल क्षेंत्र के लिए फीडर्ज है। उन पर भााम को 5.30 बजे से 9.00 बजे तक कट है। बाकी टाईम कट नही है। आपकी बात को ध्यान मे रखते हुए हमे भी इस बात की चिन्ता है। चाहे कोई स्टुडैट है, गृहिणी है, खाना खाने का समय है, हर आदमी को उस समय बिजली चाहिए। हमने देखा है कि भााम के टाईम ही ज्यादा बिजली इस्तेमाल होती है या सुबह 5 से 9 बजे तक ज्यादा बिजली इस्तेमाल होती है। इन दोनो पीक आवर्ज मे हमने भााम साढे तीन घंटे का इण्डस्ट्रीज पर बिजली का कट रखा

है। बाकी कोई कट नही है। सबको पूरी बिजली मिलेगी, पढने वाल को कोई दिक्कत नही होगी, खाने वाले को कोई दिक्कत नही होगी, और खाना बनाने वाले को दिक्कत नही होगी। इतनी बिजली उपलब्ध करवाने का हम संकल्प कर चुके है। (विघ्न) मुझे अपना उतर पूरा करने दे। (विघ्न)

श्री मनी राम गोदाराः सी0एम0 साहब आपकी पार्टी मे एक ही बोलने वाला है और बाकी का .....क्यों रखा हुआ है।

श्री अध्यक्षः यह भाब्द कार्यवाही मे रिकार्ड न किया जाए।

मुख्यमत्री (श्री ओमप्रका ा चौटाला): चौधरी मनीराम जी अगर ये इस मामले मे सीरियस होते तो कल सुबह का बहुमुल्य समय खराब नही करते। कल नो काफिडैस मो ान पर हुई चर्चा के दौरान बिजली के बारे मे जो बाते हुई, उससे ज्यादा कभी सदन मे चर्चा हुई हो तो बता दो। आज इस काल अटै ान मो ान की जरूरत ही नहीथी। इसके बारे मे कल काफी चर्चा हो चुकी है। उसके बाद भी आप कुछ और जानना चाहते हो तो बता दे। जो वस्तु स्थिति है वह तो हम बताएगे। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः मलिक जी, आप बैठ जाएं बिना इजाजत के मत बोले। (विघ्न)

श्री सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, आप बैठ जांए बिना इजाजत के मत बोले। (विघ्न)

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, मै यही कर रहा था कि 12 नवम्बर से हमने बिजली नीति लागू की है। उस नीति के अनुसार आपको कही कोई कमी नजर आती है तो हमे बताए। हम बाकायदा उसको आंनर करेगे। यही मैने आपको कहना था। धन्यवाद।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, खासतौर पर जो हमारा दक्षिणी हरियाणा है, वहां पर सरसो की बिजलाई 15 अक्तूबर से 25 अक्तूबर के बीच मे की जाती है उस दौरान वहां पर बिजली की कमी कैसे हुई। सर, 25 नवम्बर के बाद गेहू की बिजाई भी भुरू हो जाती है और सरसो की फसल को पहला पानी देने का समय भी भुरू हो जाता है। दोनो मे पानी दिया जाता है इन दिनो वहां पर बिजली की कमी कैसे हुई? इसके अलावा मै आपसे यह जानना चाहता हू कि हमारे यहां बिजली का जो इन्डस्ट्रीयल टैरिफ है, जो डोमैस्टिक टैरिफ है, वह दूसरी स्टेटस से फालतू है। हमारे आज के मुख्यमंत्री चौधरी ओमप्रका ा चौटाला जी ने चुनावो से पहले जगह जगह कहा था कि मै नि ुल्क बिजली दूंगा। अब वे बताएस कि इनकी इस बारे मे क्या राया है। इसके अलावा मै इनसे, यह भी जानना चाहता हू कि पावर रिफार्म्ज के बारे मे इस सरकार की क्या पोलिसी है। पिछले दिनो जो टैरिफ के बारे मे पिछली सरकार ने ऐग्रीमैन्ट किया था तो अब क्या ऐग्रीक्लचर या डोमैस्टिक टैरिफ को बढाएगे ? इसके अलावा पावर के जो और प्रोजैक्टस है जैसे यमुनानगर का पावर

प्रोजैक्ट है क्या इनके बारे मे इस सरकार ने कोई ग्लोबल टैडर कांल किए है ?

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, इन्होने एक साथी ही कई सवाल कर लिये। जंहा तक दक्षिणी हरियाणा का सवाल इन्होने किया है इसमे कोई दो राय नही है। कि दक्षिणी हरियाणा मे अब तक बिजाई कम्पलीट हो चुकी है वहा पर अब तक पावर सप्लाई से ही बिजाई हुई है। (विघ्न) ठीक है डीजल से भी बिजलाई हुई है, नहर के पानी से भी बिजाई हुई है। स्पीकर साहब, इसमे एक फैक्टर कंट्रीब्यूट नही करता। इसमे बरसात भी कंट्रीब्यूट करती है, बिजली भी कंट्रीब्यूट करती है, नहर का पानी भी कंट्रीब्यूट करता है और डीजल भी कंट्रीब्यूट करता है। स्पीकर साहब, आदमी खुद भी इसमे कंट्रीब्यूट करता है। अब सांगवान नाराज न हो जाए लेकिन इसमे जानवर भी कंट्रीब्यूट करता है।

श्री सतपाल सांगवानः स्पीकर साहब, ये तो चार्ज ीट हो रखे है जबकि मै इनकी तरह से चार्ज ीट तो नही हो रखा हू।(विघ्न) इन्होने कल भी सुबह से भााम तक झूठ के अलावा कोई और भाब्द नही कहा है।(विघ्न) स्पीकर साहब, छाज तो बोल सौ बोले छलनी भी बोले। अगर मै इनके ऊपर पर्सनल अटैक पर आ गया तो इनको जवाब देने मे मु कल आ जाएगी। इनसे जवाब नही दिया जाएगां मुझे भी इनके बारे मे बहुत कुछ पता हैं। ये मुझसे पूछ ले मै इनको बता दूगा।

प्रो0 सम्पतं ंसिहः मुझे परमात्मा वह दिन न दिखाए कि आपके पास जाकर पूछना पडे। सर, जैसे मै कह रहा था कि बहुत से ऐसे साधान है जो इसमे कंट्रीब्यूट करते है लेकिन जंहा तक बिजली का कंट्रीब्यूट है इसके बारे मे मै कहना चाहता हू हमने यह नही कहा कि हमने वहा पर पूरी डिमाड मीटाउट कर दी है लेकिन हमने वहा पर बिजली देने मे प्रायोरिटी अव य दिखायी है। मै इनको फिगर्ज देकर बताना चाहता हू कि नारनौल सर्कल मे अक्टूबर, 1998 मे 19 लाख यूनिटस बिजली की सप्लाई की गयी थी जबकि अक्टूबर, 1999 मे 32 लाख यूनिटस बिजली की सप्लाई की गयी है। (विघ्न) इसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, दो बाते कैप्टन साहब ने पूछी है। अगर ये मेरी बात को कौि ायलसी सुनते तो यह सैल्फ ऐक्सप्लेनेट्री है। एक तो इन्हेाने यह पूछा है कि जो सुधारीकरण का सिस्टम चालू किया है उसका क्या सिस्टम चालू किया है। दूसरा टैरिफ के बारे मे पूछा था that is given at page No. 4 of the Statement. That is why any other question does not arise.

कैप्टन अजय सिंह यादवः फ्री पावर का क्या किया है और टयूबवैल कनैक ंज भी पैडिंग पडे है?

Prof. Sampat Singh: Thank you for raising the quesiton of tubewells. टयूबवैल का अपने पहले पूछा नही था। अच्छा रहा, अपने याद दिला दिया। पिछली जो सरकार गई वही तीन साल से ज्यादा चली लेकिन उन लोगो ने कोई टयूबवैल कनैक ान नही दिया। इस सरकार के आने के बाद प्रयास चले रहे

है। हर चीज मे टाईम लगाता है। जिन लोगो टयूबवैल कनैक ान के लिए ऐप्लाई कर रखा है और जिनकी टैस्ट रिपोर्ट आ रही है वहा कनैक ान प्रायरोटी पर देने की कोि ा ा कर रहे है छांट कर तीस हजार टयूबवैल आइडैटिफाई किए है तीस हजार टयूबवैल के लिए प्रोजैक्ट बनाकर आर0ई0सी0 को सबमिट कर दिया है और जो पावर मिनिस्टर है, उन्होने हमारे मुख्यमंत्री जी को मौजूदगी मे और वैसे भी चिट्ठी लिखकर माना है कि आर0ई0सी0 का लोन आपको देगे। 30 हजार टयूबवैल के कनैक ान देना यह इस सरकार की उपलब्धि है।

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

श्री अध्यक्षः अब एक मंत्री नियम 15 के अधीप प्रस्ताव प्रस्तुत करेगे।

वित मंत्री (प्रो0 सम्पत सिंह): अध्यक्ष महोदय, मै प्रस्ताव करता हू।

कि आज के लिए नि चत की कार्य की मदो पर की कार्यवाही को आज की बैठक मे अनि चत काल तक नियम ''सभा की बैठके'' के उपबंधो से मुक्त किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

कि आज के लिए नि चत की कार्य की मदो पर की कार्यवाही को आज की बैठक मे अनि चत काल तक नियम ''सभा की बैठके'' के उपबंधो से मुक्त किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्र ान है––

कि आज के लिए नि चत की कार्य की मदो पर की कार्यवाही को आज की बैठक मे अनि चत काल तक नियम ''सभा की बैठके'' के उपबंधो से मुक्त किया जाए।

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

श्री अध्यक्षः अब एक मंत्री नियम 16 के अधीप प्रस्ताव प्रस्तुत करेगे।

वित मंत्री (प्रो0 सम्पत सिंह): अध्यक्ष महोदय, मै प्रस्ताव करता हू।

कि सभा अपनी आज के बैठक से उठने पर अनि चत काल तक के लिए स्थापित रहेगी।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ––

कि सभा अपनी आज के बैठक से उठने पर अनि चत काल तक के लिए स्थापित रहेगी।

श्री अध्यक्षः प्र ान है––

कि सभा अपनी आज के बैठक से उठने पर अनिि चत काल तक के लिए स्थापित रहेगी।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सदन की मेज पर रखे गए कागज पत्र

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब एक मंत्री सदन की मेज पर कागज पत्र रखेगे।

Finance Minister (Prof. Sampat Singh): Sir, I beg to lay on the Table of the House—

The 31st Annual Report and Accounts of Haryana Agro Industires Corporation Limited for the year 1997-98 as required under Section 619 A (3) of the Companies Act, 1956.

The 31st Annual Report and Accounts of Haryana Ware housing Corporation Limited for the year 1997-98 as required under Section 31(11) of the Companies Act, 1956.

The Annual Report of the Chaudhary Charan Singh Harynaa Agricultural Univeristy. Hisar for the year 1996-97 as required under section and 39(3) of the Haryana and Punjab Agriuclutural Universities Act, 1970.

The 24th Annual Report and Land Reclamation and Development Corporation Limited for the year 1997-98 as required under Section 619 A (3) of the Companies Act, 1956.

वर्श 1994 के अनुदानो तथा विनियोजनो से अधिक मागो पर चर्चा तथा मतदान

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, पूर्व प्रथा के अनुसार सदन का समय बचाने के लिए, कार्यसूची मे दी गई सभी अनुदानो की मांगे एक साथ पढी तथा प्रस्तुत की गई समझी जायेगी। माननीय सदस्य मागो पर चर्चा कर सकते है लेनिक वह बोलते समय उस मांग का क्रमांक (डिमाड नम्बर) बता दे जिस डिमाड पर वे चर्चा करना चाहते है।

कि गृह के सबध मे वर्श 1994–95 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदानो से अधिक किए गए खर्चे को विनियमित करने के लिए 94579566 रूपये तक की रा ि ा का अनुदान स्वीकृत किया जाये।

कि आबकारी व कराधान के सबंध मे वर्श 1994–95 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान से अधिक किए गए खर्चे को विनियमित करने के लिए 6389437 रूपये की रा ि ा का अनुदान स्वीकृत किया जाए।

कि वित के सबंध मे वर्श 1994–95 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान सै अधिक किए गए खर्चे को विनियमित करने के लिए 33103109 रूपये की रा ि ा का अनुदान स्वीकृत किया जाए।

कि भवन व सडके के सबंध मे वर्श 1994–95 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान सै अधिक किए गए खर्चे

को विनियमित करने के लिए 73931672 रूपये की रा ि ा का अनुदान स्वीकृत किया जाए।

कि ि ाक्षा के सबंध मे वर्श 1994–95 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान सै अधिक किए गए खर्चे को विनियमित करने के लिए 100273941रूपये की रा ि ा का अनुदान स्वीकृत किया जाए।

कि चिकित्सा एवम जनस्वास्थय के सबंध मे वर्श 1994–95 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान सै अधिक किए गए खर्चे को विनियमित करने के लिए 345504 रूपये की रा ि ा का अनुदान स्वीकृत किया जाए।

कि खाद्य एवम पूर्ति के सबंध मे वर्श 1994–95 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान सै अधिक किए गए खर्चे को विनियमित करने के लिए 209973 रूपये की रा ि ा का अनुदान स्वीकृत किया जाए।

कि प ा पालन सबंध मे वर्श 1994–95 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान सै अधिक किए गए खर्चे को विनियमित करने के लिए 7533691 रूपये की रा ि ा का अनुदान स्वीकृत किया जाए।

कि सहकारिता के सबंध मे वर्श 1994–95 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान सै अधिक किए गए खर्चे को

विनियमित करने के लिए 3445731 रूपये की रा ि ा का अनुदान स्वीकृत किया जाए।

वित मंत्री (प्रो0 सम्पत सिंह): स्पीकर साहब, ये डिमाण्डज 1994–95 की है इन पर पहले ही काफी चर्चा हो चुकी है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इनको सीधे ही पास कर दिया जाये।

श्री अध्यक्षः प्र न है––

कि गृह के सबध मे वर्श 1994–95 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदानो से अधिक किए गए खर्चे को विनियमित करने के लिए 94579566 रूपये तक की रा ि ा का अनुदान स्वीकृत किया जाये।

श्री अध्यक्षः प्र न है––

कि आबकारी व कराधान के सबंध मे वर्श 1994–95 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान से अधिक किए गए खर्चे को विनियमित करने के लिए 6389437 रूपये की रा ि ा का अनुदान स्वीकृत किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्र न है––

कि वित के सबंध मे वर्श 1994–95 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान सै अधिक किए गए खर्चे को

विनियमित करने के लिए 33103109 रूपये की रा ि ा का अनुदान स्वीकृत किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्र न है––

कि भवन व सडके के सबंध मे वर्श 1994–95 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान से अधिक किए गए खर्चे को विनियमित करने के लिए 73931672 रूपये की रा ि ा का अनुदान स्वीकृत किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्र न है––

कि ि ाक्षा के सबंध मे वर्श 1994–95 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान से अधिक किए गए खर्चे को विनियमित करने के लिए 100273941रूपये की रा ि ा का अनुदान स्वीकृत किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्र न है––

कि चिकित्सा एवम जनस्वास्थय के सबंध मे वर्श 1994–95 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान से अधिक किए गए खर्चे को विनियमित करने के लिए 345504 रूपये की रा ि ा का अनुदान स्वीकृत किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्र न है––

कि खाद्य एवम पूर्ति के सबंध मे वर्श 1994–95 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान सै अधिक किए गए खर्चे को विनियमित करने के लिए 209973 रूपये की रा ि ा का अनुदान स्वीकृत किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्र न है––

कि प ु पालन सबंध मे वर्श 1994–95 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान सै अधिक किए गए खर्चे को विनियमित करने के लिए 7533691 रूपये की रा ि ा का अनुदान स्वीकृत किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्र न है––

कि सहकारिता के सबंध मे वर्श 1994–95 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान सै अधिक किए गए खर्चे को विनियमित करने के लिए 3445731 रूपये की रा ि ा का अनुदान स्वीकृत किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुए।

बिल्ज

11.00 बजे

श्री अध्यक्षः अगर हाउस सहमत हो तो हरियाणा (सख्या 3) विधेयक 1999 पर बाद मे चर्चा कर ली जाए।

आवाजे: ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, इस बिल को बाद मे टेक अप किया जाएगा।

दि हरियाणा एप्रोप्रिए ान (न0 4) बिल, 1999

श्री अध्यक्ष: अब एक मंत्री हरियाणा विनियोग (सख्या 4) विधेयक, 1999 प्रस्तुत करेगे और उस पर विचार करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तूत करेगे।

Finance Minister (Prof. Sampat Singh): Sir, I beg to intoroduct the Haryana Appropriation (No. 4) Bill, 1999.

Sir, I also beg to move-

That the Haryana Appropriatin (No. 4) Bill be taken into consideration at once.

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि हरियाणा विनियोग (सख्या 4) विधेयक, पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्र ान हैऋ

कि हरियाणा विनियोग (सख्या 4) विधेयक, पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः अब सदन पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लाज 2

श्री अध्यक्षः प्र ान है–

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 3

श्री अध्यक्षः प्र ान है–

कि क्लाज 3 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

ि ाडयूल

श्री अध्यक्षः प्र ान है–

कि ि ाडयूल बिल का ि ाडयूल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 1

श्री अध्यक्षः प्र ान है–

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्षः प्र ान है–

कि इनैक्टिंग फार्मूला बिल का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री अध्यक्षः प्र ान है–

कि टाइटल बिल का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः अब मंत्री प्रस्ताव रखेगे कि बिल पास किया जाए।

Finance Minister (Prof. Sampat Singh): Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्र ान है

कि बिल पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) दि हरियाणा म्यूनिसिपल (सैकण्ड अमैडमैट) बिल, 1999

श्री अध्यक्षः अब एक मत्री हरियाणा नगरपालिका (द्वितिय सं ाोधन) विधेयक, 1999 प्रस्तुत करेगे और उस पर तुरन्त विचार करने के लिए प्रस्ताव करेगे।

नगर एवम ग्रामीण आयोजना मंत्री (श्री धीरपाल सिह): अध्यक्ष महोदय, मै हरियाणा नगरपालिका (द्वितिय सं ाोधन) विधेयक, 1999 प्रस्तुत करता हू।

मै यह भी प्रस्ताव करता हू

कि हरियाणा नगरपालिका (द्वितिय सं ाोधन) विधेयक, पर तुरन्त विचार किया जाये।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

कि हरियाणा नगरपालिका (द्वितिय सं ाोधन) विधेयक, पर तुरन्त विचार किया जाये।

श्री रण्दीप सिंह सुरजेवाला (नरवाना): स्पीकर साहब, जो हरियाणा नगरपालिका (द्वितिय सं ाोधन) विधेयक, 1999 पे ा किया है इसमे औक्ट्राय को अबोलि ान करने का प्रावधान मूलभूत रूप से किया गया है। स्पीकर साहब, सविधान मे जब 72वी और 73वी अमैडमैट की गई थी तो उस समय सविधान मे चैप्टर 9 तथा चैप्टर 9 (ऐ0) ऐड किये गये थे। इस अमैडमैट के तहत आर्टिकल 243 (आई) के अनुसार हर सरकार की यह जिम्मेवारी है कि वह अपने यहा एक फाईनैस कमी ान नियुक्त करे। पंचायती राज इन्टीच्यू ान बनाने का सपना स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी का था। उन्होने ही यह बिल पायलैट किया था और वे ही इस बिल को पार्लियामैट मे लेकर आये थे। स्पीकर साहब, इस बिल के अंदर उस समय स्पेसीफिकली यह प्रावधान किया गया था कि जब म्यूनिसिपल कमेटीज एवम पचायंती राज और जो दूसरी इन्स्टीच्यू ान है जैसे पचायती समितियो है, जिला परिशद है, वे जब तक वितिय तौर पर स्वाललंबी नही होगी तब उनका अपना कोई मायरना नही है। स्पीकर साहब, जब तक ये संस्थाए वितीय तौर पर स्वावलंबी नही होगी तब तक दे ा मे प्रदे ा मे सच्चे लोकतंत्र और प्रजातन्त्र की स्थापना भी नही हो सकती। इसलिए उस समय इस लिब के आर्टिकल 243(आई) के चैप्टर 9 कें अदंर यह प्रावधान किया गया था जो कि मैडेटरी है। स्पीकर साहब, हरियाणा सरकार को पजांब एवम हरियाणा हाई कोर्ट से इस बारे मे कई बार निर्दे ा भी आए है और सरकार से इस बारे मे पूछा भी गया है कि क्या आपने अपने यहां पर कोई फाइनैंस कम ान

क्रिएट किया है? स्पीकर साहब, आर्टिकल 243 (आई) जो कि चैप्टर 9 का हिस्सा है और आर्टिकल 243 (आई) जो कि चैप्टर 9ऐ का हिस्सा है इनके तहत फाईनैस कमी ान बनाना सरकार की सवैधानिक जिम्मेवारी है। चूकि अब औक्ट्राया अबोलि ा होने लग रहा है और कल मंत्री जी ने कहा था कि इससे 68 करोड रूपये का नुकसान होगा और सरकार ने चालू वर्श के लिए 23 करोड रूपये का घाटे की जगह प्रावधान किया है। स्पीकर साहब, इसलिए मै मंत्री महोदय से जानना चाहूगा कि क्या इन्होने अपने यहां फाईनैस कमी ान बनाया है। अगर नही बनाया तो कब तक बनायेगे। क्या ऐसा करके सरकार अपनी सवैधानिक जिम्मेवारी से दूर नही भाग रही ? यदि सरकार फाईनैस कमी ान अपने यंहा बनाना चाहती है तो कब तक बनायेगी और उसके लिए बजटरी एस्ओमेट कितना रखा जायेगा ?

नगर एवम ग्रामीण आयोन मंत्री (श्री धीरपाल सिह): स्पीकर साहब, माननीय सदस्य बार बार औक्ट्राय की ही बात कर रहे है कि कल भी मैने बताया था कि हरियाणा के मुख्यमंत्री महोदय श्री ओमप्रका ा चौटाला जी ने 1 नवम्बर, 1999 से हरियाणा प्रदे ा से चुगी समाप्त कर दी है। चुगी समाप्त करने के कारणो का भी उल्लेख कर दिया गया है। लेकिन आज सदस्यगण ने कोई दूसरी बात जाहिर कर दी। स्पीकर साहब, मै मेरे माननीय साथियो को बताना चाहूगा कि जिस समय आर्डिनैंस जारी किया गया था वह इसलिए किया गया था क्योकि उस समय विधान सभा

की कार्यवाही नही चल रही थी। यह सरकार का दायित्व भी है। स्पीकर साहब, कल भी हमने इस बारे मे बताया था और आज भी मै मेरे माननीय साथियो को बताना चाहूगा कि हमने वित आयोग की नियुक्ति कर दी है, तथा उस रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार ने एक सब कमेटी का गठन किया है। उस सब कमेटी की भी एक मीटिंग हो चुकी है और जैसे ही सब कमेटी की रिपोर्ट आयेगी, उस रिपोर्ट के आधार पर जो भी जायज बात होगी और लोगो के हित की बात होगी, उसे अनदेखा नही किया जाएगा और जो बाते लोगो के अहित की होगी उन्हे अनदेखा किया जाएगा। फिर भी मै आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह जानकारी देना चाहता हू कि जब तक सब कमेटी की रिपोर्ट नही आती तब तक सरकारी खजाने से 5 करोड रूपए हर महीने के हिसाब से म्यूनिसिपल कमेटियो को दे रहे है। इनको किसी तरह की चिन्ता करने की कोई आव यकता नही है (ाोर)

श्री रण्दीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी बताया कि फाइनैस कमी ान क्रिएट कर दिया गया है यह बात सही नही है। अभी तक कोई फाइनैस कमी ान गठित नही किया गया है मंत्री जी ने इस विशय मे अपने विभाग से दोबारा जानकारी ले ले। (ाोर)

श्री धीरपाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैने विभाग से इस बारे मे पूरी जानकारी ली है। उस जानकारी के अन्तर्गत ही मैने अपनी बात हाउस के अन्दर कही है। वित आयोग का गठन हुआ

था। उसके आधार पर ही सब कमेटी बनाई गई है। जिनकी एक मीटीग भी हो चुकी है। मै फिर जोर देकर कहा रहा हू कि वह सब कमेटी जो भी रिकमैडे ान देगी उसमे जो बाते लोगो के हित की होगी उन्हे स्वीकार किया जाएगा। जो बात लोगो के हित मे नही होगी उन्हे स्वीकार नही किया जाएगा। (ाोर) यह केवल राजनीतिक चर्चा करने वाली कोई बात नही है बल्कि माननीय सदस्य द्वार चौ0 ओमप्रका ा चौटाला जी, मुख्यमंत्री, हरियाणा सरकार को बधाई देना चाहिए। कि इतने लम्बे अर्से से चुंगी माफी की जो लोगो की डिमाण्ड लम्बित पडी थी उसको पूरा करके 62 करोड 20 लाख रूपये का लोगो को फायदा पहुंचायर है। (ाोर)

श्री मनीराम गोदाराः अध्यक्ष महोदय, माननीय सुरजेवाला जी कर रहे है कि यह उनकी जानकारी की बात है कि कोई सब कमेटी नही बनाई गई है जबकि मंत्री जी कर रहे है कि सब कमेटी बनाई गई है इसमे कन्फ्यूजन जरूर है। अगर मंत्री जी कहते है कि सब कमेटी बनाई है तो उनके पास इस सम्बन्ध मे कोई तीन चीज अथवा कागजात होने चाहिए।

मुख्यमंत्री (श्री ओमप्रका ा चौटाला): अध्यक्ष महोदय, कोई सदस्य अज्ञानता से कुछ कहता है तो उसका क्या किया जाए? बल्कि मंत्री जी ने तो यहां तक कह दिया कि सब कमेटी की एक मीटींग भी हो चुकी है। इसके भी आगे बढकर और क्या बात हो सकती है। (ाोर)

श्री रण्दीप सिंह सुरजेवालाः स्पीकर साहब, इन्होने जो फाइनैस कमी ान गठित किया है उसके चेयरमैन का नाम बता दे। (ाोर)

श्री धीरपाल सिंहः मैने कहा कि फाइनैस कमी ान बना था उसके आधार पर ही सब कमेटी का गठन हुआ। इसमे मुझे किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नही है। (ाोर)

श्री रण्दीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, ये उसके चेयरमैन का नाम बता दे। (ाोर)

श्री ओमप्रका ा चौटालाः अध्यक्ष महोदय, फाइनैंस कमी ान का गठन हुआ था और पहले उसके चेररमैन बिसला साहब थे और उसके बाद डा0 कमला वर्मा थी।

श्री रण्दीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, कोई फाइनैंस कमी ान नही बनाया गया। (ाोर)

श्री धीरपाल सिंहः उस फाइनैंस कमी ान के चेयरमैन इनकी पार्टी के ही सदस्य बिसला साहब रह चुके है। इनको पता होना चाहिए। (ाोर)

डा0 कमला वर्माः अध्यक्ष महोदय, फाइनैंस कमी ान बना था उसकी कई मीटींगे हुई थी तथा कई सिफारि ो भी की गई और नगरपालिकाओ तथा पचांयती राज संस्थाओ को आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई गई।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः आज जो फाइनैंस कमी ान है उसका चेयरमैर कौन है?

श्री धीरपाल सिंहः स्पीकर साहब, और बहन कमला वर्मा जी ने अपनी जो रिपोर्टस दी है अगर उनको सुरजेवाला साहब देखना चाहते है तो ये मेरे आफिस मे आ जाए मै सारी की सारी रिपोर्ट इनके सामने रख दूंगा। ये रिपोर्ट को आराम से पढ ले और अपने दिमाग को साफ कर ले।

श्री ओमप्रका ा चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से सदन से निवेदन करूगा कि रण्दीप सिंह बेचारा बच्चा है इसकी बात को आई गई करे। (हंसी)

कैप्टन अजय सिंह यादवः स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ट्रेडर्ज की बहुत बुरी हालत थी, उसको ध्यान मे रखते हुए और ट्रेडर्ज को सम्मान देने के लिए औकट्राय अबोलि ा की है।

श्री मनी राम गोदाराः औकट्राय अबोलि ा कंहा कर दी।

श्री धीरपाल सिहः चौधरी साहब, माननीय मंख्यमंत्री जी के आदे ाो की पालना करते हुए 1.11.1999 से हरियाणा प्रदे ा ममे औक्ट्राय अबोलि ा कर दी गई है।

श्री मनी राम गोदाराः आपने साथ साथ यह भी कहा है कि इस मामले के लिए कमेटी गठित की है।

श्री धीरपाल सिंहः स्पीकर साहब, मैने बिनती की है कि पहले बिसला साहब वित्त आयोग के चेयरमैन थे, उसके बाद बहन कमला चेयरमैन बनी। उनकी रिपोर्ट आ गई है। उस पर सब कमेटी बनी है। लेकिन हरियाणा प्रदे ा मे औकट्राय 1.11.1999 से अबोलि ा हो गई है। विधान सभा बैठी नही थी इसलिए पहले इस बारे मे आर्डीनैंस लाने की आव यकता पडी। आर्डीनैंस के बाद यह बिल लाया गया है जिस पर चर्चा हो रही है।

श्री ओमप्रका ा चौटालाः गोदारा साहब, कोई आयोग स्थिति नही होता है। हर पांच साल के बाद बदल जाता है। अब बच्चा हो तो उसको समंझाए बुजुर्ग को क्या समझांए।

कैप्टन अजय सिंह यादवः स्पीकर साहब, औकट्राय अबोलि ा करने के बाद बहुत सी ऐसी म्यूनिसिपल कमेटीज है जिनकी बहुत बुरी हालत है। ऐसी बहुत सी म्यूनिसिपल कमेटीज है जिनके पास अपने एम्पलाइज को तनखाह देने के पैसा नही है। उन कमेटीज मे एम्पलाइज को पिछले 3–3 और 4–4 महीन से तनखाह नही मिली है। कुछ ऐसी म्यूनिसिपल कमेटी है जिनकी आय का साधन केवलमात्र औकट्राय थी। कुछ ऐसी म्यूनिसिपल कमेटी है जिनकी अपनी कोई आय नही है। मै यह जानना चाहता हू कि जो म्यूनिसिपल कमेटी अपने एम्पलाइज को तनखाह नही दे

पा रही है उन एम्पलाइज को तनखाह देने के बारे मे सरकार क्या कार्यवाही कर रही है। (ाोर)

श्री मनी राम गोदाराः स्पीकर साहब, मै आपके माध्यम से कहना चाहूगा कि जो बिल पे ा किया गया है इस पर बहस करने की बात है और इस बिल की हर क्लाज पर बहस करने की बात है हम इस बिल की हर आईटम पर बहस करेगे यह सीधी सी बात है। आपने जो बिल पे ा किा है उस पर डिस्क ान तो हम करेगे।

श्री धीरपाल सिंहः आप खुली बहस करे। ये पूछना चाहते है इनका जवाब तो देना पडेगा।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, एक बात मै पूछना चाहते है इनका जवाब तो देना पडेगा। किया गया है उससे कई विकास के काम रूक गए है। जैसे जो स्लम एरियाज थे उनमे अब कोई काम नही हो रहा। लेकिन बाडीज के जो मैम्बर चुनकर आते थे और औकट्राय के माध्यम से कुछ पैसा म्यूनिसिपल कमेटीज के पास आता था लेकिन अब वह पैसा नही आयेगा जिस कारण वे कोई डिवैल्पमैट के काम अपने एरियाज मे नही करा पाएगे। जितनी भी सरकारे अब तक आई है वे कोई न कोई टैक्स माफ करती रही है जिस कारण डिवैल्पमैट के काम रूक जाते है। मेरी इस बारे मे व्यपारियो से बातचीत हुई है। व्यापरियो ने बताया कि इससे हमारे ऊपर कोई खास असर नही पडा हां जो लाईन ने

खडे होते थे उससे जरूर बचे है। मै सरकार से जानना चाहता हू कि नगरपालिकाओ की आर्थिक हालात सुधारने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे है। दूसरे मै यह जानना चाहता हू कि जो सब कमेटी बनाई गई है वह किन गाईड लाइन्ज पर काम करेगी?

श्री धीरपाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, मै इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूगा कि हमारे प्रदे ा मे 82 नगरपालिका और नगरपरिशद है। इनमे से 20 नगरपालिकांए ऐसी है जंहा पर जो चुंगी आती थी उससे अधिक का खर्चा वहा पर हो रहा था। ये आज स्लम एरियाज की बात करते है। मै पूछना चाहता हू कि ये अपने समय मे जब 1991 से 1996 तक मंत्री रहे तो उस समय इन्होने कितना काम स्लम एरियाज के लिए करवाया ? साथ ही साथ मै इनकी जानकारी के लिए यह भी बताना चाहूगा कि रिवाडी नगरपालिका ऐसी है जंहा पर या तो आय खर्च के बराबर थी या कम थी। हमने 1.11.1999 को चुगी खत्म की है। आज चुंगी को खत्म हुए 16 दिन होने जा रहे है। सरकार चुंगी के 3108 कर्मचारियों को समायोजित करने की कार्यवाही कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री चौटाला साहब ने यह साफ तौर पर कहा है कि जब वे समायोजित नही हो पाएगे तब तक उनकी पे सरकारी कोश से दी जायेगी।

श्री मनीराम गोदारा (भट्टू कलां): स्पीकर साहब, इस बिल के ऑब्जैक्ट्स एण्ड रीजन्ज मे यह लिखा है:—

" Considering that octroi has adverse impact on trade and commerce, that there is waste of time and fuel at check posts and there is corruption/leakage in its administration/assessment and that in many municipalities it has collection cost, the State Government decided to abilish octroi in the State of Haryana with effect from 1st November, 1999, Accordingly, the Haryana Municipal (Second Amendment) Ordinance, 1999 (Haryana Ordiance No. 5 of 1999) was promulgated on 1st November 1999. The Proposed Bill now seeks to replace the Ordinace with the Bill in the ensuing Session of Haryana Vidhan Sabha"

इस मामले के बारे मे बहुत लम्बी बहस भी हुई थी। ऐसा नही है कि हम इसके खिलाफ है। जब हमारी सरकार थी उस वक्त हमारी लोकल बाडीज मिनिस्टर बहन कमला वर्मा जी थी। इनके समाने भी पूरे तौर पर हर पहलू पर गौर करके डिस्क ान हुई कि हम इसके अन्दर क्या कर सकते है और कैसे कर सकते है इसको कैसे माफ किया जा सकता है तथा ऐसा कौन सा तरीका अपनाया जा सकता है कि यहं चुंगी माफ हो जाए। आखिर मे यह काम मेरे जिम्मे लगा दिया गया।

श्री ओमप्रका ा चौटाला: गोदारा साहब, आप उस सब कमेटी के चेयरमैन थे।

श्री मनीराम गोदारा: मै उसका चैयरमैन नही था इसलिए इस मामले के अन्दर जवाब नही दिया है। चेयरमैन के नाते मैने कुछ नही किया। कैबिनेट के अन्दर रख कर इसका

फेसला किया गया था कि बहन कमला वर्मा जी दूसरी स्टेटो के अन्दर जाएगी और स्टडी करेगी कि किस तरीके से इसको माफ किया जाए।

श्री ओमप्रका ा चौटालाः गोदारा साहब, आप उस सब कमेटी के चेयरमैन थे।

श्री मनी राम गोदाराः मै उसका चैयरमैन नही था इसलिए इस मामले के अन्दर ऐसा जवाब नही दिया है। चेयरमैन के नाते मैने कुछ नही किया। कैबिनेट के अन्दर रख कर इसका फेसला किया गया था कि बहन कमला वर्मा जी दूसरी स्टेटो के अन्दर जाएगी और स्टडी करेगी कि किस तरीके से इसको माफ किया जाए।

श्री धीरपाल सिंहः जो बात आपने की है वह सरकारी रिकार्ड मे दर्ज है इसी के आधार पर ये कर रहे है।

श्री ओमप्रका ा चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैने कल भी यह बात कही थी और आज इनको याद दिलाना के लिए फिर बता देता हू कि एक सब कमेटी बनाई गई थी जिसके चैयरमैन गोदारा साहब थे। उस सब कमेटी ने यह निर्णय लेना था कि म्यूनिसिपल टैक्स घटाया जाए। अगर सही तरीके से देखा जाए तो आप इस टैक्स को घटाना या माफ करना नही चाहते थे।

श्री मनी राम गोदाराः अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल गलत बात है। मैने यह कहा था कि इसको थोरीली स्टडी किया जाए।

प्रो0 राम बिला ा भार्मा जी उस सब कमेटी के मैम्बर थे । वह सब कमेटी सात मैम्बरो की थी जिनमे से इस छ सदस्य इनकी सरकार मे है।

श्री ओमप्रका ा चौटालाः अध्यक्ष महोदय, इन छ लोगो ने इनकी बात का विरोध किया था और इसको माफ करना चाहते थे लेकिन ये म्यूनिसिपल कमेटीज का टैक्स बढाना चाहते थे। इनके हाथ मे होम मिनिस्ट्री का डण्डा भी था फिर भी कुछ नही कर पाए।

श्री मनी राम गोदाराः अध्यक्ष महोदय, मै इसमे जो प्रयास छोड दिए गए है उनके बारे बोलना चाहता हू। किस हिसाब से म्यूनिसिपल कमेटीज की डिमाण्ड को पूरा करेगे ? क्या क्राईटीरिया उसके लिए लिया गया है या क्या क्राईटीरिया रखेगे और किस ढंग से यह होना चाहिए जिससे म्यूनिसिपल कमेटियो को कोई आमदनी हो सके क्योकि लोकल बोडीज की तरफ से बार बार मांग आती रही है कि उनके आदमी के साधानो को बढाया जाए। जब तक म्यूनिसिपल कमेटियो को आमदनी के साधन उपलब्ध नही करवाए जाएगे तब तक वे डिवैलमैट कैसे कर पाएगी। उनके पास साधन उपलब्ध न होने से विकास के कोई काम नही होगे इसलिए उस सब कमेटी के अन्दर यह फेसला किया गया था। वह मै बता देता हू। पहले जो टैक्स लिया जाता था वह वजन पर लिया जाता था माल की कीमत के अनुसार टैक्स नही लिया जाता था। एक ट्रक मे अगर लोहा लदा है तो उस पर भी

उतना ही टैक्स था जितनो उनती ही वजन से सोने के लदे हुए ट्रक पर था इसलिए यह फेसला किया गया था कि माल के हिसाब से म्यूनिसिपल कमेटी का टैक्स लगे। हमारे आफिसर्ज भी बैठे हुए थे उनसे बराबर की स्टेटस मे लागू टैक्स के बारे मे पूछा गया था जो टैक्स हम ले रहे है बराबर की स्टेटस ने जो टैक्स लगाया है वह उससे ज्यादा तो नही है। हमारे पास जो रिपोर्ट आई थी वह यह थी कि बराबर की स्टेटस मे हर आईटम से आधे से ज्यादा कम है। (विघ्न)

श्री ओमप्रका ा चौटालाः अध्यक्ष महोदय, इनको पता है कि सरकारी रिकार्ड है उस समय गोदारा साहब होम मिनिस्टर थे और उस कमेटी के चैयरमैन भी थे। अगर मै यह रिपोर्ट पढ कर सुना दू तो इनको सब कुछ याद आ जाएगा। यह रिपोर्ट काफी लम्बी है इसका रैलेवैन्ट पो र्ान मै कौट कर देता हू।

"The then Chief Secretary also recommended that the Octrol should not be abolished. Therefore, the sub Committee came to the conslustion that Octroi should not be abolished."

श्री मनी राम गोदाराः आप टैक्स बढाने के पक्षधर थे और बहन जी घटाने के पक्ष मे थी।

श्रीमती कमला वर्माः अध्यक्ष महोदय, उस वक्त जो कमेटी बना थी उसने अपना निर्णय लिया। यह बात तो भाननी पडेगी कि व्यापारी टैक्स से दुखी थे और इस सरकार ने आने के

बाद इसको खत्म कर दिया तो इसमे बहस करने कोई जरूरत नही है। (विघ्न)

श्री मनी राम गोदाराः अध्यक्ष महोदय, अगर ये जमुना नगर और जगाधारी को पैरिस बनाना चाहते है तो हम इसको अपोज करते है हम इसकें लिए तैयार नही है।

श्री ओमप्रका ा चौटालाः गोदार साहब,मैने केवल एक बात कही है कि आप यह कर रहे थे कि आप उस कमेटी मे नही थे। आप उस कमेटी के चेयरमैन थे उसमे जो लिखा है वह मै आपको बता देता हू।

"The Sub Committee came to teh conclusion that Octroi should not be abolished."

श्री मनी राम गोदाराः मैने जो कहा है और जिस तरीके से कहा है वह कुछ और है। आप जो कर रहे है और जिस तरीके से कह रहे है वह कुछ और तरीका है। (विघ्न)

श्री चरण दास भाोरेवालाः अध्यक्ष महोदय, इन्होने तो बढा दिया था और उसके बाद यह मामला कैबिनेट मे गया। जब कैबिनेट मे गया तो तो इलैक ान का मामला आ गया था और इन्होने वह मामला बन्द कर दिया।

श्री मनी राम गोदाराः मै जो आपसे बता रहा हू वह आप सुने। पोलिटीकल आदमी कोई भी बात चाहे किसी ढंग से कहे। उस वक्त जो बात सामने आई थी वह हमने करी थी आप

देखे यह राजस्थान मे भी हो चुका है। म्यूनिसिपल कमेटी मे अगर कमेटी का टैक्स और दूसरी टैक्स माफ कर दिए जाएगे तो आमदनी का सोर्स क्या होगा ? (विघ्न)

श्री धीरपाल सिंहः आप यह बताए कि आप इसके पक्ष मे है या विरोध मे है ?

श्री मनी राम गोदाराः मै इसको विरोध मे हू। मै तो यह कहूगा कि आप किसी भी पोलिटिकल दबाव मे आकर ऐसा न करे। आप राजस्थान मे जाकर देखे कि वहा पर क्या हुआ था।

श्री ओमप्रका ा चौटालाः गोदारा साहब, सरकार का काम केवल पैसा अर्जित करना ही नही है बल्कि सरकार का काम लोगो की मूलभूत जरूरियात पूरी करे। सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह इस प्रदे ा के लोगो को सम्मानजनक जीवन व्यतीत करने का अवसर प्रदान करे।

श्री मनी राम गोदाराः वह पैसा भी तो लोगो का ही है।

श्री ओमप्रका ा चौटालाः इसी के दृश्टिगत हमने औक्ट्राय समाप्त करने का निर्णय लिया है आप यह बात दिमाग से निकाल दो कि पैसा कहा से आएगा। पैसा इकट्ठा करना सरकार का काम नही है सरकार का काम लोगो की सुविधाओ को देखना है। अगर सब आपकी तरह से सोचने लगे फिर तो अस्पताल भी बंद हो जाएगे, वाटर वर्क्स भी बंद हो जाएगे। सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह लोगो की जरूरियात को पूरी करे। पैसा

इकट्ठा करने का काम हमारा नही है। यह सोच तो केवल आपकी ही हो सकती है, आपकी जो यह सामान्त ाही सेाच है इसको आप बदले।

श्री मनी राम गोदाराः स्पीकर साहब, इनको, उन आदमियो को बाद मे बताना पडेगा कि आज जो यह खजाने से 65 करोड रूपये आप दे रहे है वह किसका पैसा है?

श्री धीरपाल सिहः वह पैसा लोगो का है और लोगो के लिए है। हम आपकी तरह नही है कि आपके रिकमंडे ान जारी कर दी कि चुगी बढा दो और बाद मे जब व्यापारी भाईयो और उपभोक्ताओ का डंडा लगा तो आप मे भी, चौधरी बंसी लाल जी मे भी यह हिम्मत नही हुई कि आप चुंगी बढा दो। आप हिम्मत पैदा करो लेकिन आप लोगो ने तो लोगो को सुविधा देना सीखा ही नही है। आपने तो केवल लोगो को परे ाानी देना ही सीखा है। आपने सवा तीन साल मे लोगो को परे ाानियो के अलावा और दिया ही क्या है। (विघ्न)

श्री मनी राम गोदाराः इस तरह से रटी रटाई बातो से काम नही चलता। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः मनीराम जी, अब आप बैठे क्योकि आपकी बात पूरी हो चुकी है।

श्री मनी राम गोदाराः सर, अभी मेरे बात पूरी नही हुई है। मै जनरल डिस्क ान पर डिस्कस कर रहा हू और इस पर मै

दो या तीन घंटे बोल सकता हू। आप मुझे अपनी बात कम्पलीट करने दे। (विघ्न) स्पीकर साहब, मै अपनी बात पूरी करने के लिए खाडा हुआ हू न लोगो को जानवर कहने के लिए खडा हुआ हू।

श्री धीरपाल सिंहः स्पीकर साहब, गोदारा साहब हमाने बहुत ही वरिश्ठ विधायक है, दूसरे भी हमारे विधायक साथी बैठे है जिस ढंग से हमाने माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोलने के लिए सबको खुली छूट दी है वैसी छूट हमे कभी भी नही मिली। आप 1996 से लेकन 1998 तक का रिकार्ड उठाकर देख ले हमे बिलो पर बोलने के लिए एक मिनट का भी फालतू समय नही दिया जाता था। मै 1982 मे मैम्बर हू। लेकिन हमे कभी भी इतना समय बोलने के लिए नही मिलता था लेकिन गोदारा साहब, आप बोलिए आपको तो बोलने की पूरी छूट मिली हुई है।

श्री मनी राम गोदाराः स्पीकर साहब, मै यह बात कहना चाहता था कि मै इस बिल की जनरल डिस्क ान पर बोल रहा हू और जनरल डिस्क ान पर कोई मैम्बर कितनी ही देर तक बोल सकता है। (विघ्न) ये हर बार यही कह देते है कि 1996 मे यह हुआ, 1997 मे यह हुआ और 1998 मे यह हुआ।

श्री धीरपाल सिंहः गोदारा साहब, जिस चेयर पर आप बैठे है इसी पर मै भी बैठता था लेकिन हमे कभी भी बिलो पर फालतू समय बोलने के लिए नही दिया जाता था जबकि अब मुख्यमंत्री जी कर रहे है कि आप जितना चाहे बोले।

श्री मनीराम गोदाराः मै आपकी अनुमति से नही बोल रहा हू। मै अध्यक्ष जी, की अनुमति से बोल रहा हू। मै यह कह रहा था कि बार बार जो 1997 और 1998 की बात करते हो तो जो बात मै कहना नही चाहता था लेकिन मुझे कहनी पडेगी। गांव वाली बात है। एक पडिंत और एक मौलवी दोनो साथ साथ रहते थे। पडौस मे रहते थे। दोनो दोस्त थे। जरूरत पडने पर एक दूसरे के घर मे बर्तन चारपाई ले जाते थे। एक बार पंडित जी, मौलवी जी आप घर से बर्तन उठाकर ले गए थे और आपकी थाली मै उन्होने मीट खाया। पंडित जी ने कहा कि अच्छा उन्होने ऐसा किया अब मै उसकी थाली मे गोबर खाऊगा। मेरा कहने का भाव यह है कि हम अगर कुछ करते थे तो वही काम करोगे क्या? हम जो बात कर रहे है उसे सुनो। हम कायदे कानून की बात कर रहे है। ठीक है हमने 1997,1998 और 1999 मे किया लेकिन अब जो मै कह रहा हू वह भी तो मै मै ही कह रहा हू। मेरे कहने का मतलब यह था कि जब वह मुद्दा हमारे पास आया तो अनोफि ायली तौर पर आया। हमने बातचीत की और उस वक्त यह साफ हुआ और टैक्स लगाने की बात पर मैने खुद कहा, मै यह बात सडको पर भी मानूगा, हल्के मे भी मानूगा कि मैने कहा कि किसान पर इस असैस का बोझ पडेगा, चाहे सेल्ज टैक्स का असैस हो, चाहे किसी और चीज का असैस हो and I am not prepared for it. आपने इस पर विचार नही किया। अगर आप 68 करोड रूपया दे रहे है क्या वह जानने के लिए दे रहे है ? जनता

कौन है ? गांव के अदंर किसान जो खेत मे पानी लगता है क्या वह जनता नही है?

श्री धीरपाल सिंहः आप किसानो के और जनता के ज्यादा हमदर्द थे। दारू के मुद्दे पर आपने स्टेट के 1200 करोड रूपये का भट्ठा बैठा दिया। मै तो आपके सामने बच्चा हू। आपने कौन सा परमिट ले रखा है। मैने अगर कह दिया कि जनता का पैसा जनता के लिए है तो इसमे गलत क्या कहा दिया ?

श्री मनी राम गोदाराः मुझे तो इस बात से कश्ट है क्योकि मै भी जनता मे आता हू।

श्री धीरपाल सिंहः मैने कोई ऐसी बात नही कही है। आप तो मं ाा बना कर आये है कि इस मुद्दे पर भागेगे। आप अपने समय मे चुंगी माफ नही कर पाए। अब आप भागने की कोि ा ा कर रहे है। आप यह बताए कि उपभोक्ता कौन है ? Who is he ? किसान से क्या अभिप्राय है।

श्री मनी राम गोदाराः मै भी यही कहता हू। मेरी बात का जवाब दे देना।

श्री अध्यक्षः गोदारा साहब, आपको बोलते हुए काफी समय हो गया है। आप बिल के सिद्धान्तो की बात कीजिए।

श्री मनी राम गोदाराः अध्यक्ष महोदय, मै बिल पर ही बोल रहा हू। उससे बाहर तो मै एक भाब्द भी नही बोला हू।

श्री ओमप्रका ा चौटालाः अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार के समय फाइनैंस कमी ान ने जो रिकमेडे ान दी थी उसको एग्जामिन करने के लिए एक सब कमेटी बनाई थी उस सब कमेटी के चेयरमैन गोदारा साहब थे। इसकी उम्र के हिसाब से याददा त कमजोर हो गई है।

श्री मनी राम गोदाराः अध्यक्ष महोदय, जो बाते मेरेा सामने हुई है उनको मै बता रहा हू। उनके लिए मेरी याददा त कमजोर नही हुई है।

वित्त मंत्री (प्रो0 सम्पत सिंह): अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी की कहने की मन् ाा यह थी कि फाईनैंस कमी ान ने जो रिकमेंडे ान दी थी उसको एग्जामिन करने के लिए एक सब कमेटी बनाई गई थी और गोदारा उस सब कमेटी के चेयरमैन थे यह बात उनके ध्यान मे नही है। लेकिन उस सब कमेटी की कोई भी मीटिंग इन्होने नही की।

श्री मनी राम गोदाराः मै जिस कमेटी का चेयरमैन था उसकी मैने मीटिग की थी। मै उस कमेटी का चैयरमैन था जिस कमेटी ने यह फैसला करना था कि म्यूनिसिपल कमेटी द्वारा जो चुंगी लगाई जाती है वह किस आईटम पर कम लगनी चाहिए और किस आईटम पर ज्यादा लगनी चाहिए। उस कमेटी के सिवाए मै किसी कमेटी का चेयरमैन नही था।

श्री ओमप्रका ा चौटालाः अध्यक्ष महोदय, उस समय जितनी भी कमेटियां बनाई गई थी गोदारा साहब उन सभी कमेटियो के चेयरमैन थे इसलिए इनको याद नही रहा। (विघ्न)

श्री मनी राम गोदाराः अध्यक्ष महोदय, मै किस कमेटी का चेयरमैन नही था। चौटाला साहब इस बारे मे मुझे आदे ा दिखा दे। मै सिर्फ इनके कहने मात्र मे नही मानता।

श्री अध्यक्षः गोदारा साहब, आपको बोलते हुए काफी समय हो गया है इसलिए आप बैठ जांए।

श्री मनी राम गोदाराः अध्यक्ष महोदय, मै तो दो ही बाते कहना चाहता हू। एक तो यह कि हम जो डिसीजन ले वह जूडीि ायल डिसीजन ले, पोलिटिकल कंसिड्रे ान को सामने रखते हुए लेागो पर फाईनैंस का बोझ न डाले। दूसरी बात यह है कि अगर आप 96 करोड 65 करोड या 70 करोड रूपया खजाने मे से देते है तो उस पैसे मे उस आदमी का भी हक है जो एक आने, चार आने और आठ आने मे नमक खरीदता है। आप उस आदमी के लिए भी उस खजाने का पैसा बरतो। यह नही कि पोलिटिकल हिसाब से सोचो और उस पैसे को यूटीलाईज करो। गवर्नमैंट लैवल पर जो भी फेसला होगा, वह जुडीि ायल होगा। जुडीि ायल फेसला करते वक्त बहुत सोचना पडेगा कि किसान से लेकर मजदूर तक किसके ऊपर कितना बोझ पडता है।

श्री ओमप्रका ा चौटालाः हम राजीतिज्ञ लोग है और जो भी राजनीतिक निर्णय इस सदन मे लिए जाते है वे निर्णय लोगो के हित के दृश्टिगत लिए जाते है। आपने कहा कि चुंगी माफ करके सरकार ने 68 करोड रूपए का नुकसान उठाया है। मुझे बडा अफसोस है कि भाराब बन्दी के वक्त जब 1200 करोड का नुकसान हो रहा था तब आपकी जुबान से एक भी भाब्द नही निकला और अब बोल रहे हो। जब भाराब बन्दी को खोला गया तक आपसे पूछा नही गया और आप प्रजातात्रिक पद्धति को पांव तले रौद गए। जब भाराब को बन्द किया गया और उसको खोला गया तब न ही आपसे ओर न ही इस सदन से पूछा गया था। उस समय आपकी जुबान बन्द हो गई थी।

श्री मनी राम गोदाराः मेरी जुबान बन्द नही हुई थी बल्कि राम बिलसा जी इस बारे मे बोले थे।

डा0 कमला वर्मा (यमुनानगर): अध्यक्ष महोदय, राम बिलास जी को तो कागज दे दिया गया था कि आप बिल पे ा करो और उनको सरकार मे प्रमुख पार्टनर होते हुए बिल पे ा करना पडा। (ाोर)

श्री हर्श कुमारः स्पीकर साहब,.....

श्री अध्यक्षः हर्श कुमार जी जो कुछ भी कह रहे है वह रिकार्ड न किया जाए।

श्री कर्ण सिंह दलाल (पलवल): अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से धीरपाल सिंह जी से निवेदन करना चाहता हू कि यह जो हरियाणा नगर निगम (द्वितीय) सं ाोधन विधेयक, 1999 पर चर्चा हो रही है। इन्हेाने चुंगी खत्म करने का फेसला लिया है। यह फेसला बहुत ही अच्छा है। मै यह अनुरोध करना चाहता हू कि क्या ये ऐसी व्यवस्था करेगे कि म्यूनिसिपल कमेटियो मे जो पैसा जाएगा तो वह किस तरीके से जाएगा और वहा कहां कहा यूटिलाईज होगा? जो पैसा वहा जाएगा क्या उसका यूटीलाईजे ान उसी तरीके से होगा जैस हरियाणा सरकार के खाते से सी0ए0टी0ए0 के जरिए से होता है? क्योकि जब वह पैसा कमेटियो मे जाता है तो जनता के चुने हुए नुमाइन्दे नियमो की पालना न करते हुए उस पैसे को कही और खर्च कर देते है। (ाोर एवम व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मेरा सभी माननीय सदस्यो से नम्र निवेदन है कि आप अपनी अपनी सीटो पर बैठ जाये। (ाोर एवम व्यवधान) हर्श कुमार जी, प्लीज आप भी बैठिये। हर्श कुमार जी जो कुछ भी कहे वह रिकार्ड न किया जाये। (ाोर एवम व्यवधान)

श्री हर्श कुमार: अध्यक्ष महोदय.....

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मै एक बात और पूछना चाहते हू कि पिछले दिनो जब हमारी सरकार थी उस समय एक प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी। (ाोर एवम व्यवधान)

श्री अध्यक्षः प्लीज आप सभी अपनी सीटो पर बैठे । (ाोर एवम व्यवधान) गोदारा साहब, प्लीज आप बैठे। (ाोर एवम व्यवधान) चौहान साहब, आप भी बैठे।

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मै चौहान साहब की बहुत इज्जत करता हू इसलिए मै इनके बारे मे कोई ऐसी वैसी बात नही कहना चाहता जिससे लोग हसे। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के अंदर चौधरी बसी लाल जी की सरकार मेरे खुन पसीने से बनी थी। (ाोर एवम व्यवधान)

श्री हर्श कुमारः अध्यक्ष महोदय, दलाल साहब कहते है कि इनके खुान पसीने से हमारी सरकार बनी थी, यह गलत है। बल्कि इनको राजनीति से लाने वाले ही चौधरी बसी लाल जी थे। ये तो हरद्वारी लाल जी के पैर दबाते थे।

श्री ओमप्रका ा चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मै माननीय साथी श्री हर्श कुमार जी को कहना चाहता हू कि ये हाउस की गरिमा को बनाये रखे। जब स्पीकर साहब, स्वंय इनको खडे होकर बैठने के लिए कहे तब तो कम से कम बैठ जाये। अध्यक्ष महोदय, ये आपसे अनुमति लिये बगैर ही बोलने रहते है।

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, हर्श कुमार जी ने कहा कि मै चौधरी हरद्वारी लाल जी के पैर दबाता था। मै इनको इस बारे मे बताना चाहूगा कि मै चौधरी बसी लाल जी के बहुत नजदीक था और मै उन्हे अपने पिता के समान समझता थां।

उनकी बहुत इज्जत करता हू। एक बुजर्ग की जितनी भी इज्जत की जाये वह कम होती है। अध्यक्ष महोदय, इन भाईयो ने तो टिकट लेने के लिए मेरे पैर दबाये थे।

श्री हर्श कुमारः अध्यक्ष महोदय, हमने तो इनके पैर नही दबाये। लेकिन जब गया लाल जी के लडके उदयभान को पार्टी से निकाल दिया था। तक ये मेरे पास आये थे कि मै उसको टिकट दिलवा दू। (ाोर एवम व्यवधान)

श्री अध्यक्षः हर्श कुमार जी, आप बैठिये।

श्री हर्श कुमारः अध्यक्ष महोदय, अगर कोई व्यक्तिगत तौर पर मुझे पर कटाक्ष करेगा तो मै उसका जवाब दूगा ही। (ाोर एवम व्यवधान)

12.00 बजे।

श्री धीरपाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, जो व्यक्ति यहां हाजिर नही है ओर न ही विधान सभा मे प्रवे ा कर सकता है, उसका नाम लेकर बेकार मे बहस की जा रही है। (ाोर)

श्री मनी राम गोदाराः अध्यक्ष महोदय, यहां पर बिल की बहस थी और ये लोग दूसरी तरह की चर्चा करने लग गये है। (ाोर)

श्री धीरपाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था के प्र न की बात जो है तो यंहा पर गया लाल के बेटे की बात आई जिस

पर मैने कहा कि जो विधान सभा मे प्रवे ा नही कर सकता और अपनी बात कह नही सकता उसके ऊपर चर्चा नही होनी चाहिए जबकि उधर वाले विपक्ष के साथी ये कह रहे है कि ऐसी प्रथा रही है। यदि ऐसी प्रथा है तो आप विधान सभा को माहौल क्यों खराब कर रहे है। (ाोर एवम व्यवधान)

श्री जगननाथः स्पीकर साहब, दलाल जाट होते हुए बी0जे0पी0 मे है। यह बात समझ मे नही आई।

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से चौधरी जगननाथ को बताना चाहूगा क्योकि ये भूल चुके है कि कल भी हमारी दोनो पार्टियो के नेता चौधरी ओमप्रका ा चौटाला ने इन पार्टियो की विचारधारा के बारे मे बताया था। चौधरी जगननाथ अभी बीच मे उठकर कर रहे थे कि मै जाट हू। और बी0जे0पी0 मे चला गया लेकिन आपके माध्यम से मै इनको बताना चाहूंगा कि इन्ही दोनो पार्टियो ने मिलकर ही पिछले दिनो लोक सभा की दस की दस सीटो पर जीत हासिल की है (ाोर)

श्री जगननाथः अध्यक्ष महोदय, इससे पहले 1984 मे इनकी दो सीटे ही आई थी। (ाोर)

डा0 कमला वर्माः अध्यक्ष महोदय, दो से दो सौ भी हो गई है।

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मै मंत्री जी से यह जानना चाहूगा कि हरियाणा के अन्दर कई नगरपालिकाए

एग्जिसटैंस मे आई और लोगो को इस बात के ऊपर एतराज था कि पचायते के कुछ एरियान नगरपालिकाओ मे मिला लिए। इनके विचार मे कुछ ऐसी नगरपालिकाए है जा वायबल नही थी जो राजनीतिक कारणो से बनी थी और पुन उनकी जगह पचायते बनी।

श्री धीरपाल सिहः अध्यक्ष महोदय, चूकि चूंगी समाप्ति आर्डीनैंस की एवज मे यह बिल आया है। इस पर चर्चा होते हुए माननीय और आदरणीय विधायक गोदारा जी ने चर्चा मे इधर उधर की बाते की। लेकिन मै तो एक ही बात कहना चाहता हू कि कबीर जी एक बात कह गये थे कि बुरा जो देखन मै चला बुरा न मिलया कोए जो मन खोज अपना तो मुझ से बुरा न कोए। गोदारा साहब, आप तो धन्य होते कि जब हरियाणा प्रदे ा दि ाहीन हो रहा था ओर हमारी पार्टी ने तथा आदरणीय चौधरी ओमप्रका ा चौटाला ने इसी सदन मे भाराबबन्दी की एवम मे आपको भरपूर समर्थन दिया था। अधयक्ष महोदय, इनकी पार्टी का नेतृत्व गुमराह हो रहा था और बार बार भांका जाहिर हो रही थी कि युवा पीडी दि ाा हीन हो रही है, भाराब माफिया पैदा हो रहा है, 1200 करोड के घाटे पैदा किए गए, सडके टूट गई, विकास कुछ हुआ नही। तक तो इनको कुछ चिन्ता हुई नही क्योकि ये कुछ भी नही कर पाये। भारतीय जनता पार्टी का प्रयास था कि चुंगी समाप्त हो इस वजह से भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा विकास पार्टी के सहयोग से सरकार बनी थी। बी0जे0पी0 का चुंगी सामप्त का

प्रयास क्यो था इस बारे मे इन्होने बिल के औबजैक ान एंड रीजंज पढे होगे कि फयूल ज्यादा खर्च होता था, भ्रश्टाचार की सभावना थी और कई ऐसे मुद्दे थे जो इसमे अकित है। (ाोर) हमने हमारे मुख्यमंत्री चौधरी औमप्रका ा चौटाला जी के आदे ाो की पालना करते हुए प्रदे ा मे चुंगी समाप्त की। चुंगी समाप्त करने के लिए हमारे ऊपर किसी का कोई दबाव नही था। हमने जन भावनओ की कदर करते हुए, छोटे दुकानदारो के साथ हमदर्दी दिखाते हुए और हमने अपने दायित्व को निभाते हुए तथा जनता की भावनाओ को समझाते हुए प्रदे ा मे चुगी समाप्त की है। प्रदे ा मे चुंगी समाप्त करने से किसानो को भी लाभ हुआ है क्योकि चुंगी खाद, दवाई, सब्जी, कपडा और जुतो पर लगती है इनमे से कोई ऐसा आइटम नही है जिसको किसाना नही खरीदते। जो सही उपभोक्ता है वह किसान है उपभोक्ता कोई भी हो सकता है। उपभोक्ता किसान हो सकता है उपभोक्ता चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी हो सकते है, गोदारा साहब हो सकते है और विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष महोदय, प्रो0 छत्तर सिंह चौहान हो सकते है।

श्री बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, तो गावो से अपना उत्पादन मंडी मे ले कर आते है।

श्री ओमप्रका ा चौटालाः अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि किसान अपने खेत का उत्पादन मडियो मे ले कर जाता है लेकिन किसान वहां से अपनी जरूरियात की चीजे भी खरीद कर लाता है। आप समझे नही वह यह कह रहे है कि जिन चीजो पर

चुंगी लगती थी उनको किसान भी खरीदते थे उससे किसानो को भी राहत मिली है।

श्री मनी राम गोदाराः चुगी समाप्त करने का फेसला आपका पोलिटिकल फेसला है।

वित मंत्री (प्रो0 सम्पत सिंह): स्पीकर साहब, मै एक बात क्लैरीफाई करना चाहता हू। बार बार सदस्यो ने अपनी चिन्तांए जाहिर की है। कि चुगी समाप्त करने से सरकार को करोडो रूपए का घाटा होगा। जंहा तक ऐस्टैब्लि मैट का ताल्लुक है वे सारे एम्पलाइज दूसरे डिपार्टमैटस मे कटीन्यू करेगे जिससे 20–22 करोड रूपए उसमे एडजैस्ट हो जाएगे। इससे अलग जो पैसा रह जाता है उस पैसे का सवाल है। अगर सरकार अपने टारगेट लेकर चले तो अपने रिसोर्सिज से उस घाटे को पूरा कर सकती है। आलरेडी जो टैक्स लगाए हुए है उनकी चोरी को रोक जाए। उन टैक्सिज की रिकवरी सही ढंग से की जाए। स्पीकर साहब, हमारे मुख्यमंत्री चौधरी ओमप्रका ा चौटाला जी ने 24 जुलाई को मुख्यमंत्री पद की भापथ ली थी उस समय स्टेट का एक्साइज माइनस मे चल रहा था। उसके कारण अनेको टैक्स का एक नया पैसा नही दे रहे थे और हमारे प्रदे ा मे भाराबबंदी के दौरान उन प्रदे ाो के ट्रको वाले टैक्स का एक नया पैसा नही दे रहे थे और हमारे प्रदे ा मे भाराबबंदी के दौरान उन प्रदे ाो की भाराब बिक रही थी हमारे यंहा एक्साइज का घाटा हो रहा था। हमारी सरकार आने के बाद प्रदे ा का एक्साइज 15–16 परसैट बढा है। जहां

तक सैल्ज टैक्स की बात है वह 26 परसैन्ट इन्क्रीज हुआ है। (ाोर एवम विघ्न)

श्री मनी राम गोदाराः आप टैक्स इन्क्रीज करे और सरकार की अधिक आमदन बढांए इसके लिए मै आपको बधाई देता हू। (विघ्न)

प्रो0 सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, हम हर फील्ड के अन्दर रिकवरी अधिक से अधिक करने की कोि ा ा कर रहे है। हमने सेल्ज टैक्स की रिकवरी मे बहुत ज्यादा बढौतरी की है। पहले 250 करोड रूपये के सेल्ज टैक्स के एरियर्ज बकाया थे। हमने कर उगाहने के लिए एक नयी स्कीम बनायी है। उस नई स्कीम से स्टैट को रेवेन्यू अधिक आयेगा। (ाोर एवम विघ्न) आप सभी लोग जो इसका विरोध कर रहे है आप ये बताए कि क्या जो चुंगी खत्म की गई है आप उसके हक मे है या खिलाफ है?

आवाजेः हम हक मे है।

श्री अध्यक्षः प्र न है–

कि हरियाणा नगरपालिका (द्वितीय स ाोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लाज 2

श्री अध्यक्षः प्र ान है–

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 3

श्री अध्यक्षः प्र ान है–

कि क्लाज 3 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 4

श्री अध्यक्षः प्र ान है–

कि क्लाज 4 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 5

श्री अध्यक्षः प्र ान है–

कि क्लाज 5 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 6

श्री अध्यक्षः प्र ान है–

कि क्लाज 6 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 7

श्री अध्यक्षः प्र ान है–

कि क्लाज 7 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 8

श्री अध्यक्षः प्र ान है–

कि क्लाज 8 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 1

श्री अध्यक्षः प्र ान है–

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्षः प्र ान है–

कि इनैक्टिग फार्मूला बिल इनैक्टिग फार्मूला बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री अध्यक्षः प्र ान है–

कि टाईटल बिल टाईटल बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः अब मंत्री जी प्रस्ताव करेगे कि बिल पास किया जाए।

नगर एवम ग्रामीण आयोजन मंत्री (श्री धीरपाल सिंह): स्पीकर साहब, मै प्रस्ताव करता हू

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्र ान है

कि बिल पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(3) दि हरियाणा म्यूनिसिपल कारपोरे ान (सैकिण्ड अमैडमैट) बिल, 1999

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब नगर एवम ग्रामीण आयोजन मंत्री हरियाणा नगर निगम (द्वितीय स ाोधन) विधेयक, 1999 प्रस्तुत करेगे और इस बिल पर विचार करने के लिए मो ान मूव करेगे।

नगर एवम ग्रामीण आयोजन मंत्री (श्री धीरपाल सिंह): माननीय अध्यक्ष महोदय, मै हरियाणा नगर निगम (द्वितीय स ाोधन) विधेयक, 1999 प्रस्तुत करता हू। माननीय अध्यक्ष महोदय, मै यह भी प्रस्ताव करता हू–

कि हरियाणा नगर निगम (द्वितीय स ाोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि हरियाणा नगर निगम (द्वितीय स ाोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री मनीराम गोदारा (भट्टू कलां): अध्यक्ष महोदय, जिस वक्त हमारे बी0जे0पी0 के भाई कहते थे कि यह हमारे एजैण्डा मे और हमारे मैनिफैस्टो मे भी है, उस वक्त इसके साथ ही साथ यह

बात भी कहते थे कि म्यूनिसिपल कमेटीज को आक्टराय खत्म करने के बाद जो घाटा होगा वह हम सैटर से ला कर देगे।

डा0 कमला वर्माः अध्यक्ष महोदय, मै इनकी जानकारी के लिए यह बताना चाहूगी कि हम इस बारे मे अपनी तरफ से पूरी कोि ा ा करेगे। (विघ्न)

श्री मनी राम गोदाराः अध्यक्ष महोदय, अब ये अपनी कमिटमैंट माने तथा 68 करोड का जो घाटा होगा वह सैटरल गवर्नमैंट से ला कर दे।

श्री धीरपाल सिहः अध्यक्ष महोदय, 68 करोड मे से 20 करोड रूपये तो प्र ाासनिक खर्चा है। ये बार बार इसी बात को उठा रहे है। 3108 कर्मचारी जो नगरपालिकाओ मे कार्य कर रहे थे, वे अलग अलग विभागो मे समायोजित किये जाएगे। वे जिस महकमे मे जाएगे वहा से तनख्वाह लेगे। इसको भी ये रिपीट कर रहे है। (विघ्न)

श्री मनी राम गोदाराः अध्यक्ष महोदय, ये मेरी बात तो सुने। चाहे एक भी पैसे के खर्च की बात हो, मै बहन जी से नही बल्कि सरकार से पूछता हू कि इस बारे मे उनका क्या स्टैड है ? बहन जी गवर्नमैट थोडे ही है। (विघ्न) मै तो इनको गवर्नमैट का स्पोर्टर मानता हू। ये गवर्नमैट नही है। (विघ्न) जंहा तक मैनिफिस्टो की बात है, अगर सैटर की तरफ से पैसा आता है तो

हमे कोई ऐतराज नही है। (विघ्न) (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए)

श्री उपाध्यक्षः प्र ान है

कि हरियाणा नगर निगम (द्वितीय स ाोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री उपाध्यक्षः अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लाज 2

श्री बीरेन्द्र सिंह (उचाना कलां): उपाध्यक्ष महोदय, मेरी सबमि ान है कि आप हमारी तरफ भी थोडा देख लिया करे। क्लाज बाई क्लाज तथा जब बिल पे ा होता है या बिल इण्ट्रोडयूस होता है तो उस समय हमे बोलने का मौका होता है। उपाध्यक्ष महोदय, मै तो चौटाला साहब से सिर्फ एक बात पूछना चाहता हू जो यह चुगी है इसका एक फायदा तो था कि माल रिकार्ड रहता था। कोई भी सरकार हो या किसी की भी सरकार हो व्यापरी अपने माल का ऐसा कोई आफि ियल रिकार्ड नही रखता या सरकार को नही देता। चुंगी से उसका एक रिकार्ड तो था। मिसाल तौर पर मै यह बताना चाहता हे कि एक ट्रक लोड से 20 हजार का सामान है तो उसकी चुंगी 400 रूपये थी और एक

ट्रक मे ऐसा सामान है जिसकी कीमत 20 लाख रूपये है उसकी चुगी भरी 400 रूप ही थी। (विघ्न)

नगर एवम ग्रामीण आयोजन मंत्री (श्री धीरपाल सिंह): चौधरी साहब, अब चुगी तो समाप्त हो चुकी है।

श्री बीरेन्द्र सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, इन्हे पहले बात को समझ लेना चाहिए फिर जवाब देना चाहिए। (विघ्न) लोकल सैल्फ गवर्नमैंट का जो कन्सैप्ट है उसमे यह फिट नही है यह काम तो किसी पजांबी को दे देते तो ठीक रहता। (विघ्न) आप पचांयती राज के लिए फिट हो। लोकल सैल्फ गवर्नमैट दूसरी चीज है। (विघ्न) मै मुख्यमंत्री को केवल इतना कहना चाहता हू कि आपके पास ऐसा रिकार्ड था। (विघ्न)

श्री मनी राम गोदाराः उपाध्यक्ष महोदय, सर छोटूराम यह आदमी था जिसने किसानो की भलाई के लिए बहुत कुछ किया था। क्या आप भी किसान की भलाई के लिए उन्ही की तरह काम करेगे या बाते ही बाते करेगे?

मुख्यमंत्री (श्री ओमप्रका ा चौटाला): गोदारा साहब, आपने बहुत ही अच्छा प्र ान किया है और आप बैठ बैठे ही बाते कह सकते है। हम सभी दीन बन्धू स्वर्गीय सर छोटू राम जी का ऐतराम करते है लेकिन जो अपने आप को सर छोटूराम का दयोता कहता है वह भजन लाल को मिनिस्टरी मे कोआप्रे ान मिनिस्टर था वह इसी सदन मे बिल लेकर आया था कि किसानो पर

चक्रवर्ती ब्याज लगाया जाए। वह ब्याज चौधरी देवी लाल की सरकार ने समाप्त कर दिया था। हम तो सर छोटू राम जी का ऐतराम करेगे लेकिन जो अपने को उनका दयोता कहता है उनकी विरासत खाना चाहता है वह कोओप्रेटिव मिनिस्टर के तौर पर ऐसा बिल लाया था। चौधरी देवी लाल ने कहा था कि अगर मूल से दौगुना ब्याज होगा तो उसको वसूल नही करेगे। (विघ्न)

श्री बीरेन्द्र सिहः उपाध्यक्ष महोदय, मै इनकी बात को मान लूं और मै यह कहूं कि आप चौधरी देवी लाल जी के बेटे है और वह चक्रवर्ति ब्याज आज भी एग्जीस्ट करता हो तो क्या आप उसको समाप्त कर दोगे? अगर आप मे हिम्मत है तो आप हमे बताए।

श्री ओमप्रका ा चौटालाः हमारी सरकार चौधरी देवी लाल के नक ो कदम पर चलती रही है और अन्त तक चलेगी। हम चौधरी देवी लाल की नीतियो को इम्पलीमैट करेगे। मै इस बात के लिए वचनबद्ध हू। लेकिन अपने आपको चौधरी छोटूराम का दयोता कहने वाला एक ऐसा बिल सदन मे लेकर आए और उसको पास करवाए कि किसानो पर चक्रवर्ति ब्याज लगाया जाए। आज आप किसानो के साथ हमदर्दी की बात करते है।(विघ्न) मै अब भी यही कहता हू कि हम चौधरी देवी लाल जी नीतियो पर चलेगे और उन्हे इम्पलीमैट करेगे। यह फेसला हमारी सरकार का है। हमारी सरकार ने चौधरी देवी लाल के जन्म दिवस पर जिन

योजनाओ की घोशणा की थी वह हमने लागू की है और आप उसमे बाधक बनने का प्रयास कर रहे है। (विघ्न)

श्री बीरेन्द्र सिहः उपाध्यक्ष महोदय, जो जो घोशणाए इन्होने उनके जन्म दिन पर की थी उनमे से एक भी इन्होने लागू नही की है।(विघ्न) कुछ समय पहले बोलते हुए इन्होन कहा था कि पें ान के बारे मे जनवरी मे फेसला करेगे। आप हमे यह बताए कि आपने जो जो घोशणाए की थी वह कहां गई।

श्री ओमप्रका ा चौटालाः नही नही ऐसी बात नही है। बीरेन्द्र सिंह, आपकी सरकार के वक्त जिसमे आप भी मंत्री थे यह कंडी ान लगाई गई थी कि जिसके पास पांच एकड जमीन होगी उसको पें ान नही मिलेगी। हमने आते ही वह जमीन वाली कडीं ान भी समाप्त कर दी है। किसी के पास कितनी भी जमीन हो हम उसको 100 रूपए से बढाकर 200 रूपए पैं ान देने का काम करेगे। आज आप किसानो की भलाई की बात करते है। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्षः कृपया बीच मे मत बोले।

श्री बीरेन्द्र सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, मै जो मुद्दे की बात कहना चाहता था कि इनके पास एक रिकार्ड था जिससे यह पता चलता था कि कितनी ऐसी सेल्ज टैक्स की आईटम्ज है जो रिकार्ड मे म्यूनिसिपल कमेटी के थ्रू चूंगी द्वारा आती है। मै आपको बताना चाहूगा कि सैल्ज टैक्स आपका मेजर आईटम है। मै तो

यहां पर यह कह सकता हू कि आपने जो सैल्ज टैक्स समाप्त किया है यह एक अच्छी भाुरूआत की है। लेकिन आप यह मानकर चले कि सेल्ज टैक्स की से स्टेट को 1200 करोड रूपए का सबसे मेजर रैवेन्यू आता था वह बंद हो जाएगा। अब क्या आपके पास कोई ऐसा पैमाना होगा जिससे आपको यह पता चलेगा कि किस किस आईटम पर व्यापारी ने सेल्ज टैक्स की अदायगी ठीक ढंग से की है ? पहले तो आपके पास एक रिकार्ड था। जैसे एक मिसाल दी है कि एक ट्रक मे 10 लाख का माल है उस पर भी 400 रूपए चुंगी लगती है और जिस ट्रक मे 20 हजार का माल है उस पर भी 400 रूपए चुंगी लगती है आपने हरियाणा मे 250–300 करोड रूपए का बर्डन एक्सचेर पर डाल दिया क्या वह ठीक है? इस बारे मे सम्पत सिंह जी ने कहा का हमने रिसोर्सिज को मोबालाइज करने के लिए एक कमेटी बनायी है लेकिन हमे तो आज तक पता नही लगा है कि उस कमेटी ने आपको अपनी कोई रिकमैडे ान दी है या नही। एक बात आपने यह भी कही है कि हम अपने सभी पडौसी स्टेटस के बराबर सेल्ज टैक्स करेगे। लेकिन मै तो यह कहता हू कि अगर आपने इस मामले मे कम्पीटी ान मे आना है तो सबसे पहले इसको रिडयूस करे ताकि दूसरी स्टेटस भी आपको फलो करे। आज अगर हरियाणा मे किसी को अपना ट्रक या फोर व्हीलर खरीदना होता है तो उसकी यही कोि ा ा होती है कि वह लुधियाना से जाकर खरीदे ताकि उसको सेल्ज टैक्स की बचत हो। इस तरह की परिस्थिति आज हमारे स्टेट की है। हमारे यहां पर आज तक भी नयी इंडस्ट्री नही आ रही है क्योकि हमारे यहां

स्टेट की सेल्ज टैक्स की पोलिसी ठीक नही है। पिछले 32 सालो मे जब से हरियाणा बना है सैकडो बार सेल्ज टैक्स ऐक्ट मे अमैडमैंट हुई है। चीफ मिनिस्टर चाहे कोई भी रहा हो उसे अपनी बिल के हिसाब से, अपनी निजी स्वार्थो के हिसाब से लोगो को या उधोगपतियो को फायदा देने के हिसाब से इस सैल्ज टैक्स को ऊपर नीचे किया है। इसलिए अगर यही हालात रहे तो इस तरह की व्यवस्था से आप स्टेट को फाईनेि ायल क्राइसिज मे डाल दोगे। पहले आपको अपने रिसोर्सिज की तरफ देखना चाहिए और उसके बाद ही आपको जो आप अपने पोपुलर स्लोगन देते हो, उनके क्रियान्वयन की बात करनी चाहिए।

वित्त मंत्री (प्रो0 सम्पत सिह): डिप्टी स्पीकर साहब, अभी चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी सेल्ज टैक्स की बात कर रहे थे लेकिन आपके द्वारा इनको याद दिलाना चाहता हू कि सारी स्टेट की एक कमेटी सेल्ज टैक्स के रै ानेलाइजे ान और सिम्पलीफिके ान के लिए बनी हुई है। यह कमेटी केवल मात्र दूसरी उन कमेटीज की तरह से बनी हुई नही है जो बनी तो थी लेकिन उसके बादवे रद्दी की टोकरी मे चली गयी। उन कमेटीज का यह भी पता ही नही होता था कि उनका चेयरमैन कौन होता था और उनके मैम्बर्ज कौने होते थे। अभी जैसे गोदारा साहब ने भी कहा था कि मै तो फंला कमेटी का मैम्बर बना ही नही था। (विघ्न) तो इस कमेटी की वैसी बात नही हैं। सर, जंहा तक सेल्ज टैक्स की कमेटी की बात है पहले तो ऐसी कमेटी बनी है पहले भी

मिनिस्ट्रियल कमेटी सब कमेटी बनायी जाती थी और इनमे एक आधा अपनी पार्टी से संबधित कोई व्यापारी भी रख लेते थे। लेकिन हमारी सरकार ने अब जो इस बारे मे कमेटी बनायी है उसमे मै यह नही कहता कि सभी पार्टीयो से संबधित लोग है लेकिन आलमोस्ट डिफरैट पार्टियो से संबधित लोग इसमे भाामिल किये गये है। इसके अलावा जो नोन पोलिटिकल लोग है उन्हे भी इस कमेटी मे भाामिल किया गया। बीरेन्द्र सिंह जी, आपकी अपनी पार्टी के व्यापार सैल के अध्यक्ष श्री बजंरग दास को भी इसमे भाामिल किया गया है।

श्री बीरन्द्र सिहः वह हमारी पार्टी से संबधित नही है।

प्रो0 सम्पत सिंहः लेकिन चौधरी भजन लाल जी तो कहते है कि वे आपकी ही पार्टी से रिलेरिड है। ठीक है आपकी पार्टी से नही होगे। हमे तो पता नही। इसका मतलब तो आपकी दो पार्टीया है।

श्री बीरेन्द्र सिंहः वे व्यापार मंडल के अध्यक्ष है। लेकिन व्यापार मंडल तो हमारी पार्टी नही है।

प्रो0 सम्पत सिंहः अगर वह व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी है तो वह भी आपकी पार्टी से ही जुडा हुआ है वह भी काग्रेस पार्टी से एफेलिएटिड है।

श्री बीरेन्द्र सिंहः वह तो बंसी लाल जी की पार्टी से सबंधित है।

प्रो0 सम्पत सिंहः अगर वह बंसी लाल जी की पार्टी से जुडा हुआ होता तो फिर ये उन पर लाठी क्यो बरसाते। वह हमारे से तो सबंधित था नही। अगर ऐसा होता तो ये उस पर 307 को मुकदमा क्यो बनाते? इसलिए संबधित तो वह आपकी पार्टी से ही है। खैर कोई बात नही। सर, इसके अलावा इस कमेटी मे और लोगो को भी भाामिल किया गया है जैसे चैम्बर्ज आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज के जो चैयरमैन है उनको इस कमेटी का एक्स औफि ियो चेयरमैन बनाया गया है। अब तक इस कमेटी की चार मीटिग्ज हो चुकी है। डिफरैंट आर्गेनाइजे ांज की इस कमेटी के पास रिप्रैजेटे ान्ज आयी हुई है आपकी तरह से नही कि आपकी तरफ से इस बार मे सिंगल लाइन की भी एडवाइज नही आयी हुई है हम आपको इन्वाइट करते है कि आप इस बारे मे खुद रिप्रैजेटें ान दे। हम आपकी सलाह को भी मानेगे। अब तक इस कमेटी ने अपनी तीन चार रिकमंडे ांज भी दे दी है जिनको मै यंहा पर बताना नही चाहता क्योकि अभी तक उनकी रिकमडें ाज को पास कर देगी। बीरेन्द्र सिंह जी, यह कमेटी यूं ही नही बनी हैं। आपने सेल्ज टैक्स के अंदर विरोधभास की बात भी कही है लेकिन साथ ही साथ एक तरफ तो आपने यह भी कह दिया कि सेल्ज टैक्स को चैक करने के लिए उसकी चोरी को रोकने के लिए चुंगी ही एक रास्ता थी और दूसरी तरफ आपने वजन की बात भी कही कि चुंगी बैरियर पर वजन भी नापा जाता था लेकिन मै आपको बताना चाहता हू कि पहले चुंगी के ऊपर कोई वैल्यू नही नापी जाती थी। पहले ऐसे होता था कि एक लोड ट्रक आया

तो उस लोउ के अंदर कितने लाख का माल था या कितने करोड रूपये का माल था वह यह नही देखा जाता था। उस समय यह देखा जाता था कि उसमे दो क्विंटल माल है या चार क्विटल माल है और इसी हिसाब से पर्ची काटी जाएगी।

श्री बीरेन्द्र सिंहः वजन साथ साथ उस ट्रक मे क्या चीज होती थी वह भी पर्ची मे लिखा जाता था। आईटम लिखी जाती थी।

प्रो0 सम्पत सिंहः आप मेरी बात सुने। उसमे आईटम की वैल्यू नही लिखी जाती थी। वैल्यू के बिना उसकी कीमत का क्या रहेगा ? आप इसको कैसे चैक करेगे। चैक करने की वजह से यह बढा है। दूसरी बात मै आपको यह बता दू कि इन्फर्मे ान और टैक्नोलौजी को हम और ऐंडवास स्टेज पर ले जा रहे है कुछ दिन मे आप देखेगे कि ट्रेजरी, अकाउटस, ऐक्साइज, सेल्जटैक्स व मार्किट कमेटी की फीसो को हम कम्प्यूट्राइज करने जा रहे है जो कि फुलप्रुफ होगा और इसमे भात प्रति ात रिकवरी होगी और चोरी की गुजाइ ा नही होगी। हम रिसोर्सिज जुटाना जानते है बीरेन्द्र जी, आप कहते है कि मै तो हर जगह फिट हू लेकिन अकेले फिट होने से कुछ नही होता। We are doing something, We are on action, Birender Singh Ji, You will see the results in the coming days.

श्री बीरेन्द्र सिंहः अकेले कम्पयूटर से चोरी नही रूकती।

प्रो0 सम्पत सिंहः हम ऐडवासं टैक्नोलौजी तैयार कर रहे है।

श्री बीरेन्द्र सिंहः रेवेन्यू का दूसरा सोर्स खान था आपने उसको ही लोगो के हाथो मे थमा दिया।

प्रो0 सम्पत सिंहः हमने किसी को कोई नयी लीज नही दी है ये तो इनके करम होगे। बीरेन्द्र सिंह जी या तो यह लीज आपने दी होगी या इन लोगो ने दी होगी।

श्री बीरेन्द्र सिंहः हरियाणा प्रदे ा की खाने आपने लोगो को बेच दी।

प्रो0 सम्पत सिंहः यह सब आपके जिम्मे है। खान वाला मामला चाहे नामी हो या बेनामी, ये आपके जिम्मे है।

श्री बीरेन्द्र सिंहः हमने कभी ये काम नही किए।

श्री मनी राम गोदाराः आप एक बिल ले आओ, खानो को कैसिल करने के बारे मे तो हम सारे उसका समर्थन करेगे।

श्री मती करतार देवीः आप सभी पार्टियो के लिए ऐसा नही कह सकते है। आप हमारी पार्टी के लिए तो कम से कम ऐसा कह ही नही सकते है।

प्रो0 सम्पत सिंहः बहिन जी, मै अलमौस्ट कह रहा हू मैने नाम नही लिया। मै नामी और बेनामी सभी लीजिज के लिए कह रहा हू।

श्रीमती करतार देवीः आपने सबका नाम लिया है अध्यक्ष महोदय, नाम निकलवाइए।

श्री ओमप्रका ा चौटालाः अध्यक्ष महोदय, नाम किसी का इन्होने नही लिया है। बहन जी को वहम हो गया है। बहन जी, आपकी पार्टी के एक सदस्य खान माफिया की वकालत करते है। पता नही फीस लेकर करते या बिना फीस लिए ही करते है।

श्री खु र्शीद अहमदः मेरे जिले मे खाने की लीज के मामले मे यदि कोई गडबड होती तो मुझे यहां इस बारे मे कहना ही पडेगा। गडबड चारहे लीज देने वालो मे हो या लेने वाले मे हो इनमे आपस मे लेनदेन होता है। मै तो यह कहता हू कि इन लीजो के छोटे छोटे टुकडे कराकर उन लोगो को दे दो जो उनमे काम कर रहे है। यह तो आप लोगो का करप् ान है। आपका हिस्सा होता है तब आप ऐसा काम करते है वरना बेदर्दी से कोई खजाने को नही लूटता। Those leases have either been given by you people or these people.

श्री ओमप्रका ा चौटालाः जब इन लोगो ने 1200 करोड रूपये का नुकसान कर दिया था तब आप लोगो को सांप सूंघ गया था। तुमने इस सरकार को लूटने का अवसर प्रदान किया था

और मुझे तो यह अदे ाा है कि अब भी अवसरवादी ताकते मिलकर कोई नया गुल खिलाने जा रही है।

प्रो0 सम्पत सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, अभी चौधरी बीरेन्द्र सिह और बहन करतार देवी काफी उत्सुक हुए और खानो के जिकर पर काफी विरोध हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, मै चौधरी बीरेन्द्र सिह जी को एक बात बताना चाहता हू कि जिस दिन कांग्रेस पार्टी ने चौधरी बंसी लाल जी की सरकार को 20 दिन का जीवनदान दिया था उन्ही 20 दिनो मे 43 लीज दिए गये थे इसलिए काग्रेस पार्टी इसके लिए ज्यादा दोशी है। अगर ये उनको जीवनदान नही देते तो ये लीज नही दिए जाते। इस मामले मे हो सकता है कि उसके बदले मे इन्हे कोई कीमत मिल गई हो या कोई कीमत दी हो।

प्रो0 सम्पत सिंहः आप यह बात रिकार्ड मे देख सकते है कि उन 20 दिनो के अन्दर 43 लीज दी गई थी। जिस समय आपकी पार्टी ने आई0सी0यू0 मे लटकी चौधरी बंसी लाल जी की सरकार को आक्सीजन का सिलेन्डर लगाया था उस दिनो ही ये 43 लीज दी गई थी।

श्रीमती करतार देवीः उपाध्यक्ष महोदय, हमने चौधरी बसी लाल जी को समर्थन दिया था लेकिन हमने बंसी लाल जी को कहा था कि आप बी0जे0पी0 से ऐसा समझौता हुआ है कि जिसके लिए एक दिन आपको पछताना पडेगा। यह बात हमने बंसी

लाल जी को समर्थन देने से पहले कही थी। उसके बाद चौधरी बंसी लाल जी ने इस बात के लिए हाउस मे माफी भी मांगी थी। आज जो आदमी हमे ाा मजदूरो और किसानो के हितो की वकालत करता है आज वह भी बी0जे0पी0 के साथ समझौता करता है। .....। फिर ये हरियाणा की जनता के बीच मे जाकर राजनीति करने की बाते करते है इसके लिए इन्हे भी एक दिन पछताना पडेगा। हमने चौधरी बंसी लाल जी से कोई राजनीतिक समझौता नही किया। यह तो आपकी पार्टी ही है। जो कभी केन्द्र को समर्थन देती है और कभी समर्थन वापस लेती है।

श्री ओमप्रका ा चौटालाः उपाध्यक्ष महोदय, मै बहर करतार देवी जी को बताना चाहता हू कि हम जो भी निर्णय लेते है बहुत सोच समझकर लेते है। तीसरी जमात मे एक कहावत आती है कि पहले बात को तोलो फिर मुंह से बोलो। इण्डियन नै ानल लोकदल ने हमे ाा भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता निभाया है और आगे भी निभायेगे। यह नही कि बहन जी की तरह हरियाणा विकास पार्टी से पहले तो समझौता कर लिया और बाद मे अखबारो मे ब्यान देते फिरे कि अगर हम हरियाणा विकास पार्टी से पहले तो समझौता नही करते तो चुनावो मे हमारी स्थिति दुर्गति नही होती। इसके लिए आप लोगो को प्रायि चत करना पडा। हम सुनी सुनाई बातो पर वि वास नही करते। हम जो भी निर्णय लेते है उसको सोच समझकर लेते है और उस

निर्णय को निभाया करते है। आपकी पार्टी की तरह अवसरवादी समझौता नही करते जो बाद मे टूट जाये।

श्री रामबिलास भार्मा: उपाध्यक्ष महोदय, मेरी पसर्नल एक्सप्लेने ान है। काग्रेंस पार्टी को कहने की आदत है सुनने की थोडी है।

श्रीमती करतार देवी: उपाध्यक्ष महोदय, लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के समझौते के बारे मे हमारी पार्टी को पता है कि किस तरह से .....।

श्री उपाध्यक्ष: बहर करतार देवी जी जो भी कह रही है वह रिकार्ड न किया जाये।

श्री रामबिलास भार्मा: उपाध्यक्ष महोदय, मेरी पसर्नल एक्सप्लेने ान है। (विघ्न)

श्री बीरेन्द्र सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने के लिए समय तो मुझे दिया था और बोल रामबिलास भार्मा जी रहे है। मेरी बात अभी खत्म कहां हुई है। मुझे तो बीच मे ही आपने बैठा दिया था।

श्री ओमप्रका ा चौटाला: उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी तो उसी दिन बैठ गये थे जब इनकी पार्टी ने हरियाणा विकास पार्टी से हाथ मिलाया था।

वैयक्तिक स्पश्टीकरण

श्री राम बिलास भार्मा

श्री राम बिलास भार्माः डिप्टी स्पीकर साहब, मेरी पर्सनल एक्सप्लेने ान है ये चौ0 बीरेन्द्र सिह बार बार बी0जे0पी0 की चिन्ता कर रहे है (ाोर) बीरेन्द्र काग्रेस पार्टी ने वरिश्ठ नेता है। बहन करता देवी काग्रेस पार्टी की विधायक दल की नेता है... ये कहते है कि बी0जे0पी0 की इडियन नै ानल लोकदल से नही निभेगा। ये हमारा भविश्य बता रहे है। चौहाना साहब भी कहते है कि आपका समझौता नही निभेगा। जगननाथ यही बात दोहरा रहे है। यह सोचना इनका काम नही है कि हमारा इंडियन नै ानल लोकदल के साथ किया गया समझौता निभेगा या नही। हम हर काम मुहर्त निकलवाकर करते है। हमे पता रहता हे कि हमे क्या करना है।..... (ाोर)

कैप्टन अजय सिंह यादवः .....

(इस समय कांग्रस पार्टी के माननीय सदस्य नारे लगाते हुए वैल मे आ गए)

श्री ओमप्रका ा चौटालाः ये जगननाथ जंहा भी जाता है, बखेडे करवाता है।

श्री बीरेन्द्र सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, राम बिलास भार्मा जी ने सोनिया गांधी जी के बारे मे जो बाते कही है उससे इस सदन की मर्यादाये भंग हुई है। इन्होने इस बारे मे जो कुछ भी

कहा है वह सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाये। (ाोर एवम व्यवाधान)

श्री उपाध्यक्षः आप लोग अपनी अपनी सीटो पर बैठे।

श्री बीरेन्द्र सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, जो बात भार्मा जी ने कही है उसे वे वापिस ले। (ाोर)

श्री उपाध्यक्षः बीरेन्द्र सिह जी पहले आपने ही जिस बिल पर चर्चा हो रही थी उससे हटकर बात की। अब तो भार्मा जी ने उसका जवाब दिया है। (ाोर एवम व्यवाधान) जब एक ान होगा तो रिएक ान भी जरूर होगा। आप सभी अपनी सीटो पर जाकर अपनी बात कहे।

श्री ओमप्रका ा चौटालाः उपाध्यक्ष महोदय, मै विपक्ष के भाईयो से अनुरोध करूंगा कि ये अपनी अपनी सीटो पर जाकर अपनी बात कहे। सदन की वैल मे खडे होकर न बोले। अगर ये सदन की वैल मे खडे होकर नारे बाजी करेगे तो इससे सदन की मर्यादा भंग होगी।

डा0 बीरेन्द्र सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, हमने आपकी बात मानी ली है और हम सब अपनी अपनी सीटोपर आ गये है। मेरा आपसे अनुरेाध है कि राम बिलास भार्मा जी ने इस महान सदन को मिस लीड किया है इसलिए यै अपने भाब्द वापिस ले और माफी मांगे। (ाोर एवम व्यवाधान)

श्री उपाध्यक्षः प्लीज आप सब बैठिये। आपने सदन का क्या हाल कर दिया है। हरियाणा की जनता, जो कुछ भी आप यहां कर रहे है वह देख रही है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप बिल से संबधित बात ही करे, दूसरे मुद्दे न उठाये। (ाोर एवम व्यवाधान) दोनो पक्षो की और से इस मामले संबधित जा कुछ कहा है वह रिकार्ड से निकाल दिया जाये।

श्रीमती करतार देवीः उपाध्यक्ष महोदय, आपको अधिकार है कि आप मेरी बाते कार्यवाही से निकलवा सकते है। लेकिन मैने तो हरियाणा की राजनीति के बारे मे कहा था।

श्री उपाध्यक्षः बहन जी, अब यह मुद्दा खत्म हो गया है इसलिए आपने अगर बोलना है तो बिल के बारे मे बोलिये।

श्रीमती करतार देवीः उपाध्यक्ष महोदय, मैने तो सिर्फ हरियाणा की राजनीति के बारे मे कहा था और से सोनिया गांधी के बारे मे बाते कहने लग गए। ये लोग हिन्दू संस्कृति की बात करते है जबकि भारत की एक महान महिला की इज्जत नही करते। (ाोर एवम व्यवाधान)

दि हरियाणा म्यूनिसिपल कारोपरे ान (सैकिण्ड अमैडमैंट) बिल, 1999 (पुनरारम्भ)

श्री उपाध्यक्षः चर्चा बिल पर हो रही है, इसलिए बिल पर चर्चा चलनी चाहिए। बहन करतार देवी अब वे सारी बाते खत्म

हो चुकी है और आप क्यो उसी बात को लम्बा खींच रही है। कृपया आप बैठ जांए। (ाोर)

श्रीमती करतार देवीः उपाध्यक्ष महोदय, ... (ाोर)

श्री उपाध्यक्षः बहन जी जो कुछ भी कह रही है उसे रिकार्ड न किया जाए।

श्रीमती करतार देवीः उपाध्यक्ष महोदय, मै कोई गलत बात नही कर रही हू। (ाोर)

श्री उपाध्यक्षः प्र न है–

क्लाज 2

श्री अध्यक्षः प्र ान है–

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 3

श्री अध्यक्षः प्र ान है–

कि क्लाज 3 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 4

श्री बीरेन्द्र सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, मै इस क्लाज के बारे मे कुछ कहना चाहता हू।

श्री उपाध्यक्षः आप इस बिल पर पहले ही काफी बोल चुके है इसलिए आप बैठ जाए। (ाोर)

श्री बीरेन्द्र सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप मुझे बोलने का मौका नही देते तो मै एज एक प्रोटैस्ट सदन से वाक आउट करता हू।

(इस समय इडियन नै ानल कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य श्री बीरेन्द्र सिंह सदन से वाक आउट कर गए)

दि हरियाणा म्यूनिसिपल कारोपरे ान (सैकिण्ड अमैडमैंट) बिल, 1999 (पुनरारम्भ)

श्री उपाध्यक्षः प्र न है–

कि क्लाज 4 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 5

श्री अध्यक्षः प्र ान है–

कि क्लाज 5 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 6

श्री अध्यक्षः प्र ान है–

कि क्लाज 6 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 1

श्री अध्यक्षः प्र ान है–

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्षः प्र ान है–

कि इनैक्टिंग फार्मूला बिल का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री अध्यक्षः प्र ान है–

कि टाइटल बिल का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री उपाध्यक्षः अब मंत्री जी प्रस्ताव करेगे कि बिल पास किया जाए।

नगर एवम ग्रामीण आयोजन मंत्री (श्री धीरपाल सिंह): उपाध्यक्ष महोदय, मै प्रस्ताव करता है

कि बिल पास किया जाए।

श्री उपाध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि बिल पास किया जाए।

श्री उपाध्यक्षः प्र ान है–

कि बिल पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(4) **दि हरियाणा लोकायुक्त बिल, 1999**

श्री उपाध्यक्षः अब मुख्यमंत्री हरियाणा लोकायुक्त विधेयक, 1999 प्रस्तुत करेगे और उस पर विचार करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेगे।

मुख्यमंत्री (श्री औम प्रका ा चौटाला): उपाध्यक्ष महोदय, मै हरियाणा लोकायुक्त विधेयक, 1999 प्रस्तुत करता हू। मै यह भी प्रस्ताव करता हू–

कि हरियाणा लोकायुक्त विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री उपाध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि हरियाणा लोकायुक्त विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

वित्त मंत्री (प्रो0 सम्पत सिंह): डिप्टी स्पीकर साहब, मै इस बिल पर कुछ कहना चाहता हू। इस बारे मे मै जो कहने जा रहा हू उसके मुताबिक इस बिल पर डिस्क ान लाई नही करती। मै कहना चाहता हू कि The Hayana Lokayukta Act, 1997 was repealed vide Haryana Ordinace No. 4 of 1999 (Haryana Lokayukta (Repeal) Ordinance, issued on 18-9-1999. The said Ordinance is under challenge, (At this stage Hon'ble Mr. Speaker occupied the Chair) Speaker Sir, I would like to draw your attention that the said Ordiance is under challenge before the Hob'ble Supreme Court of India in two writ petitions, one being Writ Petition Civil No. 438, 1999. titled as " The Distirct Bar Association, Faridabad Vs State of Haryana and the other being Writ Petition (Civil) No. 442 of 1999, titled as Justice I.P Vasishth (Retd) Vs. State of Haryana. Both these writ petitions came up for hearing on 15-10-1999 in the Hon'ble Supreme Court of India Before Hon'ble Mr. Justice S.P Bharucha and Hon'ble Mr. Justice Syed Shan Mohammed Quardri and the following order was passed.

"W.P 438/99

Learned Attorney General states that in the forthcoming session of teh Legislative Assembly of the State an Appropriation Bill to reintroduce the Lokayukta system is being introduced. Adjourned for six weeks.

"W.P 438/99

List after Six weeks alonwith WP (C) No, 438/99.

आनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदे ाो की पालना करते हुए हम यह बिल लेकन आए है। Since the Matter is pending/Sub-judice before the Hon'ble Supreme Court of India. therefore, no discussion can be held regarding the Ordinance dated 18-9-1999 repealing the Hayana Lokayukta Act, 1997.गोदारा साहब, सुप्रीम कोर्ट के आदे ा के मुताबिक और उनके टाईम फ्रेम के मुताबिक यह बिल हम फर्स्ट सै ान के अन्दर लेकर आए है और उन्ही के मुताबिक यह सै ान बुलाया गया है। कोई माननीय सदस्य इस सै ान को भीतलकाल सै ान कह रहा है कोई कुछ कह रहा है और कोई यह कह रहा है कि यह चुनाव के लिए सै ान बुलाया गया है। आपके सामने फैक्चुअल पोजी ान आ गई है। विद इन दीज वीक्स हम आर्डीनैंस लेकन आए और जब आर्डीनैंस आ जाता है तो स्वाभाविक है कि उसको बिल के रूप मे लाना पडेगा।

श्री मनीराम गोदाराः यह भी स्वाभिवक है कि हाउस के अन्दर जो चीज आती है उस पर हाउस के हर मैम्बर का राइट है कि वे उस बारे मे अपने विचार रखे।

प्रो0 सम्पत सिंहः मैने तो आपके सामने फैक्चुअल पोजी ान बता दी है। आप इस बारे मे अपने विचार रखे या न रखे यह आपकी मर्जी है।

श्री मनीराम गोदाराः हाउस के अन्दर जो चीज जाती है उस पर डिस्क ान होगी। ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नही है कि हाउस के अन्दर कोई चीज आए और उस पर डिस्क ान न की जाए। यदि आपके पास ऐसा कोई क्राइटेरिया है तो आप बता दे कि चर्चा नही होनी चाहिए।

प्रो0 सम्पत सिंहः आपकी पार्टी की सरकार के समय मे इस बिल पर कोई बहस ही नही हुई थी। उस समय अपोजि ान लीडर को हाउस से सस्पैड कर दिया गया था। जिसके विरोध मे विपक्ष के सभी दूसरे मैम्बर्ज सदन से एज ऐ प्रोटैस्ट वाक आउट कर गए थे।

श्री मनी राम गोदाराः आप भी उस समय सदन से वाक आउट करके चले गए थे।

प्रो0 सम्पत सिंहः आप भी उस समय सदन से वाक आउट करके चले गए थे।

श्री मनी राम गोदाराः जिस किसी ने ऐसा किया वह भुगतेगा। सवाल इस चीज का है कि यह बिल हाउस मे लाए है और चीज के बावजूद लाए है कि चूंकि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के अन्दर हमारी सरकार के समय के लोकायुक्त ने आपके

फेसले के खिलाफ अपील की हुई है जिनका आप हटाया हुआ समझते है। हम उनको अब भी लोकायुक्त समझते है। आपने जो आर्डीनैंस जारी किया या जो बिल हाउस मे लाए है उस पर विचार करने के लिए हमारे माननीय न्यायाधी ा जो सुप्रीम कोर्ट के सबसे ऊंचे न्यायायधी ा होते है, उन्होने असैप्ट किया है। आप कहते है कि आर्डीनैंस आने के बाद बिल जरूर हाउस मे लाना पडेगा। पहले यह भी होता रहा है कि आर्डीनैंस लैप्स होते रहे है।

Prof. Sampat Singh: The Learned Attorney General states that in the forthcoming Session of the Legislative Assemble of the State, an appropriate Bill to reintroduct the Lokayukta sustem is being introduced. उन्होने यह कहा है कि जो फर्स्ट सै ान आये उसमे यह बिल लेकन आए इसलिए हम यह बिल लेकन आये है।

श्री मनी राम गोदाराः अध्यक्ष महोदय, मै यह जानना चाहता हू कि हाउस के अन्दर जो बिल आता है उस पर चर्चा होगी या नही। आप चाहे बिल एटार्नी जनरल के कहने पर लाये या किसी के कहने पर लाये लेकिन जो बिल यंहा पर आयोगा उस पर चर्चा तो होगी ही। कोई भी अथोरटी इस चीज को नही रोक सकती, सिवाय आपके। You are the authority becuase हाउस ने आपको अख्तयार दिया है। You are the master to decide what to do or to see what is not be done.अब इस मामले के अन्दर चाहे आप कुछ भी फेसला ले वह आपको अधिकार है लेकिन आपका

काम तो ये कर रहे है जो कि इनको नही करना चाहिए। यह काम तो आपका है कि आप बोलने का मौका दे या नही लेकिन ये कैसे रोक सकते है।

श्री अध्यक्षः गोदारा साहब, आपको और इनको कहने का पूरा अधिकार है लेकिन फेसला करना तो मेरा अधिकार है।

श्री मनी राम गोदाराः ये लोग रूल्ज के मुताबिक कहे तो ठीक है बगैर रूल्ज के बात करे, वह ठीक नही है।

श्री ओमप्रका ा चौटालाः गोदारा साहब, मै आपसे पूछना चाहता हू कि क्या पहले रूल्ज के मुताबिक काम होता था। आपके पीछे चौहान साहब बैठे है, इनसे पूछो ? (ाोर)

प्रो0 छत्तर सिंहः जिस आदमी को बोलने के लिए 108 मिनट तक का समय दिया गया हो और फिर वह कहे कि बोलने का समय नही दिया गया, यह अच्छी बात नही है।

श्री मनी राम गोदाराः अध्यक्ष महोदय, इस साईड मे जितने भी मैम्बर्ज बैठे हुए है उनमे मै सबसे पढा लिखा सम्पत सिह जी को मानता था। ये भी कुछ ठीक ढंग से बात न करे तो अच्छा नही लगता। हाउस की कार्यवाही रूल्ज के हिसाब से चले। (विघ्न) हरेम मैम्बर को बोलने का राईट है। सी0एम0 साहब कह रहे थे कि जब पिछली सरकार के वक्त यह लोकपाल बिल पे ा हुआ था तो उस बात को दिमाग मे रखकर कोई बात करे तो यह इनके लिए अच्छा नही लगता। मेरा कहना यह है कि लोकायुक्त

का बिल पहले ही पास हो चुका है। अब नया बिल लाने की आव यकता ही नही थी। हां इतना जरूर हो सकता था कि जो बिल पहले ही पास हुआ है उसकी किसी एक आध क्लाज मे कोई अमैडमैंट जरूर की जा सकती थी। वह तो एप्रोप्रियेट की जा कसती है ओर इसमे कुछ खास बात नही है। इसमे कोई ऐसी बात नही रखी गई जो डेमोक्रेसी की बात कहने वाले के अनुसार हो। उनके दिमाग के अन्दर इस लोकायुक्त बिल के माले मे डैमोक्रेसी की बात न करके एक ऐसी भावना पैदा की गई क्योकि हमे नही पूछा गया इसलिए हम नया बिल लाएगे, केवल आप इस भावना से बिल लाए यह अच्छी बात नही है। इसके अतिरिक्त और कोई बात नही थी। वह तो एक अमैडमैट भी हो सकती थी, सारा बिल और आर्डीनैंस लाने की जरूरत नही थी। अगर आप कुछ सुधार चाहते थे तो उसके बारे मे अमैडमैंट सरकार ला सकती थी। इस बिल मे भी वही सारी बाते है इसमे नया क्या है। जो ये कहते थे कि आपकी गवर्नमैंट यानि कि पिछली गवर्नमैंट, डिक्टेटरि ाप की गवर्नमैंट थी और सार गलत काम करने वाली थी। वह सारे गलत काम की जिम्मेवारी थी। (विघ्न) ये तो कुछ नही बोलते क्योंकि यह इसलिए नही बोलेगे क्योकि ये यही पर थे। (विघ्न) बहन जी कहने लगी भाराब के मामले के अन्दर इनका जिम्मा लगा था इसलिए बोले। अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात याद आ गई है। ख्रु चोव अपनी पार्टी मे बोल रहा था, उसने कहा कि स्टालिन नेयह किया और स्टालिन ने वह किया, स्टालिन ने इतने आदमी मरवाए, स्टालिन ने इतने वर्करज को मरवा दिया उन वर्करो की

मीटिंग मे पीछे से एक आवाज आई, आप उस वक्त कहा थे। खु चेव कहता है कि कौन बोलता है, वह बोलने वाला चुप हो गया। उसने कहा बोलने वाली बाती थी यह नही बोले इसलिए मै भी नही बोला। ये भी कह सकते है कि यह इसलिए नही हुआ कि आप नही बोले तो हम भी नही बोलें। इस मामले के अन्दर एक बडी सीधी बात है। प्रो0 साहब, तथा सी0एम0 साहब को बताना चाहता हू कि यह सरकार की बात नही थी यह बिल आलरेडी एक ऐसा कम्पलीट बिल था जिसमे बहुत ज्यादा अमैडमैंट की जरूरत नही थी। अगर इनको कुछ जरूत थी या कोई दोश दिखाई दिया था तो जो आपने रखा है उसे देखते हुए मुझे बडा अचम्पा हुआ है। इनकी उस सोच पर जो ये एक्सप्लेन कर रहे थे मुझे बडा अचम्पा होता है। हमारी सरकार की सोच, हमारी सारी वर्किग, हमारा सार धन्धा प्रजान्त्र के रूप मे था। जिस मकदस से लोकायुक्त बना उसका मुददा यह था कि लोकायुक्त के मामले के अन्दर उसकी नियुक्ति, उसकी फक ानिंग, उनके सामने ि ाकायत और उसका फैसला किसी से भी इन्फलयूएंसड न हो। लोकायुक्त को चाहे किसी भी स्टेट या सैंटर मे लगाने की बात करते है उसका मेन मुद्दा यही है कि उसकी एक्वायटमैट, उसकी फक ानिंग, उसके डिसिजन्ज किसी तरह से भी किसी भी स्टेज पर किसी भी आदमी से इन्फयुएंसड न हो। यही मुददा रख कर लोकायुक्त बनाया गया था। अगर यही मुद्दे न हो फि तो वह सरकारी आफिसर ही रह जाएगा जैसे कि आपके सैक्रेट्री यहां पर बैठे हुए है वैसा ही लोकायुक्त हो जाएगा। उसने गवर्नमैट का ही

हुक्म मानना है, गवर्नमैंट के फैसले को ही माना है तो फिर लोकायुक्त की जरूरत की क्या है। अध्यक्ष महोदय, लोकायुक्त की जरूरत इसलिए है कि उस पर कोई भी असर न डाले और इन सारी चीजो को सोच कर ही ऐसा बिल लाया गया था। अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि जब यह बिल सदन के सामने लाया गया था इस मामले के अन्दर ये लोग वाक आउट कर गए या इनको निकाला गया मैने यह बात भी मान ली लेनिक अगर उस बिल के अन्दर कोई कमी थी तो उसे अमैडमैंट के जरिए ठीक कर सकते थे। नया बिल लाना वाजिब नही था। आप इस बिल की क्लाज 2 की सब क्लाज डी देखे। In clsuse (d) it is mentioned, "Competent authority in relation to the complaint" यानी जिस आदमी के खिलाफ ि ाकायत की जाएगी उसकी ि ाकायत पर कार्यवाही कैसे होगी। पुराने बिल के अन्दर यह है कि सूओमोटो जो भी उस बिल के अंदर मैन ांड जिस किसी आदमी के खिलाफ ि ाकायत होगी वह लोकायुक्त के पस जाएगी और लोकायुक्त उस पर कार्यवाही करेगा। इसलिए आप यह बताए कि पुराना लोकपाल बिल ज्यादा डैमोक्रेटिक है या आप जो लाए है वह ज्यादा डैमोक्रेटिक है। इस बिल के मुताबिक जिस किसी पावरफुल रहे आदमी के खिलाफ कम्पलेंट होगी उस पर कार्यवाही करने के लिए जो कम्पीटैंट अथोरिटी होगी उसके बारे मे बताना चाहूगा। अगर चीफ मिनिस्टर की कम्पलेंट होगी तो इसके लिए परमि ान गवर्नर से लेनी होगी और यह गवर्नर की मर्जी पर है कि वह उसको स्वीकार करे या न करे। इसके लिए गवर्नर के ऊपर कोई

पाबन्दी नही है। चाहे उस कम्पलेंट के साथ कितने ही बडे सबूत हो, चाहे वह कितनी ही सही कम्पलेंट हो। यह गवर्नर की डिस्क्री ान पर है कि वह उस कम्पलेंट को चीफ मिनिस्टर के खिलाफ स्वीकार करता है या नही। आप यह बताए कि एक सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस, हाई कोर्ट का जस्टिस या जस्टिस लोकायुक्त के रूप मे डायरैक्ट सूओ मोटो कम्पलेंट लेता है और उस पर कार्यवाह करता है तो यह ज्यादा वाजिब है। या discretion of the Governor. Do you thind Governor is more important and more judictious than any Justice of the High Court or Supreme Court of India. He may be a Governor. हमारे कांस्टीच्यू ान के मुताबिक हम इसको इतना इम्पा र्ियल नही मान सकते। मुझे अफसोस है और सी0एम0 साहब से प्रार्थना करूगा कि ऐसा करना अच्छा नही दिखाई देता है। आप लोकायुक्त को इतना बडा फेसला करने के लिए हर तरह का फेसला करने के लिए नियुक्त करते है और इसलिए करते है कि यह क्र ान के मामले मे इम्पा र्ियल होकर चीफ मिनिस्टर को, मिनिस्टर को और किसी को भी बुला सकता है तो यह ज्यादा एप्रोप्रिएट होता। उसमे ज्यादा हमारा वकार बनता। इसलिए यह कहन है कि चीफ मिनिस्टर के खिलाफ ि ाकायत आएगी तो गवर्नर उसको अपनी डिस्क्री ान पर स्वीकार करेगा। यह ठीक नही है। (विघ्न) इसमे लाजमी नही है कि ि ाकायत के साथ सबूत भी हो। आप ि ाकायत के साथ जो सबूत के साथ ि ाकायत करता है तो उसमे गवर्नर की मर्जी नही है कि वह उसको स्वीकार करे या न

करे और आल अदर्ज पब्लिक सर्वेन्टस के खिलाफ कोई ि ाकायत होगी तो उसके लिए चीफ मिनिस्टर से इजाजत लेनी पडेगी। मुख्यमंत्री जी आप तो बहुत इन्साफ पसन्द आदमी है। आप तो कानून से बाहर जा नही सकते। क्या पता आपका भी हमारा जैसा ही वक्त आ जाए। फिर चीफ मिनिस्टर क्या करेगा। यह जो आल अर्दज सर्वेन्टस के खिलाफ ि ाकायत पर कार्यवाही करने के लिए मांग को स्वीकार करने की चीफ मिनिस्टर की अथौरिटी है मै इसको एप्रोप्रिएट नही मानता। मै समझात हू कि इसका कोई जवाब भी आपके पास नही है इसका यह अलटरनेटिव नही है जो आपने किया है। इसलिए इसमे एक अच्छा वकार नही बनता और एक अच्छा वकान न बनने से इस लोकायुक्त को लगाने से क्या होगा कि उसकी कोई अहमियत नही होगी। पुराने लोकायुक्त बिल मे सैक ान 3(1) मे अप्वायमैन्ट आफ लोकायुक्त मे यह था कि जो लोकयुक्त होगा वह

"3 (1) For the purpose of conducting investigations in accordance with the provisions of this Act, the Governor shall, by warrant under his hand and seal, appoint a person to be know as the Lokpal."

आगे प्रोवाईजो 1 मे लिखा है–

"Provided that the Lokpal shall be appointed on the advice of the Chief Minister who shall consult the Speaker of the Haryana Legisllative Assembly, and the Chief Justice of Inida in case of appointment of a person who is or has been a Judge of teh Supreme Court of Chief Justice of High Court,

and Chief Justice of High Court in Case of appointment of a person who is or has been a Judge of a High Court."

अगर उसकी अप्वायटमौंट भी करोगे तो पुराने लोकायुक्त ऐक्ट मे यह है कि स्पीकर, लीडर आफ दी अपोजी ान और चीफ जस्टिस आफ इडिया की सलाह लेकर चीफ मिनिस्टर उसको अप्वायंट करने के लिए नाम भेजगा। इस पद के लिए वह सुप्रीम कोर्ट के जस्टिम को, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को नियुक्त करने के लिए नाम भेज सकता है। that was much more appropriate not even more appropriate but that was right thing. इस मामले मे लोकायुक्त की एक सही रूप मे अप्वायटमैन्ट थी लेकिन अब इसके बजाए इन्होने यह किया है–

"Provided further that the result of consultation shall have persuasive value but not binding or the Chief Minister."

हो सकता है कि मै यह पुट करते वक्त आपको सही तरह से समझा न पांऊ लेकिन पुराने ऐक्ट मे यह है कि चीफ मिनिस्टर, स्पीकर, लीडर आफ दी अपोजी ान एवम चीफ जस्टिस आफ इंडिया की सलाह लेकर लोकायुक्त की अप्वायंटमैन्ट के लिए नाम भेजेगा। लेकिन अब आप जो बिला ला रहे है उसके प्रोवाइजी 2 के मुताबिक चीफ मिनिस्टर उनकी कंसलटे ान से ऐग्री करे या न करे उस पर कोई वाइडिंग नही है। यदि चीफ मीनिस्टर ऐग्री नही करता तो चाहे स्पीकर, लीडर आफ दी अपोजी ान या सुप्रीम

कोर्ट के चाहे जस्टिस यानी ये तीनो भारत के किसी भी व्यक्ति को इस पद पर लगाने के लिए अपनी सलाह दे उसकी कोई वैल्यू नही है। यदि चीफ मिनिस्टर ऐग्री नही करता तो उसकी अप्वायमैंट एज ए लोकायुक्त नही हो सकती। मेरे कहने का मतलब यह है कि ठीक है कोई किसी आदमी को पंसद करता है या नही करता है लेकिन सिस्टम को तो कम से कम आप अपने हाथ मे लेने की कोि ा ा न करो। हमे तो इस बिल मे यही दिखाई दे रहा है कि आप सिस्टम को ही अपने हाथ मे लेने की कोि ा ा कर रहे है। आप कहते है कि हम यह बिल फलां तारीख से लाना चाहते थे। यह आपकी मर्जी है कि आप इसको किस तारीख से लाना चाहते है। इसमे हमे कोई एतराज भी नही है। हमारी तरफ से तो चाहे आप इसको 1947 से लागू कर दो और यदि 1947 से भी किसी को ि ाकायत है तो चाहे आप इसको परमानैन्ट कर दो। हमारे हिसाब से तो चाहे आप जिस दिन से कोई आदमी पैदा हुआ है और यदि उसके खिलाफ तक से कोई ि ाकायत हुई है तों उस दिन से बे ाक लागू कर दो। हमे कोई ऐतराज नही है। लेकिन इस बिल मे जो दो बाते आपने रखी है उन दो बातो को अगर कोई भी इस सिविलाइज्ड संसार से पढेगा, देखेगा या सुनेगा तो यह महसूस करेगा कि यह एक सही रूप मे जस्टिस देने वाली सोच नही है चीफ मिनिस्टर के खिलाफ इंक्वायरी की बात होगी तो उसमे गवर्नर से इजाजत लेनी पडेगी व उसके लिए गवर्नर की डिस्क्री ान है और अगर किसी मिनिस्टर या कियी आफीसर के खिलाफ कोई इक्वायरी जाएगी तो चीफ मिनिस्टर की परमी ान

होगी, यह ठीक नही है। फिर तो आपकी विजिलैस डिपार्टमैंट है उसकी क्या जरूरत है? इसके आगे जाकर बाईडिंग है कि चीफ मिनिस्टर अगर किसी मिनिस्टर या आफीसर के खिलाफ इक्वायरी के लिए ऐग्री करेगा तेा उस पर कार्यवाही होगी, अगर चीफ मिनस्टर ऐग्री नही करेगा तो नही होगी, चाहे उस ि ाकायत को गवर्नर, लीडर आफ दि अपोजी ान, स्पीकर या कोई भी उसको रिकमैड करे लेकिन बाईडिंग है कि चीफ मिनिस्टर उस पर कार्यवाही करने के लिए ऐग्री करे इसलिए मेरा निवेदन है कि आप ये दोनो क्लाजिज वापिस ले। मै उम्मीद करता हू कि इस लोकायुक्त बिल के मामले के अदंर आप यह क्लीयर करे कि आपकी मं ाा क्या है? यही कहकर मै अपना स्थान लेता हू। धन्यवाद।

श्री खु र्शिद अहमद (नूंह): स्पीकर साहब, पहले लोकायुक्त आर्डीनैंस पे ा किया गया। उसके बाद बिल पे ा किया गया है। इसके स्अेटमैंट आफ औब्जेक्टस एंड रीजंज मे कोई चीज ऐसा नही है कि इन्होने यह नई चीज की है उसमे जो कमियां थी उनको हम दूर करेगे। इसके अदंर यह की प्वाइंट आउट नही किया गया। कि इसमें कमियां कौन सी थी? यह बिल्कुल की कन्फयुजिंग स्अेटमैंट आफ आब्जेक्ट्स एंड रीजंज है। जैसा मेरे साथी श्री मनी राम गोदारा प्वाइंट आउट कर रहे थे। पहले वाले लोकपाल बिल की क्लाज 2 की सब क्लाज बी मे यह था–

"Competent authority" in relation to a complaint against a publice sercant was Governor.

गवर्नर लोकायुक्त की जूरीसडिक ान मे आता था या नही आता था, वह उसमे डिफाइन नही था। अब इसमे यह किया गया है कि अगर चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कोई ि ाकायत होगी तो वह गवर्नर को जाएगी और गवर्नर उस पर कार्यवाही करने के लिए लोकायुक्त को भेजे या नही यह गवर्नर की मर्जी है। बजाय इसके कि इसमे कुछ इम्प्रूवमैट होती, नीचे लाने की बात की गई है। एक आदमी जिसके लिए Lokpal is competent to enquire into the deeds or misdeeds, whatever they may be. उसी आदमी के बारे मे कह दिया गया कि उसके बारे मे की गई ि ाकायत को गवर्नर महोदय देखेगे। बाकी सारे जो दूसरे लोग है वे भीउसी फुटिंग मे होगे, उसी प्रोसीजर को फेस करेगे और वही लोकायुक्त उनका फेसला करेगा। अब जो उसी लोकायुक्त के पास खुद अडंर स्क्रूटिनी है वही दूसरे सर्वेटंस के बारे मे की गई ि ाकायत पर कार्यवाही करने के बारे मे केस भेजेगा या नही भेजेगा यह उसकी मर्जी है तो इसमे इम्प्रूवमैंट के बजाय यह एक रिट्रोग्रेड स्टैप है। जैसा गोदारा साहब ने कहा कि गवर्नर उसके तहत नही है। चीफ मिनिस्टर तो आते रहते है, जाते रहते है, महीनो मे बदलते है, सालो मे बदलते है, पांच साल से फालतू तो कोई मु ि कल ही चलता है अब खुद वह जब उसके सामने ऐज ऐ आसंरिंग पार्टी खडा है फिर तो लोकायुक्त लाने की जिम्मेदारी ठीक ढंग से नही निभा पाएगा। आज भी आप किसी भी आदमी के खिलाफ प्रिवें ान

आफ क्रप्‍ ान एक्ट के तहत केस दर्ज कर दो और कंपीटेंट एथोरिटी से उसकी इक्वायरी के लिए मजूरी ले ले। वही प्रोसीजर आपने इस लोकयुक्त को ला दिया है। It is totally retrgrade step. It is a malafide step. दूसरा प्रोसीजर लोकायुक्त की नियुक्ति के बारे मे हैं लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए चीफ मिनिस्टर द्वारा चीफ जस्टिस औफ इंडिया और चीफ जस्टिस औफ हाई कोर्ट से कंसल्ट किया जाये ऐसा नही होना चाहिए, क्योकि ऐसा करने से तो लोकायुक्त को नियुक्त करने का कोई मतलब ही नही रह जायेगा। कंसल्ट करने के मामले के बारे स्पश्टीकरण दिया जाये। These powers are only persuasive. It menas that the Chief Justice of India and Chief Justice of High Court is expected to persuade the Chief Minister. ऐसी बात लीडर आफ ओपोजी ान के और स्पीकर के बारे मे हो सकती है। because they are Hon'ble members of this House. लेकिन चीफ जस्टिस आफ इण्डिया और चीफ जस्टिस आफ हाई कोर्ट को मैजिस्ट्रेट और सै ान जज के लैवल पर लाना ठीक बात नही होगी। It comes into futility. This Act has been made more defective and totally ineffective for conductin an enquiry.वैसे इस सरकार ने इस लोकायुक्त बिल से कोई लेना देना नही है, कोई पूछताछ नही की जायेगी। इसलिए यह कोई मानने वाली बात नही है। सरकार को चाहिये तो यह था कि जो 1997 मे लोकायुक्त बिल पास हुआ था उसके डिफैक्टस को रिमूव करती। It is a contradictory afair. अगर ऐसा ही करना था फिर लोकायुक्त बिल को लाने की ही

जरूरत नही थी फिर तो बगैर लोकायुक्त के ही काम चल सकता था। आपने तो लोकायुक्त को भी मैजिस्ट्रेट और से ान जज के लैवल पर लाकर रख दिया है। आपके लोकायुक्त पर दो कम्पीटेट अथोरिटीज बनाई है। चीफ मिनिस्टर के मामले मे तो कंपीटेंट अथोरिटी गवर्नर महोदय को बनाया है और चीफ मिनिस्टर के अलावा कोई भी पब्लिक मैन है उसके केस मे कंपीटेंट अथोरिटी गवर्नर महोदय को बनाया है और चीफ मिनिस्टर को बनाया है। इसका मतलब तो यह हुआ कि चीफ मिनिस्टर जिसके खिलाफ एक ान नही लेना चाहेगा उसके केस को दबाकर बैठ जायेगा। मेरा तो अनुरोध है कि इस क्लाज को लोकायुक्त बिल से रिमूव कर दिया जाये। गवर्नर महोदय को कंपीटेंट एथोरिटी बनाना ठीक बात है क्योंकि स्टेट का हैड होने के नाते गवर्नर महोदय राजनीति से ऊपर होता है। Every Chief Minister is a political man. उसका हर फेसला कितना भी पाक हो लेकिन वह पोलिटिकल कंसीड्रै ान के इफलूएंस से ही होता है। अगर इस तरफ इसांफ नही होगा तो मामला बिल्कुल गडबड हो जायैगा। आज हर एक संस्था की और हर व्यक्ति की अपनी ग्रीवेन्सिज होती है अगर आप इस तरह की पाबन्दी लगा देगे तो वह बिल्कुल गलत बात हो जायेगी। इसिलए मै समझता हू कि इस लोकायुक्त बिल को सरकार द्वारा विदड्रा कर लेना चाहिए। They could bring new Act removing the competent authority alongther form the Act itself. इन्ही चन्द लफ्जो के साथ इस बात को कहते हुए मै इस

लोकायुक्त बिल का विरोध करता हू और अपना स्थान लेता हू। धन्यवाद।

प्रो0 छत्तर सिह चौहान (मुढांल खुर्द): अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री इस लोकायुक्त बिल के स्अेटमैट आफ औबजैक्टस एण्ड रीजन्ज मे लिखा हैः—

" The necessity of this institution of Lokayukta was realised by the State of Haryana and the Hayana Lokaykta Act, 1997 was passed. However, this act was found wanting to fulfil the purpose for which it was enacted." जैसा कि माननीय चौधरी खु ीिद अहमद जी ने और श्री मनीराम गोदार साहब ने बात की, अच्छा होता माननीय मुख्यमत्री जी जो 1997 मे लोकायुक्त बिल पास हुआ था उसकी खामियां इस सदन को बताते। वैसे कोई भी एक्ट हो उसमे अमैडमैंट की जा सकती है। लेकिन इस प्रकार से रिपील करना और एक डिफैक्टिव और इनएफेक्टिव बिल को लाना ठीक बात नही है। यह इस बात परिचायक है कि इस गवर्नमैंट की मैलाफाईडी इन्टै ान थी। यह गवर्नमैंट प्रैजुडि ाड थी, यह सरकार नही चाहती थी कि इस प्रदे ा मे पहले जिस स्वतन्त्र लोकायुक्त की नियुक्ति हुई थी वह कार्यरत रहे। मै माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यह अनुरोध करूगा कि यदि वे किसी कारणव ा यह बिल ले भी आए है तो कोई बात नही लेकिन मै यह बात कहना चाहूगा और वह हरियाणा के हित की बात भी है कि इस बिल को सिलैक्ट कमेटी के पस भेज दिया जाए ताकि इस पर अच्छी तरह गहनता से विचार करे और इसमे

जो 2–3 डिफैक्ट है उनको रिमूव कर दे। मै वह बात नही कहना चाहूगा जो गोदारा साहब और चौ0 खु र्शीद अहमद जी ने कही है। मै तो केवल एक बात की और ध्यान दिलाना चाहता हू कि इस बिल की क्लास 3 मे जो लिखा है that I am reading, which is regarding the appointment of Lokayukta. In proviso 2 of clause 3 it is mentioned-

"Provided further that the result of consultaion shall have persuasive value but not binding on the Chief Minister."

अब मै इस बिल की क्लाज 3 की सब क्लाज (2) पढ कर सुना देता हू:–

"A notification by the State Government about the consulation haveing been held as envisaged in sub-section (1) shall be conclusive proof thereof."

स्पीकर साहब, 1997 मे लोकायुक्त बिल पास किया गया कि प्रदे ा मे लोकायुक्त की नियुक्ति हो और लोकायुक्त की नियुक्ति इसलिए हो कि इस प्रदे ा मे जो सत्ता मे हो, चाहे वह अधिकारी हो, राजनीतिज्ञ हो या दूसरे और कोई भी हो अगर अपने दायरे से बाहर काम करे, लोगो के अधिकारो का किसी प्रकार से हनन करे उसके लिए एक ऐसी स्वतन्त्र संस्था की स्थापना की गई थी जिसके अन्तर्गत उनके खिलाफ लोग लोकायुक्त के पास जाए, अपना एफीडैविट दे। उस एफीडैविट के आधार पर लोकायुक्त अपना सुओ मोटो एक ान लेगा। लेकिन

मुख्यमंत्री महोदय के खिलाफ ऐसा आरोप हो तो उसका फेसला गवर्नर साहब करेगे और वह भी गवर्नर साहब की डिसक्री ान है कि वह इंक्वायरी के लिए ि ाकायत लोकायुक्त को भेजे या न भेजे यह उनकी मर्जी है अगर वही नही भेजते है, then there is no way out.दूसरी तरफ जो मुख्यमंत्री के कृपापात्र अधिकारी, कर्मचारी, मिनिस्टर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, है उनके खिलाफ कोई गम्भीर आरोप हो तो सी0एम0 साहब कह देगे यह ि ाकायत लोकायुक्त को इंक्वायरी के लिए न भेजी जाए तो उस ि ाकायत का महत्व ही खत्म हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से निवदेन है कि वे पार्टी पोलीटिक्स से ऊपर उठकर माननीय चौधरी बंसी लाल की सरकार ने जो इतना अच्छा बिल लाकर इनैक्टमैंट की थी उसको इस भावना से न ले कि वह पिछली सरकार को बनाया गया था। बिल आते है, एक्ट बनते है, यह एक प्रोसीजर है। स्पीकर साहब, मै आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से एक बार पुन निवदेन करता हू कि पार्टी पोलीटिक्स से ऊपर उठकर, प्रिजुडि ायल से ऊपर उठकर, पूर्वग्रह से ऊपर उठकर इस प्रदे ा के हित को देखते हुए इस बिल मे जो 3–4 खामिया है उनके ऊपर फिर से विचार करे। इस बार आपकी मैजोरिटी है इसलिए आप चाहे इस काले बिल को पास कर ले वरना आने वाली पीढिया इस सरकार द्वारा लाए गए काले बिल के लिए सरकार को माफ नही करेगी। अध्यक्ष महोदय, इन भाब्दो के साथ मै आपका धन्यवाद करता हू।

श्री रण्दीप सिंह सुरजेवाला (नरवाना): स्पीकर साहब, लोकपाल का जो इन्स्टीच्यू ान है इनकी स्थापना पूरे संसार मे वि ोशतौर से भारतवर्श मे मुख्य रूप से दो बातो को लेकर की गई है। एक तो यह कि लोकपाल निर्भीक हो, निडर हो और स्वतंत्र हो। ऐसा होना किसी भी लोकपाल बिल के लिए, अधिनियम के लिए उसका मूलभूत आधार है। दूसरा लोकपाल के द्वारा अदालतो को स्थानापन्न करने की कोि ा ा की गई कि अदालतो के बदले मे दोशी व्यक्तिायो को लोकपाल द्वारा जल्दी से जल्दी सजा दी जायेगी। स्पीकर साहब, मौजूदा सरकार द्वारा जो लोकपाल बिल आज पे ा किया गया है उसको मै और मेरी पार्टी के साथ देखते है तो एक बात साफ नजर आती है कि पिछली सरकार तो सरकारी जेबी लोकपाल बनाने के लिए 1997 मे लोकपाल बिल लेकर आई थी और मौजूदा सरकार जो लोकपाल बिल लेकर आई है वह मुख्यमंत्री जेबी बिल है। स्पीकर साहब, मै आपका माध्यम से मुख्यमंत्री जी के और इस सदन के ध्यान मे कुछ ऐसी बाते लाना चाहूगा, जिससे साफ हो जाता है कि यह बिल किस तरह से मुख्यमंत्री पर आश्रित रहेगा। इस बारे मे मेरे से पहले खु ीद अहमद जी भी बता चुके है कि इस बिल के क्लाज 2 की सब क्लाज डी मे मुख्यमंत्री महोदय स्वंय ही कंपीटैट है। कि वे अपने को छोडकर हर किसी के खिलाफ कार्यवाही करा सकते है। सिर्फ मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्यवाही करने का अधिकार गवर्नर को होगा। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी दूसरे पब्लिक सर्वेन्टस के खिलाफ कोई भी ि ाकायत हो उसकी इंक्वायरी

कराने के लिए कंपीटैंट अथोरिटी मुख्खमंत्री होगा। स्पीकर साहब, यंहा कंपीटैंट अथोरिटी का क्या महत्व है। यह मै बताता हू। जब लोकपाल इस बिल की क्लाज 18 के तहत अगर किसी के खिलाफ सजा सुनाते है तो इस क्लाज के तहत वह अपनी फाईडिग्ज कंपीटैंट अथोरिटी के पास भेजेगा, यानि मुख्यमंत्री जी के पास भेजेगा कि उसके खिलाफ कार्यवाही करनी है या नही। इस बात का प्रवाधान इस बिल की क्लाज 18 की सब क्लाज–1 और सब क्लाज (बी) के अदंर किया गया है, जिसकी तरफ मै आपका ध्यान आकर्शित करना चाहता हू–

It says:-

“18- (1) if, after inquiry in respect, of a complaint, the Lokayukta is satisfied-

(b) that all or any of teh allegations or grievances have or has been substanitiated either wholly or partly, he shall, by report in writing communicate his findings, appropriate recommendations and suggestions to the competent authority and intimeat the complainant and the public servant concerned about his having स्पीकर सर, अगर ऐसा ही है तो पुलिस महकमा पहले से ही मुख्यमंत्री महोदय के पास है। फिर किसी स्वतंत्र अथोरिटी को नियुक्त करने की क्या आव यकता है। स्पीकर साहब, इसी तरह से इस बिल क्लाज 19 की सब क्लाज 2 मे लोकायुक्त को इटैरिम डायरैक ान देने का तो अधिकार है परंतु वह डायरैक ान भी तभी दे सकता है जब

मुख्यमंत्री जी चाहेगे। क्योकि उन डायरैक ान पर कार्यवाही करने है या नही इस बात का अधिकार मुख्यमंत्री जी के पास है। स्पीकर साहब, इसी तहर से लोकपाल का जो दूसरा महत्वपूर्ण प्वायंट है कि वह किसी के खिलाफ कार्यवाही कर सकेगा, इसके प्रव्यू मे तो बहुत से लोगो को ले आये परंतु लोकपाल को यह अधिकार नही दिया गया कि अगर ि ाकायत आये तो वह अपनी मर्जी से कार्यवाही कर सके। यह अधिकार भी मौजूदा सरकार ने अपने पास ही रख लिया। इसके लिए स्पीकर साहब, मै आपका ध्यान इस बिल की क्लाज 8(1) की तरफ आकर्शित करना चाहूगा क्योकि आप भी इसके प्रव्यू मे आते है। इस क्लाज मे कहा है कि

"8- (1) Subject to the procisions of this Act, the Lokayukta may on receipt of a reference form Government proceed to inquire into the allegations or the grivances made against a public servant.

स्पीकर साहब, जब तक सरकार यह नही चाहेगी कि किसी के खिलाफ कार्यवाही करनी है तक तक कार्यवाही नही होगी। (ाोर एवम व्यवधान) स्पीकर साहब, इसी तरह से मै आपका ध्यान इस तरफ भी दिलान चाहूगा कि लोकपाल किस बात की जांच कर सकेगा और किसकी नही। इस बात का अधिकार भी सरकार ने अपने पास ही रख लिया है। सर, मै आपका ध्यान इस बिल की क्लाज 13 की और दिलाना चाहूगा। क्लाज 13 मे यह अख्तियार भी सरकार को दे दिया कि जो मर्जी कागज लोकपाल को दिखाना चाहेगे, दिखा देगे और जो दिल मे न आए वह

कागज नही दिखाएंगे फिर इसका मतलब तो यह है कि वे जांच नही कर सकेगे। इस तरफ मै आपका ध्यान आकर्शित करने के लिए क्लाज 13 का प्रोवाइजो पढकर सुनता हू। जिसमे लिखा है कि

"Provided that the State Government may withhold the production of any record or document relating to the affairs of the State on grounds of security or in public interest."

सर, यहां मै स्वय से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर सरकार को ऐसा कोई कागज या फाइल लोकपाल को दिखाने मे आपति है जिससे उसे लगे कि लोकपाल उसको जांच करेगा तो सरकार गिर जाएगी तब सरकार यह आर्डर कर देगी कि जनहित मे वह कागज लोकपाल को नही दिखाएगी ओर लोकपाल की वह बात मानना या न मानना भी सरकार के हाथ मे है। इससे तो लोकापाल मुख्यमंत्री या सरकार के हाथ की कठपुतली बनकर रह जाएगा। सर, इसी प्रकार से क्लाज–14 (1)मे जंहा इस बात का अख्तियार लोकपाल को दिया गया कि वह किसी भी पब्लिक सर्वेन्ट या दूसरे व्यक्ति की सलाह लेना चाहे तेा ले सकता है वहां दूसरे हाथ से वह ताकत आपने उसके छीन ली क्योकि क्लाज 14 (1) के अन्दर प्रोवाइजो मे यह लिख दिया है कि–

"Provided that no person, without the prior permission of the appropriatc Government shall be required or authorised by virtue of the provisions contained in this Act to

furnish any such information or answer any such question or produce so much or any document as might involve the disclosure of any information or production of any documents which is punishable under the provisions of the Official Secrets Act, 1923."

'सर मै आपको यहां तो नही बताऊंगा कि आपके लां मिनिस्टर ने इस एक्ट के बारे मे क्या लिख है। परन्तु आफि ियल सिकरेट एक्ट मे यह लिखा है कि–

'' उस सरकार के किसी पदेन व्यक्ति के द्वारा उसे वि वासपूर्वक सौपी गई, जो सरकार के पद पर रहे या रहे होने के कारण या सरकार की और से कोई अनुबन्ध मिलने या मिले होने के कारण या ऐसे पद या अनुबन्ध मे बन्धे किसी व्यक्ति के मातहत रोजगार मे होने या रहे होने के कारण उसकी जानकारी प्राप्त की है या उसकी पहुच मे है।'' सर, इसका एक उदापहरण मे आपको दू। अगर आप इस लिहाज से देखे कि जो पंचवर्शीय योजना बनकर छपी हुई है, अगर बगैर सरकार की इजाजत के उस पंचवर्शीय योजना की प्रति भी कोई अफसर लोकपाल को दे देगा यानि सरकार की लिखित इजाजत के बगैर दे देगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही आप कर सकेगे। इस प्रकार के ड्रैफोनियन और पूर्ण रूप से जैबी लोकपाल बनाने का मौजूदा सरकार ने जो प्रावधान नि चत किया है उससे तो लोकपाल को स्वावलम्बिता पूर्ण तौर से कम्प्रोमाइज होकर रह जाएगी। सर, मै आपका ध्यान क्लाज 3 की और भी दिलाना चाहूगा जिसकी चर्चा माननीय

विधायक चौधरी मनी राम गोदारा ने लोकायुक्त की नियुक्ति के सम्बन्ध मे की है। जो कुछ इन्होने पहले पढ दिया है उसे मै दोबारा रिपोर्ट नही करूंगा। उसमे जो टोटल अख्तियार पिछले बिल मे सरकार ने अपने हाथ मे ले लिये थे उनमे अब एक प्रोवाइजो और जोड दिया है। उसमे लिखा कि जो अब कन्सलटे ान करोगे वह कन्सलटे ान बेमायना है, उसका कोई भी लाभ नही है। अगर मुख्यमंत्री चाहे तो वे कन्सलटे ान को इगनोर कर सकते है। उस प्रोवाइजो मे लिखा है कि–

"Provided further that the result of consulation shall have persuasive value but not binding on the Chief Minister."

यह भाायद आपने इसलिये किया क्योकि जजिज के मामले मे माननीय उच्च न्यायालय ने भी और अपैक्स कोर्ट ने भी यह फेसला दे दिया था कि कन्सलटे ान मैनडेटरी है। सर, मेरे दल की तरफ से और साथियो की तरफ से मै इस बिल के अन्दर एक सं ाोधन सुजैस्ट करना चाहता हू। वह यह है कि यदि आप लोकपाल की स्वायतत्ता को वाकई मे रखना चाहते है तो उसकी नियुक्ति का बेसिक स्टैप यह होना चाहिए कि उसकी नियुक्ति एक कमेटी द्वारा की जाए। जिसमे अध्यक्ष महोदय आप स्वय हो, मुख्यमंत्री महोदय हो, विपक्ष के नेता हो और आर्टिकल 189 के तहत जो भी ग्रुप हाउस का कोरम पूरा करते है वे भी इस कमेटी के अन्दर भाामिल हो और जो कंसलटे ान की बात है वह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो, वह मैन्डेटरी मानी

जाए। लोकपाल की स्वावलम्बिता के लिये यही उसका अधिकार क्षेत्र है। इसके बगैर लोकपाल की नियुक्ति बेमायने होकर रहे जाएगी। इसी प्रकार से इस सरकार ने लोकायुक्त की पोजी ान कंप्रोमाइज करने के लिए इस बिल मे आगे प्रवाधान किया है वह लोकायुक्त के स्टाफ को लेकर है। इस बिल की क्लाज 20 और 21 के अदंर लोकायुक्त के स्टाफ के बारे मे चर्चा की गई है। अध्यक्ष महोदय, मै आपका ध्यान इस बिल की क्लाज 20 की तरफ दिलाना चाहूगा। इस क्लाज के मुताबिक लोकायुक्त के स्टाफ की अप्वांयंटमैट और उसकी तनख्वाह वगैरह का फेसला करने का अख्त्यार सरकार को दिया गया है। इसलिए मेरी समझ मे यह नही आया कि लोकायुक्त को क्या अख्तियार होगा? इस बिल की क्लाज 20 (1) मे लिखा है–

20 (1) " The Lokayukta may appoint in consultation with the State Government, such officers and staff as he may consider appropriate for the discharge of functions under this Act."

For ever step, that he has to take, he has to consult the State Government. Then, he is virutally a department of the State Government.

इसी क्लाज की सब क्लाज–2 मे लिखा है:–

" The categories of officers and staff who may be appointed under Sub Section (1) above and their conditions of service shall be such as may be prescirbed in consulation with the Lokayukta."

सरकार प्रिस्क्राइब करेगी, लोकायुक्त की इस बारे मे केवल सलाह लेगी। इसी प्रकार से इस बिल को क्लाज 21 मे दोबारा फिर लोकायुक्त पर एक कंडी ान जड दी उसमे लिखा है:—

21. "Without prejudice to the procisions of sub-section (1) of section 20, the Lokayukta may, in consulation with the State Government, for the purpose of conducting any inquiry or investigation under this Act, utilize the services of any officer or investigating agency of the State Government, or for reasons to be recorded in writing. of any other person or agency."

इसका मतलब यह हुआ है कि अगर सरकार नही चाहेगी तो लोकायुक्त को पंगू बना कर रख देगी। अगर लोकायुक्त ने कोई औफिसर लगाना है तो उसके लिए उसको सरकार की सलाह लेनी पडेगी और उस औफिसर की तनखाह का फेसला करना है तो वह सरकार करेगी। अगर लोकायुक्त ने अपने किसी औफिसर को कही पर कोई जानकारी लेने के लिए भेजना है या कहीं पर किसी की इन्कवायरी करने के लिए भेजना है तो उसको भेजने का अख्तियार भी सरकार को होगा। (घंटी) स्पीकर साहब, मै इररैलेवैंट नही बोल रहा हू मै तो आपके सामने सुझाव दे रहा हू भाायद सरकार के कान खुल जाए। अध्यक्ष महोदय, यह आपके भाग्य मे लिखा हो कि आप इस सरकार के कान खोल दे। आप मुझे दो मिनट का टाईम दे ताकि मै अपनी बात कंकलूड कर

सकू। अध्यक्ष महोदय, एक बडी अहम बात है कि लोकपाल को जो स्वावलम्बिता है वह है वितीय स्वावलम्बिता। सरकार ने इस बिल मे एक प्रावधान करके लोकपाल को एक यह अख्तियार तो दे दिया कि वह जिस किसी ऐजेंसी केपास जाएगा तो वह ऐजेंसी लोकपाल की सर्वेनट नही है वह ऐजेसी उस बात की उनसे कोई धनरा ि ा लेगी। इस बिल मे आपने एक यह भी प्रावधान कर दिया जिसके तहत लोकपाल को यह अख्तियार दे दिया कि वह किसी प्राईवेट ऐजेसी से भी कोई इनवैस्टीगे ान करवा सकता है। यदि लोकपाल किसी प्राइवेट ऐजेंसी से कोई इनवैस्टीगे ान करवाएगा तो उसके पास पैसा कहां से आएगा उसके लिए लोकपाल को दोबारा सरकार के पास जाना पडेगा औैर सरकार से कंसलटे ान करनी पडेगी। यह सरकार की मर्जी है, मुख्यमंत्री की मर्जी है कि वह उसको ऐसा करने दे या न करने दे। अगर सरकार के या मुख्यमंत्री के माफिक आएगा तो करने देगे अगर माफिक नही आएगा तो नही करने देगे। अध्यक्ष महोदय, अगर सरकार लोकपाल को स्वावलम्बी बनाना चाहती है तो उसको वितीय स्वावलम्बी बनाए क्योकि सरकार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी रिटायर्ड या किसी सिटिंग जज को लोकपाल लगाना चाहती है। मुझे पूरा यकीन है कि सरकार को उसकी मं ाा पर कोई भाक नही होगा। जब तक सरकार लोकपाल को वितीय स्वावलम्बी नही बनाएगी तक तक उसको हररोज की तफती ा, हररोज की तनख्वाह, हर रोज के कागज और पैन के लिए सरकार के ऊपर निर्भर रहना पडेगा। जिन लोगो को जांच करने के लिए सरकार ने लोकपाल बैठाया

है अगर लोकपाल को उन लोगो के घर पर जा कर उनसे हररोज पैसा मांगना है तो वह किस प्रकार का स्वावलम्बी, स्वतन्त्र, निर्भीक और नीडर लोकपाल होगा। अध्यक्ष महोदय, मै आपके नोटिस मे यह बात लाना चाहता हू कि मुख्यमंत्री ने यह ब्यान दिया था कि उन्होने लोकपाल का कार्यकाल 1966 से कर दिया है लेकिन पिछले लोकपाल बिल मे 20 साल तक की कंडी ान थी। चौधरी बंसी लाल जी ने अपने समय मे जो बिल लाया था उस बिल के अन्दर केवल 20 साल पहले तक के मामले ही लिए जा सकते थे वह 1966 मे लागू नही था लेकिन इस बिल के अन्दर पीरियड जिसके लिए लोकपाल इनवैस्टीगे ान कर सकता है कोई कडी ान नही है। यह बात सच है। अध्यक्ष महोदय, मै एक बात कहना चाहूगा कि कल को कोई इसमे लिटिगे ान का सवाल खडा करे इससे अच्छा होगा कि सरकार इसमे यह स्वश्ट करे दे कि 1966 के बाद अगर कोई भी ऐसी बात हुई है तो लोकपाल उन सबकी तफती ा कर सकता है तो मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही थी वह सिर चढने मे और पूर्ण होने मे मदद मिलेगी। (घंटी)

अध्यक्ष महोदय, इस बिल की क्लाज 27 के मुताबिक लोकपाल बिल को कार्यन्वित करने के लिए जो रूल्ज बनाने की बात है उसकी पावर भी सरकार ने स्वय अपने पास रख ली है। यदि सरकार ही उसके रूल्ज बनायेगी और सरकार अधिकारी ही उस पर कन्ट्रोल रखेगे तो फिर लोकायुक्त का स्वय का किसी पर क्या कन्ट्रोल रह जायेगा। यदि लोकायुक्त को निश्पक्ष बनाना है

या उससे निश्पक्ष जांच करवानी है तो लोकायुक्त के अधिकारी लोकायुक्त के पास ही रहने चाहिए। वह कोई रिकमन्डे ान करता है तो सरकार उसको सदन के समक्ष लाये और उस पर सदन की राय लेकर फेसला करे। इसलिए लोकायुक्त की कार्यप्रणाली के लिए जो रूल्ज बनाने की बात सरकार ने अपने पास रखी है वह नही रखनी चाहिए बल्कि लोकायुक्त को स्वंय अपने रूल्ज बनाने के देने चाहिए। मेरा नम्र निवेदन है कि लोकायुक्त को किसी की जांच करने के लिए केवल जेबी संस्था न बनाया जाये। जिस ढंग से अब यह बिल पे ा किया गया है वह गलत है। मै तो आपको यहां तक कहना चाहूगा कि लोकायुक्त के बारे 1987 मे जो बिल पे ा किया गया था, यह बिल उससे भी खराब है। इसलिए मेरी हाउस के सदस्यो से प्रार्थना है कि इसे पास न होने दे सरकार से मेरा अनुरोध है कि इसे पस करवाने की बजाये इस बिल को सिलैकट कमेटी को भेज दे। सिलैक्ट कमेटी से जो सुझाव आए उनके आधार पर इसे पुन ले आये। अन्त मे मै फिर अनुरोध करता हू कि इस बिल को पास किया जाये।

मुख्यमंत्री (श्री ओमप्रका ा चौटाला): अध्यक्ष महोदय, जो लोकायुक्त बिल सदन के समक्ष पे ा किया गया है इस पर कई साथियो मे अपने विचार रखे है। यहां पर बोलते हुए मनीराम गोदारा जी ने यह कहा कि इस बिल को लाने की आव यकता नही थी। मै आपके द्वारा इस सदन के सदस्यो को बातना चाहता हू कि जिस ढंग से पुराने लोकायुक्त का गठन किया गया था उस

पर बहुत से लोगो को आपति थी और इसी सदन मे यह चर्चा आई थी। जब उसके विरोध मे बात आई थी तो उस वक्त के मुख्यमंत्री ने उस बिल को सिलैक्ट कमेटी मे पास भेजा था। सिलैक्ट कमेटी की रिपोर्ट आने पर, जिसने यह रिकमैड किया था कि इसे पिछले 20 वर्श से लागू किया जाये, इसे लागू किया जाये। अध्यक्ष महोदय, जिस दिन वह बिल पे ा हुआ, उसके बारे मे मै गोदारा साहब की पुरानी याद ताजा करवा दू कि उस वक्त वह लोकायुक्त बिल कैसे पे ा हुआ था। वह बिल 20 मार्च 1997 को पास हुआ था। उस वक्त की सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से 17.3.1997 को विपक्ष के नेता को सदन से निश्कासित कर दिया था। मेरे को हाउस से निश्कासित करने के विरोध मे कांग्रस पार्टी के नेता चौधरी भजन लाल ने यहां पर आवाज उठाई। आज तो ये काग्रेस पार्टी के भाई नेता विहीन चले रहे है। अब इनकी उप नेता करतार देवी जरूर काम कर रही है। पहले तो ये बगैर नेता के ही काम कर रहे थे। मेरे कहने का मतलब यह है कि 18 तारीख को भजन लाल जी ने मेरा मामला उठाया तो उनको भी 18 तारीख को हाउस से निश्कासित कर दिया गया। जिन हमारे साथियो ने स्पीकर की आवज के विरूद्ध आवाज उठाई तो उनको भी यानि 18.3.1997 को हाउस से निश्कासित कर दिया। उनमे धीरपाल जी व रमे ा खटक भाामिल थे। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद 20 तारीख को बिल पास हो गया जब कि पूरा विपक्षी दल उस बिल के विरोध मे सदन से वाक आउट कर गया था। जिस तरीके से वायदे किए गए थे उसके विपरीत जिस प्रकार का बिल प्रस्तुत

किया गया, बडे चातुर्य से चौधरी बंसी लाल जी ने अपनी सारी टैन्योर उसके परव्यू से निकाल दी। वे समझते थे वे कि केवल तूनें ही बचना है बाकी इसकी झपट मे कोई भी आए। यह नया लोकायुक्त विधेयक हम इसीलिए लेकर आए है ताकि उन सारी खामियो को दूर कर सके। जिस प्रकार का वह लोकायुक्त विधेयक था अगर उसकी पूरी डिटेल मै पढूगा तो बडा समय लग जाएगा, सभी लोगो ने उसको पढ है जिस तरीके से यह पे ा किया गया था उससे विधायको के अधिकार स्नब कर दिए गए थे। किसी प्रकार से पिछली सरकार ने श्री आई0पी0 वि ाश्ठ, भूतपूर्व लोकायुक्त के इस अनुरोध को भी मान लिया कि पजांब एवम हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधी ा के बराबर उसको दर्जा दिया जाए। दिनांक 4.1.1999 को जारी अधिसूचना द्वारा यह व्यवस्था की गई थी कि लोकायुक्त समय समय पर पजांब एवम हरियाणा उच्च न्यायालाय के मुख्य न्यायाधी ा को मिलने वाले वेतन तथा भतो के बराबर वेतन तथा भते का हकदार होगा। उसे पजांब एवम हरियाणा उच्च न्यायालाय मे मुख्य न्यायधी ा को मिलने वाली अन्य सुविधाए जैसे सुसज्जित सरकारी आवास, वाहन, दूरभाश, यात्रा एवम दैनिक भता आदि भी दिए गए थे। उस अधिसूचना द्वारा यह भी व्यवस्था की गई थी कि पांच वर्श की सम्मत अवधि से पूर्व इन इन परिस्थितियो के अधीन नियुक्त किए गए लोकायुक्त का पद और अधिकार समाप्त हो जाता है या इन विलेखो के अधीन नियुक्त किया गया उसका पदाधिकारी हरियाणा लोकायुक्त 1997 की धारा 6 की उप धारा के परन्तुक ''क'' के

खण्ड ''ख'' मे दिए गए इस खण्ड के अधीन किसी भी अन्य कारण के लिए पदाधिकार पद रिक्त करना अपेक्षित है तो उसे प्रतिकार रूप मे वेतन तथा भत्ते उस समय तक अर्जित अवका ा की नगदीतथा सुविधांए जैसे सरकारी भत्ते इत्यादि की पूरी रा ि ा सेवा अवधि की कुल भोश अवधि का भुगतान किया जाएगा। आज कांस्टीच्यू ान के तहत होना चाहिए। कंसल्टे ान का मतलब सलाह म ि वरा का हवाला दे कर कहा है कि वहं कसंल्टे ान के तहत होने चाहिए। कंसल्टे ान का मतलब सलाह म ि वरा है और हमने यह बिल प्रस्तुत करने से पहले बाकायदगी से इस बारे मे राय ली है। सुप्रीम कोर्ट के लीगल एक्सपर्ट श्री गोपाल सुब्रामण्यम, डा0 सिंधवी, कर्नल के0सी0 अग्रवाल जैसे लोग जो कांस्टीच्यू ान के बहुत अच्छे ज्ञाता है और आज हिन्दुस्तान मे उनका कांस्टीच्यू ान एक्सपर्ट के तौर पर नाम है, हमने उन लोगो से पराम र्ा करके ही यह पुराना एक्ट रिपीट किया है। हमने किसी दुर्भावना से इस बिल पे ा नही किया है। बल्कि बहुत सोच समझ कर और एक्सपर्टस से सलाह करके ही हमने सारे मामले तय किया है। अध्यक्ष महोदय, अभी खु ीर्द अहमद साहब डिस्क्रि ान की बात कर रहे थे। डिस्क्रि ान का मतलब होता है अवेलेबल आप ान से उचित और उपयुक्त फेसला लेना न कि मनमर्जी करना। हमारी मन् ाा मनमंर्जी की नही है। डा0 खु ीर्द अहमद साहब, आप भी उस समय उस बिल का विरोध कर रहे थे। उस बिल के विरोध मे जब आपने आप को असहाय महसूस किया तो सदन से वाक आउट करके चले गए थे। हम भी उसी बात का

विरोध कर रहे थे और इसलिए हम एक नया बिल ले कर आए है। इस मे ले ामात्र भी कोई दुर्भावना नही है। अध्यक्ष महोदय, इसके बारे मे सुरजेवाला जी ने खासकर चिन्ता जताई है मै उनको बताना चाहूगा कि इसमे चिन्ता का कोई विशय नही है। इन्होने कहा था कि इसमे पूछा नही। सुरजेवाला साहब, आपकी कांग्रेस पार्टी ने गवर्नर महोदय को जो मैमोरैण्ड दिया था उसकी बहुत सी बातो को भी हमने इस बिल मे कवर कर दिया है। (विघ्न)

श्री रण्दीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, हमारी सिर्फ एक बात ही मानी गई है।

14.00 बजे।

श्री ओमप्रका ा चौटालाः अध्यक्ष महोदय, गनमीत है कि इन्होने एक बात को तो माना है। मुझे तो यह भी उम्मीद नही थी कि ये एक बात को मानेगे क्योकि की इनके हर बात मे न कहने की आदत है इसी हिसाब से क्लाज 8 के बारे मे भी आपने एक अन्तर्गल बात कही है कि सरकार द्वारा भेजी गई कम्पलेंट पर ही लोकायुक्त जांच कर सकता है। यह हाउस को गुमराह करने वाली बात थी। अगर आप इस मामले मे सीरियस होते तो जब हमने जस्टिस चहल की अध्यक्षता मे एक कमेटी का गठन किया था उस वक्त अखबारो मे भी उसके बारे मे विज्ञापन दिया था। आपमे से किसी ने भी उस कमेटी को कोई सुझाव नही दिया था। केवल मात्र एक वकील का सुझाव नही आया था। जब सरकार को गिराने

का अवसर आता है तब तो अवसरवादी ताकते इकट्ठी हो जाती है लेकिन लोकयुक्त कैसे हो उस पर सुझाव देने का अवसर आता है तो आपकी तरफ से कोई सुझाव नही आता है। हमने जिस दृश्टि से जिस बात को ध्यान मे रखकर लोकायुक्त की नियुक्ति की बात की है तो आज हैरानी है कि आपको इस बात पर आपति है। अब जैसा इन्होने कह दिया कि चीफ मिनिस्टर को इसके लिए अख्तियार दिया है। मिनिस्टर, सैक्रेटरी के नीचे के लोग है उनके मामले मे यानि की उनकी रिपोर्ट कंसीडर करने का अधिकार चीफ मिनिस्टर को है। लेकिन चीफ मिनिस्टर के अलावा पूर्व चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कोई ऐसी रिपोर्ट आएगी तो उसको कंसीडर करने का अधिकार गवर्नर को दिया है क्योंकि गवर्नर कास्टीच्यू ानल हैड है अगर उस पर भी आपको आपति है तो इसका मतलब यह है कि आपका सविंधान मे वि वास ही नही है। हमने तो उनको ही अधिकार दिया हुआ है। हमारे सामने लोकायुक्त विधेयक लाने मे कई दिक्क्ते थी। हमने यह सब विधि वि ोशज्ञो से सलाह मि वरा करके पुराना एक्ट रीपील किया है। इसमे एक कमी यह भी थी कि किसी जन सेवक के विरूद्ध अपराधा किए जाने की तिथि के 10 वर्श बाद ि ाकायत दर्ज की जाती है तो हरियाणा का लोकायुक्त ऐसे आरोप की जांच नही कर सकता था। हमने इसमे यह किया है कि 1 नवम्बर, 1966 से जब से हरियाणा बना है तब से भी किसी प्रकार की ि ाकायत है वह इनके समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। हम आपकी तरह जल्दबाजी मे यह बिल नही लाये है। मनीराम जी कर रहे थे कि जल्दबाजी मे

यह बिल लाए है। मै कहता हू कि नही, ऐसी बात नही है। (विघ्न) चलो किसी ने भी कहा। मै उनका बार बार नाम नही लेना चाहता क्योकि अच्छा नही लगता। उनका नाम लेने से मेरी जुबान खराब हो जाती है इसलिए मै उनका नाम नही लेना चाहता। मै आपको एक बार फिर यह कहना चाहूगा कि हमने यह सब जल्दी मे नही किया है। हमने बाकायदा एक कमेटी का गठन किया था। (विघ्न) मै यह कर रहा था कि हमने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता मे एक कमेटी का गठन किया था। उन्होने छानबीन करके रिपोर्ट दी है और वह रिपोर्ट आपके सामने है। हम ईमानदारी से इस बात के पक्षधर है कि 1 नवम्बर 1966 से जो कोई भी बेकायदगी किसी के खिलाफ हो वे सारी की सारी लोकायुक्त के समझ रखी जाएं। हमारी कोई इस बारे मे दुर्भावना नही है। मै ईमानदारी से इस बात का पक्षधर हू कि लोगो क्रप्ट है, जो भ्रश्टाचारी है उनके खिलाफ एक ान लिया जाए। उसके लिए एक अथौरिटी का गठन किया है अब आपने कह दिया कि फलां अच्छा होता फलां कम अच्छा होता । हाउस सुप्रीम है और सदन के द्वारा हमने यह निर्णय लिया है। इसके लिए हम आपको फिर यही कहते है कि जब आप यह बिल पास कर देगे उसके बाद आपसे फिर पराम र्ा किया जाएगा कि लोकायुक्त किस किस्म का व्यक्ति आए। यह सब हम कानून कायदे के तहत करेगे। हम ऐसे आदमी को नही लाएगे जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट मे दो साल से कार्यरत भी है और उसको लोकायुक्त लगा दे। जबकि कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर किसी दूसरे विभाग मे नौकरी ज्वायन करने

जाता है तो वह भी अपने पहले विभाग से पूछ कर जाता है। बगैर पूछे नही जा सकता है। लेकिन पिछली सरकार के मुख्यमंत्री ने समझ लिया था जैसे कि स्टेट किसी एक की बापौती है। उन्होने एक ऐसे व्यक्ति को लोकायुक्त लगाया था यह स्टेट 1 करोड 80 लाख की सम्पति है और हम जो जनता के प्रतिनिधी है इस स्टेट के ट्रस्टी है हमारी यह सोच होनी चाहिए कि इस स्टेट को कही भी कोई नुकसान न हो। इसी की दृश्टिगत हम यह एक अच्छा बिल लेकर आए है और मै आप सभी से विनम्र निवेदन करूगा कि इसमे किसी प्रकार की कोई दुर्भावना नही है। हम यह एक अच्छा बिल लाए है ताकि भ्रश्टाचार को जड मूल से समाप्त किया जा सके। हम इस बात के लिए वचनबद्ध है कि भ्रश्टाचार को जड से समाप्त करेगे। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मै आपके द्वारा सदन के सभी सम्मानित सदस्यो से निवेदन करूंगा कि एक ऐसा भी वक्त था कि पिछली सरकार ने विपक्ष को निकलवाकर के सर्व सम्मति से बिल पास करवाया था अब मै आप सबसे कहूगा कि आप सब यंहा पर बैठे हुए है, इस बिल को सर्व सम्मति से पास करवाएं। यही मेरा आप सब से निवेदन भी है। (विघ्न)

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, गोदारा साहब ने दो प्वायट उठाए थे। मै उन दोनो का जवाब दे देता हू। आपने पहला जो सवाल उठाया था वह बिल्कुल मिस लीडिंग था। इस बिल की कम्पलेंट से संबधित जो क्लाज है उस बारे मे आपने यह कहा कि वह सुओ मोटो नही जाएगी। आप हमे बताए तो सही कि इसमे

कहां लिखा है कि यह सुओ मोटो नही जाएगी। स्पीकर साहब, इस बिल की क्लांज 10(1) मे जो प्रोविजन रिलेटिंग टू कम्लेंटस है, उसमे लिखा है–

"Subject to the provisions of the Act, a complaint may be made under this Act to the Lokayukata-

(a) in case of grievance by the person aggrieved;

(b) in case of allegation by any person:

" Provided that where the person aggrieved is dead or,is for any reason, unable to act for himself the complaint may be made by any person who in law represents his estate or, as the case may be, by any person permitted to act on his himself."

पिछली सरकार ने इस बारे मे जो प्रोविजन किए थे हमने तो उससे बैटर ही किया है। हालाकि पिछले बिल मे तो ऐफिडेविट को भी वेव आफ कर रखा था। स्पीकर साहब, अब मै आपको इस लोकायुक्त बिल की क्लांज 10 (2) पढकर सुनता हूं–

" Every complaint involving an allegation or grievance shall be made in such from, and is such manner and shall be accompanied by such affidavit as may be prescribed."

आपने अपने बिल मे तो इससे भी ज्यादा लिबर्टी दे दी थी। पिछली सरकार ने इस बारे मे अपने बिल मे लिखा है कि

"However the Lokayukta may dispencse with such affidavit in any appropriate case."

इसका मतलब है कि वह ऐफिडेविट को भी डिसपोज आफ कर सकते थे, डिसपैस विद कर सकते थे। बिना ऐफिडेविट के भी यह ऐप्लीके ान ले सकते थे आपने यह सब चीजे उस बिल मे जोडी थी लेकिन हमने तो वह सब कुछ डिलीट ही किया है। जो आप कर रहे है that is for implementation कि लोकायुक्त जो भी इक्वायरी करके अपनी रिपोर्ट भेजेगा और यदि वह रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर के खिलाफ होती है तो वह गवर्नर के पास जाएगी क्योकि गवर्नर की कम्पीटैन्ट अथोरिटी है। अगर इसके लिए गवर्नर की कम्पीटैन्ट अथोरिटी नही है तो आप ही बतांए कि फिर कौन कम्पीटैन्ट अथौरिटी होगा ? यह कम्पलेंट के लिए नही है। स्पीकर साहब, ये हाउस को मिसलीड कर रहे है। कम्पलेंट की इट्रोड्यूसिंग के लिए आपके बीच मे न तो चीफ मिनिस्टर है, न मिनिस्टर है और न कोई गवर्नर है और डायरैक्टली कम्पलेंट कर सकते है।

श्री रण्दीप सिंह सुरजेवालाः आप इस बिल की क्लांस 10 पढकर देखिए।

प्रो0 सम्पत सिंहः यह क्लांज 10 तो मैने अभी पढकर ही सुनायी है। आप सुनिये तो सही। Competent authority arises after the action taken by the Lokayukta, after the investigation made by the Lokayukta. Cometent authority arises after that कप्पलेंट सुओ मोटो विद ऐफिडेविट जाएगी। इसके बिना तो कोई भी किसी की भी पगडी उछाल सकता है।

श्री रण्दीप सिंह सुरजेवालाः आप इस बिल की क्लांज 8(1) मे स ाोधन क्यो नही कर देते। आप इसमे स ाोधन कर दीजिए।

प्रो0 सम्पत सिंहः आप इसको पढिए।

श्री रण्दीप सिंह सुरजेवालाः हां मै इसको पढ देता हू। इसके लिखा है–

"Subject to the provisions of this Act, the Lokaykta may or recipt of a reference form Government proceed to inquira into the allegaitons or the grievance made agaist a public servant."

It means util a reference is made by the Government; he can not proceed to inquire into the allegations. इस तरह से तो आप अगर लोकायुक्त के सामने रि वत लेगे तो वह भी कुछ नही कह सकता क्योकि अब आपने इस तरह का इसमे कोई प्रोविजन कर दिया है आप इसमे इस तरह का सं ाोधन कर दीजिए, बात खत्म हो जाएगी।

Prof. Sampat Singh: No, no. That is another complaint.

श्री रण्दीप सिंह सुरजेवालाः आप इसमे सुओ मोटो वर्ड ऐड कर दीजिए बात खत्म हो जाएगी।

Prof. Sampat Singh: A complaint may go through the Government and may also go through affidavit.

Shri Randeep Singh Surjewala: This is the only provision Sir, you may please clarify this. Only add the word "suo moto". That's all.

Prof. Sampat Singh: Have you not read this Clause 10 ?

श्री रण्दीप सिंह सुरजेवालाः इसमे अगर आप सिर्फ सुओ और मोटो वर्ड ऐड कर देगे तो ज्यादा ठीक रहेगा।

Prof. Sampat Singh: This is better.

Shri Randeep Singh Surjewala: This is the worst Lokayukta Act I have seen. This is much more worse than the 1997 Act.

Prof. Sampat Singh: No, no. This is better. This Lokayukta Act is also in Maharashtra. I am having a copy to that. The same is in Andhra Pradesh and so many other States. But I am having a copy of the Lokayukta Act of Maharashtra. But what about Punjab Lokayukta Act ? पजांब ने जो किया था उस तरह से तो पिछली सरकार ने किया था। लेकिन हम ऐसा नही करना चाहते। आप जानते है कि पजांब वालो का इस बारे मे क्या हश्र हुआ ? आप तो वकील है।

श्री रण्दीप सिंह सुरजेवालाः उनका तो लोकायुक्त की एप्वायंटमैंट की डिस्पयूट था। आपने तो इसमे प्रोविजो एड करके वह अख्तियार ही खत्म कर दिया।

प्रो0 सम्पत सिंहः पुराने लोकायुक्त बिल मे लोकायुक्त की री अप्वायंटमैट का कह दिया था इसमे हमने 5 वर्श किया है और साथ लिमिटे ान दी है। पहले री एप्वायटमैंट थी इसका मतलब है कि लोकायुक्त चीफ जस्टिस के चक्कर काटता रहे। यह रास्ता खोल रखा था Now we have done improvement.इस बात को आपको मानना चाहिए। पहले क्या था जैसे सैलरी नैगोि ाएबल थी। जैसे जूनियर मोस्ट जज है उसको भी तनख्वाह चीफ जस्टिस की दे रहे हो। सैलरी नैगोि ाएबल है इसका मतलब है कि जो उसका ड्यू बनता है उससे फालतू उसको दे रहे हो, इसका मतलब आप फेवर लाना चाहते है अब हमने यह किया है कि जिस रैक का आएगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रि0 आए चाहे कोई जज आए। (विघ्न)

दैनिक ट्रिब्यून के सम्पादक का स्वागत

मुख्यमंत्री (श्री ओमप्रका ा चौटाला): अध्यक्ष महोदय, मै आपके द्वारा सदन का ध्यान इस और आकर्शित करना चाहूगा कि दैनिक ट्रिब्यून के संपादक श्री विजय सहगल प्रैस गैलरी मे सदन की कार्यवाही देखने के लिए बैठे है यह सदन उनका स्वागत करता है।

श्री अध्यक्षः मै भी उनका अभिनंदन करता हू।

दि हरियाणा लोकायुक्त बिल, 1999 (पुनरारम्भ)

प्रो0 सम्पत सिंहः अब इसमे इम्प्रवमैट किया गया है कि इसमे यह लिखा गया है कि जिस पद से आएगे वही सैलरी व सुविधाए जारी रखी जाएगी। पहले मनमर्जी पर छोड दिया था। साथ मे टाइमबाउड कर दिया कि विद इन ईयर रिपोर्ट देगे, वरना तो रिपोर्ट पडी रहे अब वन ईयर की बांइडिंग है साथ मे एक क्लाज और जोड दी है। अतरिम रिपोर्ट देने का कह दिया गया वरना पहले कोई प्रोविजन नही था।

श्री रण्दीप सिह सुरजेवालाः इसमे जो डायरैक ांज देने की बात है वह भी चीफ मिनिस्टर पर छोडी गई है कि वे दे या न दे ?

Prfo Sampat Singh: This inteim direction will be given by the Lokayukta.

Shri Randeep Singh Surjewala: There is no mention of interim direction. You are misleading the House. स्पीकर साहब, मंत्री जी हाउस को मिसलीड कर रहे है। वे अपने कागजात दोबारा खोलकर पढ ले। I am reading out claue 19. The heading is “Power to issue interim direction” In clause 19, it is mentioned-

“The Lokayukta may, after receipt of a complaint, issue such interim direction as the case may warrant, so as to above grave in justice.”

There is no word “report,” Sir.

Prfo Sampat Singh: There was no provision for interim direction, earlier. there was no provision, So, this is the betterment of this Bill.

Shri Randeep Singh Surjewala: किसी के खिलाफ कार्यवाही करनी है या नही, इसका फेसला मुख्यमंत्री जी का है।

Prfo Sampat Singh: Have you learnt that the Lokayukta shall complete the enquiry within one year?

Shri Randeep Singh Surjewala: What wil happen, if he will not complete the enquiry within one year.

Prfo Sampat Singh: He will have to complete the enquiry within one year.

Shri Randeep Singh Surjewala: If he does no do, then what will be the consequences?

Prfo Sampat Singh: It will depende upon him, what decision he takes. But he will have to dispose of that complaint.

श्री ओमप्रका ा चौटाला: अध्यक्ष महोदय, लोकायुक्त कोई गलती करेगा तो फिर कोर्ट मे भी जाने का अधिकार है। इसमे डरने की क्या बात रह गई है ? लोकायुक्त के फैसले के खिलाफ भी तो आप कोर्ट मे जा सकते है।

प्रो0 सम्पत सिंह: जहां तक कंसलटैंसी की बात है उसके बारे मे इस बिल की क्लाज 3 के प्रोवाइजो मे दिया है–

"Provided further that the result of consulation shall have persuasive value but no binding on the Chief Minister"

श्री रण्दीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, यह सुप्रीम कोर्ट का फेसला है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बाई पास करने के लिए इस सरकार ने यह प्रोवाइजो ऐड की है।

Prfo Sampat Singh: Speaker Sir, consulation does not mean binding. Consulation is consulation. It is not binding.

श्री रण्दीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, ऐडवोकेटस आन रिकार्ड एसोसिए ान मे नौ जजो की खण्ड पीठ ने अपने फैसले मे कहा था कि लोकायुक्त की एप्वायंटमैट मे कसंल्टे ान बाईडिंग है लेकिन इस सरकार ने अपनी अधिवक्तओ से राय ली। उन्होने सरकार को सलाह दी कि अगर ऐसा किया जायेगा तो कंसल्टे ान बाईडिग हो जायेगी। इसलिए इस सरकार ने इस विधेयक मे यह प्रोवाइजो ऐड की है।

Prof Sampat Singh: Are you saying about Loakayukta vor about consultation?

Shri Randeep Singh Surjewala: I am saying about consulation with the Chief Justice of the concerned High Court or Chief Justice of India. क्योकि कसंल्टे ान इस सरकार पर बाईडिंग हो जाती इसलिए आपने अपने अधिवक्ताओ से राय लेकर इस प्रोवाइजो को ऐड किया है। अगर ऐसा नही है तो आप

अपनी फाइल निकालकर देख लीजिए उसमे ऐसा ही मिलेगा। इस बात के लिए मै सरकार को चेलेज करता हू।

प्रो0 समप्त ंसिंहः अध्यक्ष महोदय, लोकायुक्त की नियुक्ति के बारे मे अगल अलग सब्जैक्टस के हिसाब से बाईडिंग दी हुई है कुछ के लिए कसंल्टे ा बाईडिंग है और कुछ के लिए बाईडिंग नही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह तो नही कहा कि लोकायुक्त की नियुक्ति के मामले मे कंसल्टे ान बाईडिंग है। क्या पिछली सरकार ने जब लोकायुक्त को एप्वायंट किया था उस समय लीडर आफ दी अपोजि ान से कंसल्टे ान मांगी थी। उस समय माननीय सदस्य सुरजेवाला जी इस सदन मे नही बोले कि यह क्या हो रहा है।

श्री रण्दीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, इसमे मानने की बात नही है। इस बिल मे लिखा हुआ है इससे ज्यादा और क्या हो सकता है।

प्रो0 सम्पत सिहः अध्यक्ष महोदय, कंसल्टे ान के लिए जरूरी नही कि हर बात मानी जाये। जो बात मानने की होगी यह सरकार उस बात को मानने के लिए हम समय तैयार है और जो बात मानने की नही होगी उसको बिल्कुल नही माना जायेगा।

वाक आउट

आवाजेः स्पीकर साहब, हम इस मो ान को पास करवाने के खिलाफ है इसलिए हम वाक आउट करते है।

(इस समय हरियाणा विकास पार्टी और इडियन ने ानल कांग्रेस पार्टी के उपस्थित सदस्य सदन से वाक आउट कर गये।)

दि हरियाणा लोकयुक्त बिल, 1999 (पुनरारम्भ)

श्री अध्यक्षः प्र न है–

कि हरियाणा लोकायुक्त विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लाज 2

श्री अध्यक्षः प्र ान है–

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 3

श्री अध्यक्षः प्र ान है–

कि क्लाज 3 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 4

श्री अध्यक्षः प्र ान है–

कि क्लाज 4 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 5

श्री अध्यक्षः प्र ान है–

कि क्लाज 5 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 6

श्री अध्यक्षः प्र ान है–

कि क्लाज 6 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 7

श्री अध्यक्षः प्र ान है–

कि क्लाज 7 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 8

श्री अध्यक्षः प्र ान है–

कि क्लाज 8 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 9

श्री अध्यक्षः प्र ान है–

कि क्लाज 9 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 10

श्री अध्यक्षः प्र ान है–

कि क्लाज 10 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 11

श्री अध्यक्षः प्र ान है–

कि क्लाज 11 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 12

श्री अध्यक्षः प्र ान है–

कि क्लाज 12 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 13

श्री अध्यक्षः प्र ान है–

कि क्लाज 13 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 14

श्री अध्यक्षः प्र ान है–

कि क्लाज 14 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 15

श्री अध्यक्षः प्र ान है–

कि क्लाज 15 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 16

श्री अध्यक्षः प्र ान है–

कि क्लाज 16 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 17

श्री अध्यक्षः प्र ान है–

कि क्लाज 17 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 18

श्री अध्यक्षः प्र ान है–

कि क्लाज 18 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 19

श्री अध्यक्षः प्र ान है–

कि क्लाज 19 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 20

श्री अध्यक्षः प्र ान है–

कि क्लाज 20 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 21

श्री अध्यक्षः प्र ान है–

कि क्लाज 21 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 22

श्री अध्यक्षः प्र ान है–

कि क्लाज 22 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 23

श्री अध्यक्षः प्र ान है–

कि क्लाज 23 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 24

श्री अध्यक्षः प्र ान है–

कि क्लाज 24 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 25

श्री अध्यक्षः प्र ान है–

कि क्लाज 25 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 26

श्री अध्यक्षः प्र ान है–

कि क्लाज 26 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 27

श्री अध्यक्षः प्र ान है–

कि क्लाज 27 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

ि ाड्यूल

श्री अध्यक्षः प्र ान है–

कि ि ाड्यूल बिल का ि ाड्यूल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 1

श्री अध्यक्षः प्र ान है–

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्षः प्र ान है–

कि इनैक्टिंग फार्मूला बिल का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री अध्यक्षः प्र ान है–

कि टाइटल बिल का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः अब मुख्यमंत्री प्रस्ताव रखेगे कि बिल पास किया जाए।

मुख्यमंत्री (श्री ओमप्रका ा चौटाला): अध्यक्ष, मै प्रस्ताव करता हू।

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्र ान है

कि बिल पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(5) दि हरियाणा पंचायती राज (सैकिण्ड अमैडमैंट) बिल, 1999

नगर एवम ग्रामीण आयोजना मंत्री (श्री धीरपाल सिह): अध्यक्ष महोदय, मै हरियाणा पंचायती राज (द्वितीय सं ाोधान) विधेयक, 1999 प्रस्तुत करता हू।

मै यह भी प्रस्ताव करता हू–

कि हरियाणा पंचायती राज (द्वितीय सं ाोधान) विधेयक, पर तुरत विचार किया जाये।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

मै यह भी प्रस्ताव करता हू–

कि हरियाणा पंचायती राज (द्वितीय सं ोधान) विधेयक, पर तुरत विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः अब सदन पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लाज 2

श्री अध्यक्षः प्र ान है–

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 1

श्री अध्यक्षः प्र ान है–

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्षः प्र ान है–

कि इनैक्टिंग फार्मूला बिल का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री अध्यक्षः प्र ान है–

कि टाइटल बिल का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः अब मंत्री प्रस्ताव रखेगे कि बिल पास किया जाए।

नगर एवम ग्रामीण आयोजना मंत्री (श्री धीरपाल सिह):अध्यक्ष, मै प्रस्ताव करता हू।

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्र ान है

कि बिल पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(6) दि हरियाणा ि ाड्यूल्ड रोडज एंड कंट्रोल्ज एरियाज रिस्ट्रिक ान औफ अनरैगुलेटिड डिवैल्पमैट (हरियाणा सैकिण्ड अमैडमैंट) बिल, 1999

नगर एवम ग्रामीण आयोजना मंत्री (श्री धीरपाल सिह): अध्यक्ष महोदय, मै पजाब अनुसूचित सडक तथा नियंत्रित क्षेत्र, अनियमित विकास निर्बन्धन (हरियाणा द्वितिया सं ाोधन) विधेयक, 1999 प्रस्तुत करता हू।

मै यह भी प्रस्ताव करता हू–

कि हरियाणा पजाब अनुसूचित सडक तथा नियंत्रित क्षेत्र, अनियमित विकास निर्बन्धन (हरियाणा द्वितिया सं ाोधन) विधेयक, पर तुरत विचार किया जाये।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि हरियाणा पजाब अनुसूचित सडक तथा नियंत्रित क्षेत्र, अनियमित विकास निर्बन्धन (हरियाणा द्वितिया सं ाोधन) विधेयक, पर तुरत विचार किया जाये।

श्री अध्यक्ष: प्र ान है–

कि हरियाणा पजाब अनुसूचित सडक तथा नियंत्रित क्षेत्र, अनियमित विकास निर्बन्धन (हरियाणा द्वितिया सं ाोधन) विधेयक, पर तुरत विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः अब सदन पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लाज 2 और 3

श्री अध्यक्षः प्र ान है–

कि क्लाज 2 और 3 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 1

श्री अध्यक्षः प्र ान है–

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्षः प्र ान है–

कि इनैक्टिंग फार्मूला बिल का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री अध्यक्षः प्र ान है–

कि टाइटल बिल का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः अब मंत्री प्रस्ताव रखेगे कि बिल पास किया जाए।

नगर एवम ग्रामीण आयोजना मंत्री (श्री धीरपाल सिह):अध्यक्ष, मै प्रस्ताव करता हू।

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्र ान है

कि बिल पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(7) दि पजांब न्यू कैपिटल (पैराफिर) कन्ट्रोल (हरियाणा अमैडमैट) बिल, 1999

श्री अध्यक्षः अब एक मंत्री पजांब नई राजधानी (परिधि) नियन्त्रण (हरियाणा सं ाोधन) विधेयक, 1999 प्रस्तुत करेगे।

नगर एवम ग्रामीण आयोजना मंत्री (श्री धीरपाल सिह): अध्यक्ष महोदय, मै पजांब नई राजधानी (परिधि) नियन्त्रण (हरियाणा सं ाोधन) विधेयक, 1999 प्रस्तुत करता हू।। मै यह भी प्रस्ताव करता हू–

कि पजांब नई राजधानी (परिधि) नियन्त्रण (हरियाणा सं ाोधन) विधेयक, पर तुरत विचार किया जाये।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि पजांब नई राजधानी (परिधि) नियन्त्रण (हरियाणा सं ाोधन) विधेयक, पर तुरत विचार किया जाये।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि पजांब नई राजधानी (परिधि) नियन्त्रण (हरियाणा सं ाोधन) विधेयक, पर तुरत विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः अब सदन पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लाज 2 और 5

श्री अध्यक्षः प्र ान है–

कि क्लाज 2 और 5 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 1

श्री अध्यक्षः प्र ान है–

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्षः प्र ान है–

कि इनैक्टिंग फार्मूला बिल का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री अध्यक्षः प्र ान है–

कि टाइटल बिल का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः अब मंत्री प्रस्ताव रखेगे कि बिल पास किया जाए।

नगर एवम ग्रामीण आयोजना मंत्री (श्री धीरपाल सिह):अध्यक्ष, मै प्रस्ताव करता हू।

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्र ान है

कि बिल पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(8) दि हरियाणा एप्रोप्रिए ान (न0 3) बिल, 1999

श्री अध्यक्षः अब एक मंत्री हरियाणा विनियोग (स0 3),विधेयक, 1999 प्रस्तुत करेगे।

Finance Minister (Prof Sampat Singh): Sir, I beg to intorduce the Haryana Appropriation (No. 3) Bill, 1999.

Sir, I alos bet to move.

That the Haryana Appropriation (No.3) Bill be taken into consideration at once.

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि हरियाणा विनियोग (स0 3) विधेयक पर तुरत विचार किया जाये।

श्री अध्यक्षः प्र ान प्रस्तुत हुआ–

कि हरियाणा विनियोग (स0 3) विधेयक पर तुरत विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः अब सदन पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लाज 2 और 5

श्री अध्यक्षः प्र ान है–

कि क्लाज 2 और 5 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

ि ाड्यूल

श्री अध्यक्षः प्र ान है–

कि ि ाड्यूल बिल का ि ाड्यूल बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 1

श्री अध्यक्षः प्र ान है–

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्षः प्र ान है–

कि इनैक्टिंग फार्मूला बिल का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री अध्यक्षः प्र ान है–

कि टाइटल बिल का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः अब मंत्री प्रस्ताव रखेगे कि बिल पास किया जाए।

Finance Minister (Prof Sampat Singh): Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्र ान है

कि बिल पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः अब सदन अनि चत काल के लिये स्थगित किया जाता है।

14.36 बजे

(तत्प चात सदन अनि चत काल के लिए स्थगित हुआ)